रजिस्ट्री सं. डी.—(डी. एन.)—73

REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 5] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 1, 1986 (माघ 12, 1907)

No. 5] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 1, 1986 (MAGHA 12, 1907)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	71
भाग I—खंड 2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	113
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	--
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	83
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खंड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खंड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खंड 3 या खंड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खंड 1—उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	3961
भाग III—खंड 2—पैटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस	55
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं	1
भाग III—खंड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	147
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्ति और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	13
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।

CONTENTS

	PAGES
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) ..	71
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	113
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	83
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) on General Statutory Rules & Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railways Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	3961
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta	55
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners ..	1
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies ..	147
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	13
PART V—Supplement showing statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi ..	*

*Folio No. not received

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 जनवरी 1986

सं० 1-प्रेज/86—राष्ट्रपति, 1986 के गणतन्त्र दिवस के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री नटवर बिस्वल,
स्टेशन अफसर,
उड़ीसा।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि 23 फरवरी, 1985)

23 फरवरी, 1985, को 16.35 बजे अथगढ़ अग्निशमन केन्द्र में रुतगढ़ गांव में भयानक आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होने पर श्री नटवर बिस्वल तत्काल अपनी यूनिट और कार्मिकों के साथ घटना-स्थल पर गए। छप्पर वाले घर और पुआल के ढेर बुरी तरह जल रहे थे। श्री बिस्वल के प्रभार में आग बुझाने वाले दल ने आग का मुकाबिला करने में कठिनाई अनुभव की, किन्तु श्री बिस्वल निराश नहीं हुए और उन्होंने आग बुझाने वाले दल को साहस के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया। इसी समय, कुछ ग्रामवासियों ने श्री बिस्वल को सूचित किया कि तीन व्यक्ति एक ऐसे कमरे में फंस गए हैं जिसमें आग लगी हुई है। आग से घिरे व्यक्तियों को बचाने के लिए श्री बिस्वल तत्काल उस स्थान पर गए, दुर्भाग्यवश उस घर का दरवाजा अन्दर से बन्द था। उन्होंने औजारों की मदद से दरवाजा तोड़ डाला और कमरे में वाटरजेट से पानी की बौछार करने का आदेश दिया। क्योंकि कमरा घने धुएं से भरा हुआ था, इसलिए उन्हें वहां पर फंसे हुए व्यक्तियों को ढूंढना पड़ा और उन्होंने एक 50 वर्षीय महिला को बचाया। अपनी जान की परवाह किये बिना श्री बिस्वल ने दूसरी बार कमरे में प्रवेश किया और 20 वर्षीय एक अन्य महिला को बचाया। इन कार्यों के दौरान श्री बिस्वल को गर्मी तथा घने धुएं के कारण बेहोश अपने एक सहयोगी श्री रघुनाथ रथेन को भी बचाना पड़ा। सभी घायल व्यक्ति आवश्यक चिकित्सा के बाद, केवल एक 50 वर्षीय महिला को छोड़कर जिनकी घावों के कारण मृत्यु हो गई, बच गए। मानव मात्र की जीवन रक्षा करने में श्री नटवर बिस्वल के उत्कृष्ट साहस और कर्त्तव्य निष्ठा की स्थानीय लोगों, समाचार पत्रों तथा उच्च अधिकारियों द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गई।

इस कार्यवाही में श्री नटवर बिस्वल, स्टेशन अफसर ने अनुकरणीय साहस, पहलशक्ति तथा उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक अग्निशमन सेवा पदक से सम्बन्धित नियमों के नियम 3 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए प्रदान किया जाता है और फलस्वरूप नियम 5 (क) के अन्तर्गत स्वीकृत आर्थिक भत्ता भी पुरस्कार की प्रभावी तिथि से दिया जाएगा।

सं० 2-प्रेज/86—राष्ट्रपति, 1986 के गणतन्त्र दिवस के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी सराहनीय सेवा के लिए अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

श्री शादीलाल,
फायर सुपरवाइजर ग्रेड-1,
रक्षा मन्त्रालय।
फोरमैन,

श्री सुख राम प्रसाद,
रक्षा मन्त्रालय।

श्री सरदिन्दु शेखर भट्टाचार्जी
सहायक निदेशक,
राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कालेज,
नागपुर।

श्री पूरण बहादुर,
लीडिंग फायरमैन,
राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कालेज,
नागपुर।

श्री गावी रेड्डी लक्ष्मण राव,
फायरमैन,
आंध्र प्रदेश।

श्री कोट्टी नागेश्वर राव,
ड्राइवर-आपरेटर,
आंध्र प्रदेश।

श्री शेक महबूब,
फायरमैन,
आंध्र प्रदेश।

श्री जी० राम मूर्ति,
ड्राइवर-आपरेटर,
आंध्र प्रदेश।

श्री वदाकूर नीलकंठन मरार दिवाकर मरार,
स्टेशन अफसर,
केरल।

श्री कोल्लाथरम्बित नारायण पलानी,
लीडिंग फायरमैन,
केरल।

श्री कापे सदाशिव कुमार पणिक्कर रवीन्द्र पणिक्कर,
फायरमैन,
केरल।

श्री मोहम्मद कुंजू असन अब्दुल गफूर,
फायरमैन-ड्राइवर-व-पम्प-आपरेटर,
केरल।

श्री घाटे वासुदेव लक्ष्मण,
फायर ब्रिगेड अफसर,
महाराष्ट्र ।

श्री दाजी शंकर पारब,
सब-अफसर,
महाराष्ट्र ।

श्री विश्व नाथ सिंह,
फायर स्टेशन अफसर,
मेघालय ।

श्री दुर्गा चरण प्रधान,
लीडिंग फायरमैन,
उड़ीसा ।

श्री एम० के० जॉय,
स्टेशन फायर अफसर,
तमिलनाडु ।

श्री के० सबरीमुत्तु गेब्रील,
लीडिंग फायरमैन
तमिलनाडु ।

श्री मुतिया थेवर पेरुमल,
ड्राइवर-मैकेनिक,
तमिलनाडु ।

श्री तैला कोमार पुथुसामी,
फायरमैन,
तमिलनाडु ।

श्री सुधीन्द्र नाथ राय चौधरी
फायर प्रोटेक्शन अफसर (विशेष),
पश्चिम बंगाल ।

श्री सुमन सेन गुप्ता
स्टेशन अफसर,
पश्चिम बंगाल ।

श्री स्नाविरे गॉडर पवदाई,
लीडिंग फायरमैन,
संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी ।

श्री मनोहर लाल डंग,
इंस्पेक्टर (फायर),
रेल विभाग,
परिवहन मन्त्रालय ।

श्री यूसेबियस कन्सालवेंज,
असिस्टेण्ट कमांडेंट (फायर),
रेल विभाग,
परिवहन मन्त्रालय ।

श्री कोल्लुरी भुजंग राव,
असिस्टेण्ट कमांडेंट (फायर),
रेल विभाग,
परिवहन मन्त्रालय ।

श्री प्रेम सिंह निहाल सिंह पांचाल,
सहायक महानिरीक्षक (फायर),
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ।

ये पदक अग्निशमन सेवा पदक से सम्बन्धित नियमों के नियम 3 (11) के अन्तर्गत दिए जा रहे हैं ।

सं० 3-प्रेज/86—राष्ट्रपति, 1986 के गणतन्त्र दिवस के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारी को उनकी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का गृह रक्षक व नागरिक सुरक्षा पदक सहर्ष प्रदान करते है :—

श्री भीमराव रामराव देशमुख,
जिला कमांडेंट (अवैतनिक),
महाराष्ट्र ।

यह पदक राष्ट्रपति के गृह रक्षक व नागरिक सुरक्षा पदक की नियमावली नियम 3 (11) के अन्तर्गत प्रदान किया जा रहा है ।

सं० 4-प्रेज/86—राष्ट्रपति, 1986 के गणतन्त्र दिवस के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी सराहनीय सेवा के लिए गृह रक्षक व नागरिक सुरक्षा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

श्री मोहम्मद सुल्तान खान,
सेक्शन कमांडर,
जम्मू व कश्मीर ।

श्री सी० टी० वीरन्ना,
स्टाफ अफसर (प्रशिक्षण),
(अवैतनिक),
कर्नाटक ।

श्री एम० नागोजी राव,
स्टाफ अफसर (लेखा),
(अवैतनिक),
कर्नाटक ।

श्री ए० जी० तिरुवेंगडम,
कम्पनी कमांडर,
(अवैतनिक),
कर्नाटक ।

श्री चन्द्रशेखर अडोले,
कम्पनी हवलदार मेजर,
(अवैतनिक),
मध्य प्रदेश ।

श्री नत्थू लाल,
कम्पनी हवलदार मेजर,
(वालंटियर),
मध्य प्रदेश ।

श्री सौखी लाल,
कम्पनी हवलदार मेजर,
(वालंटियर),
मध्य प्रदेश ।

श्री गुरुचरण सिंह बोपाराय,
बटालियन कमांडर,
पंजाब ।

श्री पी० आर० रामसुब्रमण्य राजा,
असिस्टेंट कमांडेंट जनरल,
(वालंटियर),
तमिलनाडु ।

श्री ए० आलसुन्दरम,
कम्पनी कमांडर,
(वालंटियर),
तमिलनाडु ।

श्री ए० के० आदिनारायणन,
डिविजनल कमांडर,
(वालंटियर),
तमिलनाडु ।

श्री चरणजीत सिंह कोछड़,
उप नियन्त्रक नागरिक सुरक्षा,
संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ ।

श्री गोकुलदास हरीशचन्द्र कौर्यकर,
नागरिक सुरक्षा अनुदेशक,
संघ राज्य क्षेत्र, गोवा ।

श्री कनगवेलु रामलिंगम,
असिस्टेंट प्लाटून कमांडर,
(अवैतनिक),
संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी ।

श्री हरि शंकर सिंह,
क्वार्टर मास्टर,
उत्तर प्रदेश ।

श्री सूरज गिरि गोस्वामी,
कनिष्ठ अनुदेशक,
उत्तर प्रदेश ।

श्री पुरुषोत्तम दास तनु,
कम्पनी कमांडर,
(वालंटियर),
हिमाचल प्रदेश ।

कुमारी जयवन्त सोथी,
कम्पनी कमांडर,
(वालंटियर),
हिमाचल प्रदेश ।

श्री जमना प्रसाद भटनागर,
अपर जिला कमांडेंट,
(वालंटियर),
संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली ।

श्री सतीश चन्द्र गोयल,
स्टाफ अफसर,
(अवैतनिक),
संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली ।

श्री कृष्णमूर्ति नन्दयाल,
सहायक निदेशक,
आपात सहायता,
राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा कालेज,
नागपुर,
महाराष्ट्र ।

यह पदक गृह रक्षक व नागरिक सुरक्षा पदक नियमावली के नियम 3(ii) के अन्तर्गत दिए जा रहे हैं ।

सं० 8-प्रेस/86—राष्ट्रपति, 1986 के गणतन्त्र दिवस के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

श्री बी० श्रीकान्थ रेड्डी,
पुलिस उप-महानिरीक्षक,
अपराध,
हैदराबाद,
आंध्र प्रदेश ।

श्री निरंजनाथ चंगकाकोटी,
पुलिस महानिरीक्षक,
(प्रशिक्षण तथा सशस्त्र पुलिस),
गुवाहाटी,
असम ।

श्री गजेन्द्र नारायण,
पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन),
पटना,
बिहार ।

श्री अखिलेन्द्र नाथ त्रिवेदी,
पुलिस उप-महानिरीक्षक
संचार,
पटना,
बिहार ।

श्री शिव लाल,
पुलिस विशेष-महानिरीक्षक,
आसूचना,
अहमदाबाद,
गुजरात ।

श्री विजेन्द्र कुमार झा,
पुलिस आयुक्त,
अहमदाबाद सिटी,
गुजरात ।

श्री मनमोहन सिंह बावा,
पुलिस महानिदेशक,
चंडीगढ़,
हरियाणा ।

श्री गुलाम जीलानी पंडित,
पुलिस महानिदेशक,
(सतर्कता, अग्निशमन सेवाएं तथा जेलें),
श्रीनगर,
जम्मू-व-कश्मीर ।

श्री गोडावल्हल रंगप्पा परमेश्वरप्पा,
पुलिस सहायक आयुक्त,
शेषाद्रिपुरम डिवीजन,
बंगलौर सिटी,
कर्नाटक ।

श्री पीचोली चांदू वासुदेवन,
पुलिस सब-इंस्पेक्टर,
त्रिचूर,
केरल ।

श्री आफ़ताब अहमद अली,
पुलिस महानिरीक्षक,
जबलपुर,
मध्य प्रदेश ।

श्री रघुनन्दन शर्मा,
पुलिस उप-अधीक्षक,
शिवपुरी,
मध्य प्रदेश ।

श्री वसन्त केशवराव सराफ,
पुलिस विशेष-महानिरीक्षक,
सी० आई० डी० (अपराध),
पुणे,
महाराष्ट्र ।

श्री विजयसिंह रघुनाथ सावन्त,
पुलिस इंस्पेक्टर,
भ्रष्टाचार-निरोध ब्यूरो,
बम्बई,
महाराष्ट्र ।

श्री विजय कुमार पाणिग्रही,
पुलिस महानिदेशक तथा महानिरीक्षक,
कटक,
उड़ीसा।

श्री राजवंत सिंह,
पुलिस उप-अधीक्षक,
7वीं बटालियन,
पी० ए० पी०,
जालन्धर छावनी,
पंजाब।

श्री राजेन्द्र शेखर,
पुलिस विशेष-महानिरीक्षक (अपराध)
जयपुर,
राजस्थान।

श्री कुंजु कुंजुकृष्ण राजशेखरन नायर,
पुलिस उप-महानिरीक्षक,
सी० आई० डी० (अपराध),
मद्रास,
तमिलनाडु।

श्री दया शंकर भटनागर,
पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण),
लखनऊ,
उत्तर प्रदेश।

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंघल,
पुलिस महानिरीक्षक,
पुलिस प्रशिक्षण कालेज (1),
मुरादाबाद,
उत्तर प्रदेश।

श्री अरुण प्रसाद मुखर्जी,
पुलिस विशेष-महानिरीक्षक,
मुख्यालय,
कलकत्ता,
पश्चिम बंगाल।

श्री सव्यसाची बन्धोपाध्याय,
पुलिस सहायक आयुक्त (आसूचना),
खुफिया विभाग,
कलकत्ता,
पश्चिम बंगाल।

श्री बलजीत सिंह,
पुलिस इंस्पेक्टर (नं० डी-1/48),
संसद मार्ग,
नई दिल्ली,
दिल्ली प्रशासन।

श्री सत्य पाल गोरीवारा,
अपर उप-महानिरीक्षक,
बी० एस० एफ० सिगनल ट्रेनिंग स्कूल,
नई दिल्ली,
सीमा सुरक्षा बल।

श्री मोहिन्दर सिंह संधु,
सहायक निदेशक (आपरेशन्स),
मुख्यालय महानिरीक्षक,
सीमा सुरक्षा बल, पंजाब,
जालन्धर कैन्ट,
सीमा सुरक्षा बल।

श्री जगत राम,
सूबेदार मेजर,
53 बटालियन,
शिलांग,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

श्री बलवन्त सिंह रावत,
सहायक कमांडेंट,
IX बटालियन,
भारत तिब्बत-सीमा पुलिस।

श्री कृष्ण कुमार पुरी,
संयुक्त निदेशक,
सी० बी० आई०,
नई दिल्ली,
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो।

श्री चिन्ता मणि शर्मा,
पुलिस उप-महानिरीक्षक,
सी० बी० आई०,
एस० आई० सी०,
नई दिल्ली,
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो।

श्री मोहन लाल सभरवाल,
पुलिस अधीक्षक,
केन्द्रीय अन्वेषक पुलिस (ई)-1,
नई दिल्ली,
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो।

श्री सुरेश चन्द्र मेहता,
संयुक्त निदेशक,
आसूचना ब्यूरो मुख्यालय,
नई दिल्ली,
आसूचना ब्यूरो।

श्री अवध नारायण श्रीवास्तव,
संयुक्त निदेशक,
सहायक आसूचना ब्यूरो,
कलकत्ता,
आसूचना ब्यूरो।

श्री विजय शंकर दे,
वरिष्ठ आसूचना अधिकारी,
सहायक आसूचना ब्यूरो,
कलकत्ता,
आसूचना ब्यूरो।

श्री प्रेम धर मालवीय,
उप-निदेशक (प्रशिक्षण),
सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी,
हैदराबाद।

श्री रामलिंग रामलिंगम,
अपर महानिरीक्षक,
रेलवे सुरक्षा बल,
दक्षिण रेलवे,
मद्रास,
रेल विभाग।

श्री सईद महमद खां,
उप महानिरीक्षक,
रेलवे सुरक्षा बल,
पश्चिम रेलवे,
बम्बई,
रेल विभाग।

ये पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (II) के अन्तर्गत दिए जा रहे हैं।

सं० 0/प्रेस/86---राष्ट्रपति, 1986 के गणतन्त्र दिवस के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी सराहनीय सेवा के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

श्री चेकुरु आंजनेय रेड्डी,
पुलिस उप-महानिरीक्षक,
विशाखापटनम रेंज,
आन्ध्र प्रदेश।

श्री विष्णुभटला वेंकटेश्वरलू,
पुलिस उप-अधीक्षक,
आसूचना,
विजयवाड़ा,
आन्ध्र प्रदेश।

श्री गड्डी रेड्डी रामी रेड्डी,
पुलिस सहायक आयुक्त,
पंजगुट्टा डिवीजन,
हैदराबाद सिटी,
आन्ध्र प्रदेश।

श्री मयरेड्डी वेंकट नरसिंह रेड्डी,
पुलिस इंस्पैक्टर,
रंगा रेड्डी जिला,
आन्ध्र प्र देश।

श्री रवि सूर्यनारायण
पुलिस इंस्पेक्टर,
अष्टाचार निरोध ब्यूरो,
सिटी रेंज,
हैदराबाद,
आन्ध्र प्रदेश।

श्री नारी सेट्टी यादगिरि,
पुलिस इंस्पेक्टर,
अपराध शाखा,
सी० आई० डी०,
हैदराबाद,
आन्ध्र प्रदेश।

श्री रायुडु सूर्यनारायण,
पुलिस सब-इंस्पेक्टर,
विशाखापटनम,
आन्ध्र प्रदेश।

श्री एम० वेंकटेश्वरलू,
पुलिस असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर,
चित्तूर जिला,
आन्ध्र प्रदेश।

श्री शेक अली,
कांस्टेबल सं० 805,
अष्टाचार-निरोध ब्यूरो,
निजामाबाद रेंज,
आन्ध्र प्रदेश।

श्री एस० एम० अब्दुल बारी खांडकर,
पुलिस अधीक्षक,
दारांग,
मंगलदोई,
असम।

श्री मनेश्वर बैंगल,
पुलिस अधीक्षक,
सतर्कता एवं भ्रष्टाचार-निरोध,
गुवाहाटी,
असम।

श्री तारकेश्वर प्रसाद सिन्हा,
(डी० आई० जी०),
अपर सचिव,
गृह (विशेष) विभाग,
पटना,
बिहार।

श्री नागेश्वर प्रसाद सहाय,
(पुलिस अधीक्षक)
कमांडेंट,
बी० एम० पी०-1,
रांची,
बिहार।

श्री राकेश प्रसाद सिंह,
पुलिस अपर-अधीक्षक,
जोनल पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय,
पटना,
बिहार।

श्री सुसारन एनम टोप्नो,
पुलिस इंस्पैक्टर,
विशेष शाखा,
रामगढ़,
हजारीबाग,
बिहार।

श्रीमती सुशीला त्रिवेदी,
पुलिस इंस्पैक्टर,
कानून-शिक्षक,
पुलिस प्रशिक्षण कालेज,
हजारीबाग,
बिहार।

श्री वाउद खां,
पुलिस सब-इंस्पैक्टर,
सी० आई० डी० मुख्यालय,
पटना,
बिहार।

श्री मोहम्मद सलाउद्दीन,
हवलदार,
पुलिस लाइन्स,
पूर्णिया,
बिहार।

श्री उमेद सिंह रावल,
हवलदार,
मंत्रिमण्डल (सतर्कता) विभाग,
पटना,
बिहार।

श्री गिरजा शंकर केशवलाल रावल,
पुलिस इंस्पेक्टर,
भ्रष्टाचार-निरोध ब्यूरो,
जामनगर,
गुजरात।

श्री प्रभा शंकर परमानन्द मेहता,
पुलिस इंस्पेक्टर,
भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो,
बड़ौदा,
गुजरात।

श्री शंकर देवराम भोसले,
पुलिस सब-इंस्पैक्टर,
विशेष शाखा,
सूरत सिटी,
गुजरात।

श्री पंजाराम प्रबाजी शिन्दे,
पुलिस सब-इंस्पेक्टर,
राज्य रिजर्व पुलिस बल, ग्रुप—1,
बड़ौदा,
गुजरात।

श्री रणजीत सिंह मदन सिंह सोलंकी,
पुलिस सब-इंस्पेक्टर,
पुलिस आयुक्त का कार्यालय,
अहमदाबाद सिटी,
गुजरात।

श्री मंगलसिंह अर्जुनसिंह चौहान,
हैड कांस्टेबल
भ्रष्टाचार-निरोध ब्यूरो,
अहमदाबाद,
गुजरात।

श्री वन सीताराम पवार,
जमादार,
पुलिस मुख्यालय,
सूरत सिटी,
गुजरात।

श्री सालिग राम गोविन्द ठाकुर,
हैड कांस्टेबल,
भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो,
बड़ौदा,
गुजरात।

श्री जीवाजी धोलूजी बडव,
हैड कांस्टेबल,
भ्रष्टाचार-निरोध ब्यूरो,
मेहसाना,
गुजरात।

श्री रणधीर सिंह हुडा,
पुलिस अधीक्षक,
अपराध,
सी० आई० डी०,
चण्डीगढ़,
हरियाणा।

श्री रतन सिंह,
पुलिस उप-अधीक्षक,
राज्य सतर्कता ब्यूरो,
चण्डीगढ़,
हरियाणा।

श्री दीप चन्द,
पुलिस इंस्पैक्टर,
यमुना नगर,
जिला अम्बाला,
हरियाणा।

श्री नानू राम,
पुलिस इंस्पैक्टर,
सी० आई० डी०,
चण्डीगढ़।
हरियाणा।

श्री विष्णु दत्त,
पुलिस उप-अधीक्षक,
शिमला,
हिमाचल प्रदेश।

श्री भगोती प्रकाश,
पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पैक्टर,
(एकाउंटेंट), हमीरपुर,
हिमाचल प्रदेश।

श्री मोहम्मद मजहर नोमानी,
पुलिस उप-महानिरीक्षक,
सी० आई० डी०,
जम्मू,
जम्मू-व-काश्मीर।

श्री अल्लाह बक्श,
पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक,
जिला जम्मू,
जम्मू-व-कश्मीर।

श्री नरसिंह देव जाम्वाल,
पुलिस उप-अधीक्षक,
(आयुध और गोलाबारूद),
पुलिस मुख्यालय,
जम्मू व कश्मीर।

श्री वेल्लोर विश्वनाथ भास्कर,
पुलिस उप-महानिरीक्षक,
(प्रशिक्षण) बंगलौर,
कर्नाटक।

श्री सुलवापल्ली चिन्ना चिन्नप्पा,
पुलिस उप-अधीक्षक,
सी० आई० डी०,
बाद सैल,
बंगलौर,
कर्नाटक।

श्री बाजल जयनन्द अमीन,
पुलिस उप-अधीक्षक,
पुलिस प्रशिक्षण कालेज,
मैसूर,
कर्नाटक।

श्री नरगापुरा वेंकट चलैया रघुनाथ राव,
पुलिस उप-अधीक्षक,
राज्य आसूचना,
बंगलौर,
कर्नाटक।

श्री यशवन्त पायक राणे,
पुलिस इंस्पैक्टर,
राज्य आसूचना,
कारवार,
कर्नाटक।

श्री शिवप्पा,
पुलिस इंस्पैक्टर,
सतर्कता दस्ता,
कर्नाटक बिजली बोर्ड,
बंगलौर,
कर्नाटक।

श्री होसाहली रेवैया थिमैया,
पुलिस सब-इंस्पैक्टर,
अपराध,
बंगलौर,
कर्नाटक।

श्री मुकुन्द राव,
हैड कांस्टेबल नं० 11,
के० ए० आर० पी०, माउंटेड कम्पनी,
मैसूर,
कर्नाटक।

श्री अब्दुल मजीद,
कांस्टेबल,
के० ए० आर० पी०, माउन्टेड कम्पनी,
मैसूर,
कर्नाटक।

श्री तजातुवेतिल मधुसूदनन,
पुलिस महानिर्देशक,
तिरुवनन्तपुरम,
केरल।

श्री आर्यमपिल्ली नारायण विष्णु भट्टतिरिपद,
कमांडेंट,
के० ए० पी०—1, बटालियन,
त्रिचूर,
केरल।

श्री पद्मनाभन राजगोपालन,
सहायक कमांडेंट,
(चीफ ड्रिल इन्स्ट्रक्टर),
के० ए० पी०—11, बटालियन,
केरल।

श्री पोकरकल बावा मोहम्मद,
पुलिस सब-इंस्पैक्टर,
एर्नाकुलम,
केरल।

श्री माधवन पिल्लै अयप्पन नायर,
हैड कांस्टेबल नं० ए० 1092,
अलेपी जिला,
केरल।

श्री सुदर्शन सिंह,
पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण),
भोपाल,
मध्य प्रदेश।

श्री अयोध्या नाथ पाठक,
पुलिस उप-महानिपरीक्षक,
ग्वालियर,
मध्य प्रदेश।

श्री नारायण सिंघर,
पुलिस सहायक महानिरीक्षक,
एस० बी० आई,
आर्थिक अपराध,
इन्दौर,
मध्य प्रदेश।

श्री राम लाल वर्मा,
पुलिस अधीक्षक,
इन्दौर,
मध्य प्रदेश।

श्री हनुमान प्रसाद तिवारी,
पुलिस अपर-अधीक्षक,
बस्तर जिला,
मध्य प्रदेश।

श्री वासु देव सिंह चौहान,
पुलिस उप-अधीक्षक,
सी० आई० डी०,
ग्वालियर,
मध्य प्रदेश।

श्री दयाशंकर मिश्र,
पुलिस इंस्पैक्टर,
विशेष शाखा,
जबलपुर,
मध्य प्रदेश।

श्री कंवल लाल मवानी,
पुलिस इंस्पैक्टर,
विशेष शाखा,
ग्वालियर,
मध्य प्रदेश।

श्री महादेव प्रसाद यादव,
कम्पनी कमांडर,
13 वीं बटालियन,
एस० ए० एफ०,
ग्वालियर,
मध्य प्रदेश।

श्री अपरबल सिंह,
प्लाटून कमांडर,
25वीं बटालियन,
एस० ए० एफ०,
भोपाल,
मध्य प्रदेश।

श्री हाकिम सिंह,
हैड कांस्टेबल नं० 17,
25 वीं बटालियन,
एस० ए० एफ०,
भोपाल,
मध्य प्रदेश।

श्री गोविन्द सिंह,
कांस्टेबल,
पुलिस स्टेशन उन्नादा,
दतिया,
मध्य प्रदेश।

श्री पी० एस० नारायणस्वामी,
पुलिस उप महानिरीक्षक,
सी० आई० डी० (अपराध),
पुणे,
महाराष्ट्र।

श्री सुखदेव सिंह पुरी,
पुलिस उप-महानिरीक्षक,
बम्बई पोर्ट ट्रस्ट,
बम्बई,
महाराष्ट्र।

श्री पुरुषोत्तम प्रभाकर जोशी,
पुलिस अधीक्षक
वायरलेस,
पुणे,
महाराष्ट्र।

श्री यादव चिन्धा पवार,
पुलिस उप-आयुक्त,
ग्रेटर बम्बई,
महाराष्ट्र।

श्री दिनकरराव विट्ठल राव देशपांडे,
पुलिस उप-अधीक्षक,
जिला वर्धा,
महाराष्ट्र।

श्री पांडुरंग देवप्पा उसुलकर,
सहायक कमांडेंट,
राज्य रिजर्व पुलिस बल,
पुणे,
महाराष्ट्र।

श्री मधुकर गंगादीन गोडसे,
सीनियर इंस्पैक्टर आफ पुलिस,
कांदीवली,
ग्रैटर बम्बई,
महाराष्ट्र।

श्री अरविन्द गंगाधर कोल्होक,
पुलिस इंस्पैक्टर,
खड़क पुलिस स्टेशन,
पुणे सिटी,
महाराष्ट्र।

श्री राजकुमार दीनानाथ वाघले,
पुलिस इंस्पैक्टर,
राज्य रिजर्व पुलिस बल,
पुणे,
महाराष्ट्र।

श्री रामदास नारायण कामत,
सीनियर इंस्पैक्टर आफ पुलिस
खेरवाड़ी पुलिस स्टेशन,
बम्बई,
महाराष्ट्र।

श्री शंकरप्पा भानप्पा बागेवाड़ी,
पुलिस इंस्पैक्टर,
राज्य रिजर्व पुलिस बल,
दाउन्द,
महाराष्ट्र।

श्री हनुमन्त नारायण कठपुरकर,
पुलिस सब इंस्पैक्टर,
रायगढ़ जिला,
महाराष्ट्र।

श्री विनोद चन्द्र महादेव जोशी,
पुलिस सब-इंस्पैक्टर,
विशेष शाखा,
सी० आई० डी०,
बम्बई,
महाराष्ट्र।

श्री माधव राव रंगनाथराव जोशी,
वरिष्ठ आसूचना अधिकारी,
सी० आई० डी० (आसूचना एस० डब्ल्यू०),
नान्देड़,
महाराष्ट्र।

श्री नागेश्वर प्रसाद रामदास पाण्डेय,
पुलिस असिस्टेंट सब-इंस्पैक्टर (बी० नं० 202),
नागपुर सिटी,
महाराष्ट्र।

श्री विटल तुकाराम काम्बले,
पुलिस असिस्टेंट, सब इंस्पैक्टर,
सांगली,
महाराष्ट्र।

श्री वासुदेव सखाराम देसाई,
हैड कांस्टेबल नं० 6303,
नागपाड़ा डिवीजन,
महाराष्ट्र।

श्री पांडुरंग गावाजी पवार,
हैड कांस्टेबल नं० 2353,
खड़की पुलिस स्टेशन,
पुणे सिटी,
महाराष्ट्र।

श्री कृष्णन, कण्णन,
पुलिस अधीक्षक,
सी० आई० डी० (विशेष शाखा),
इम्फाल,
मणिपुर।

श्री रोहलीरा पार्टे,
पुलिस उप-अधीक्षक,
थानलोन,
मणिपुर।

श्री नुगशिलिवा आओ,
पुलिस उप-महानिरीक्षक,
कोहिमा,
नागालैंड।

श्री अकांग यांगेर आओ,
कमांडेंट,
चौथी बटालियन,
एन० ए० पी०,
थिजमा,
नागालैंड ।

श्री महेश्वर राउत,
पुलिस उप-अधीक्षक,
सी० आई० डी०,
अपराध शाखा,
कटक,
उड़ीसा ।

श्री सरवेश्वर कार,
पुलिस इंस्पैक्टर,
सतर्कता,
कटक,
उड़ीसा ।

श्री जुगल किशोर नन्दा,
पुलिस इंस्पैक्टर,
पुलिस प्रशिक्षण कालेज,
आंगुल,
उड़ीसा ।

श्री गौरंग चरण बेपुरा
पुलिस असिस्टेंट सब-इंस्पैक्टर,
सतर्कता,
कटक,
उड़ीसा ।

श्री निमाई चरन पांडा,
कांस्टेबल नं० 48,
बोलनगीर,
उड़ीसा ।

श्री बलदेव सिंह ग्राउ,
पुलिस अधीक्षक,
फिरोजपुर,
पंजाब ।

श्रीमती जय कान्ता,
पुलिस उप-अधीक्षक,
(कम्प्यूटरी करण),
चंडीगढ़ ,
पंजाब ।

श्री रतनलाल,
पुलिस इंस्पैक्टर नं० एफ० आर०/50,
पटियाला,
पंजाब ।

श्री सुखदेव सिंह,
पुलिस सब-इंस्पैक्टर नं० 19/एफ० आर०,
पटियाला,
पंजाब ।

श्री राजिन्दर सिंह,
कांस्टेबल नं० 89 ,
होशियारपुर,
पंजाब ।

श्री नमो नारायण मीना,
पुलिस अधीक्षक,
जयपुर,
राजस्थान ।

श्री जगदीश प्रसाद मिश्र,
पुलिस अधीक्षक,
उदयपुर,
राजस्थान ।

श्री बनवारी लाल शर्मा,
पुलिस अपर-अधीक्षक,
उदयपुर,
राजस्थान ।

श्री रानी दान सिंह,
पुलिस इंस्पैक्टर,
अजमेर,
राजस्थान ।

श्री लाल चन्द मेहरा,
पुलिस सब-इंस्पैक्टर,
सी० आई० डी० (एम० एम० बी०),
जोधपुर,
राजस्थान ।

श्री फूल चन्द
पुलिस सब-इंस्पैक्टर,
जयपुर,
राजस्थान ।

श्री गिरधारी सिंह,
कांस्टेबल नं० 641,
जोधपुर,
राजस्थान ।

श्री पेमा शेरिंग लेप्चा,
हैड कांस्टेबल नं० 87,
नामची,
सिक्किम ।

श्री एफ० सी० शर्मा,
पुलिस उप-महानिरीक्षक,
एन्फोर्समेन्ट,
मद्रास,
तमिलनाडु ।

श्री दामोदरन मनोहरन,
पुलिस अधीक्षक,
सतर्कता तथा भ्रष्टाचार निरोध,
मद्रास,
तमिलनाडु ।

श्री सेलवानायगम हिरण्यदास,
पुलिस सहायक-आयुक्त,
आसूचना,
मद्रास,
तमिलनाडु ।

श्री जयवेलु पद्मनाभन,
पुलिस उप-अधीक्षक,
मदुरै,
तमिलनाडु ।

श्री कन्नपरम्बिल गंगाधरन,
पुलिस इंस्पैक्टर,
जिला विशेष शाखा,
चेंगलपट्टू,
तमिलनाडु ।

श्री सिगारवेलु पिल्ले श्रीकनकुकरसु,
पुलिस इंस्पैक्टर,
टी० एस० एम० पी०, IV बटालियन,
कोवइपुडुर,
तमिलनाडु ।

श्री कस्पन्न गौंडर वरदाराजन,
पुलिस सब-इंस्पैक्टर,
तिरुचिरापल्ली,
तमिलनाडु ।

श्री दोरुवेयर शिवसामी नटराजन,
पुलिस सब-इंस्पैक्टर,
एन० आई० बी०
अपराध शाखा,
सी० आई० डी,
मद्रास,
तमिलनाडु ।

श्री एम० डेविड,
हैड कांस्टेबल नं० 1126,
विशेष शाखा,
सी० आई० डी०,
मदुरै,
तमिलनाडु ।

श्री पी० कोलंडपाणि,
कांस्टेबल नं० 1579,
गार्ड आरकोट,
तमिलनाडु ।

श्री दिलीप चन्द्र कौमिक,
पुलिस असिस्टेन्ट सब-इंस्पैक्टर,
प्रावर्तन शाखा,
अगरतला,
त्रिपुरा ।

श्री सतीश कुमार मुकर्जी,
पुलिस महानिरीक्षक,
इ० ओ० डब्ल्यू०,
सी० आई० डी०,
लखनऊ,
उत्तर प्रदेश ।

श्री योगेश कुमार मिश्र,
पुलिस उप-महानिरीक्षक,
विशेष अपराध,
लखनऊ,
उत्तर प्रदेश ।

श्री कृष्ण चन्द्र,
पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक,
मुरादाबाद,
उत्तर प्रदेश ।

श्री ब्रजेन्द्र कुमार सिंह,
पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार-निरोध संगठन,
लखनऊ,
उत्तर प्रदेश ।

श्री रण बहादुर सिंह,
कमांडेंट,
IV बटालियन,
पी० ए० सी०,
इलाहाबाद,
उत्तर प्रदेश ।

श्री तमन्वर हुसैन,
पुलिस उप-अधीक्षक,
बहराइच,
उत्तर प्रदेश ।

श्री महावीर सिंह,
पुलिस उप-अधीक्षक,
लखनऊ,
उत्तर प्रदेश ।

श्री योगेन्द्र सिंह
पुलिस उप-अधीक्षक,
अलीगढ़,
उत्तर प्रदेश ।

श्री मेघ सिंह राणा,
पुलिस उप-अधीक्षक,
आगरा,
उत्तर प्रदेश ।

श्री शिव पूजन पांडे,
पुलिस इंस्पैक्टर,
भ्रष्टाचार-निरोध संगठन,
सी० आई० डी०,
फैजाबाद,
उत्तर प्रदेश ।

श्री शिव पूजन राम,
कंपनी कमाण्डर,
36, बटालियन,
पी० ए० सी०,
वाराणसी,
उत्तर प्रदेश ।

श्री सतेश्वर प्रसाद बहुगुणा,
पुलिस इंस्पैक्टर,
मथुरा,
उत्तर प्रदेश ।

श्री चौहारी सिंह,
पुलिस इंस्पैक्टर,
आसूचना विभाग,
इलाहाबाद,
उत्तर प्रदेश ।

श्री तेजस्व पाल सिंह,
पुलिस इंस्पैक्टर,
उत्तर प्रदेश सतर्कता स्थापना,
लखनऊ,
उत्तर प्रदेश ।

श्री मदन सिंह,
प्लाटून कमाण्डर,
36वीं बटालियन,
पी० ए० सी०,
वाराणसी,
उत्तर प्रदेश ।

श्री राम नारायण लाल श्रीवास्तव,
पुलिस डिप्टी इंस्पैक्टर (एम०),
आसूचना विभाग,
लखनऊ,
उत्तर प्रदेश ।

श्री ओमप्रकाश भारद्वाज,
पुलिस डिप्टी इंस्पैक्टर (एम०),
पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण), का कार्यालय,
लखनऊ,
उत्तर प्रदेश ।

श्री पुजारी त्रिपाठी,
हैड कांस्टेबल,
36 ए० पी०,
बस्ती,
उत्तर प्रदेश ।

श्री देवराम,
हैड कांस्टेबल,
9 ए० पी०,
नैनीताल,
उत्तर प्रदेश ।

श्री यशकरन सिंह,
हैड कांस्टेबल,
77 ए० पी०,
कानपुर नगर,
उत्तर प्रदेश ।

श्री मोहम्मद काविर,
हैड कांस्टेबल,
दूसरी बटालियन,
पी० ए० सी०,
सीतापुर,
उत्तर प्रदेश ।

श्री समरजीत सिंह,
कांस्टेबल नं० 122 ए० पी०,
बहराइच,
उत्तर प्रदेश ।

श्री सुजय कुमार चक्रवर्ती,
पुलिस उप-आयुक्त,
कलकत्ता,
पश्चिम बंगाल ।

श्री हरीश चन्द्र गांगुलि,
पुलिस उप-अधीक्षक,
सी० आई० डी०,
भवानी भवन,
कलकत्ता,
पश्चिम बंगाल ।

श्री सुधामय नन्दी,
पुलिस इंस्पैक्टर,
5वीं बटालियन,
सी० ए० पी०,
कलकत्ता,
पश्चिम बंगाल ।

श्री समीर कुमार भट्टाचार्जी,
पुलिस इंस्पैक्टर,
5वीं बटालियन,
सी० ए० पी०,
कलकत्ता,
पश्चिम बंगाल, ।

श्री शुभेन्द्र कास राय,
पुलिस इंस्पेक्टर,
सतर्कता आयोग
कलकत्ता,
पश्चिम बंगाल ।

श्री दुर्गा चरण दास,
पुलिस सब-इंस्पैक्टर,
आसूचना शाखा,
कलकत्ता,
पश्चिम बंगाल ।

श्री दुलाल चन्द्र घोष,
पुलिस सब-इंस्पैक्टर,
सी० आई० डी०,
कलकत्ता,
पश्चिम बंगाल ।

श्री रवीन्द्र नारायण मुखोपाध्याय,
पुलिस सार्जेन्ट,
पोर्ट डिवीजन,
कलकत्ता,
पश्चिम बंगाल ।

श्री नानी गोपाल दे,
हैड कांस्टेबल नं० 1279,
सी० ए० पी०,
हावड़ा,
पश्चिम बंगाल ।

श्री रणजीत कुमार दास,
कांस्टेबल नं० 86,
बैरकपुर,
पश्चिम बंगाल ।

श्री अबुलाश खां,
कांस्टेबल नं० 14605,
खुफिया विभाग,
लाल बाजार,
कलकत्ता,
पश्चिम बंगाल ।

श्री क्षितिन्द्र नाथ कार,
पुलिस उप-अधीक्षक
विशेष शाखा,
ईटानगर,
अरुणाचल प्रदेश ।

श्री केशव आत्माराम देसाई,
पुलिस उप-अधीक्षक,
सिविल डिफेन्स,
पणजी,
गोवा, दमण और दीव ।

श्री मकलिकोडियिल नारायणन कुट्टी,
हैड कांस्टेबल,
अगत्ती,
लक्षद्वीप ।

श्री सावलियनसंगा,
पुलिस इंस्पैक्टर,
पहली बटालियन,
एम० ए० पी०
मिजोरम ।

श्री सुरेण राय,
पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक,
पाडिचेरी ।

श्री वेगी पुलीयवीतिल आनन्दन,
पुलिस सब-इंस्पैक्टर,
पाडिचेरी ।

श्री प्रभाकर विठल सिगारी,
पुलिस उप-आयुक्त,
पहली बटालियन,
डी० ए० पी०,
दिल्ली प्रशासन ।

श्री प्रमोद कुमार कंथ,
पुलिस उप-आयुक्त,
अपराध तथा रेलवे,
दिल्ली प्रशासन ।

श्री मेवा सिंह,
पुलिस सब-इंस्पैक्टर नं० 190/डी,
विशेष शाखा,
दिल्ली प्रशासन ।

श्री मेहर चन्द,
पुलिस सब इंस्पैक्टर नं० डी/74,
चौथी बटालियन,
डी० ए० पी०,
दिल्ली प्रशासन ।

श्री नन्दन सिंह,
कांस्टेबल नं० 965/एन० डी०,
संसद मार्ग,
नई दिल्ली,
दिल्ली प्रशासन ।

डा० कृष्णाकान्त पाल,
पुलिस उप-आयुक्त,
विशेष अन्वेषण दल,
दिल्ली प्रशासन ।

श्री राजिन्दर प्रकाश कोछड़,
पुलिस सहायक आयुक्त,
विशेष अन्वेषण दल,
दिल्ली प्रशासन ।

श्री कुशल पाल शर्मा,
पुलिस सहायक-आयुक्त,
विशेष अन्वेषण दल,
दिल्ली प्रशासन ।

श्री रमाकान्त,
पुलिस इंस्पैक्टर नं० डी-145,
विशेष अन्वेषण दल,
दिल्ली प्रशासन ।

श्री नेतराम सिंह,
उप-महा निरीक्षक,
जोधपुर,
सीमा सुरक्षा बल ।

श्री एस० एम० अग्रवाल,
सहायक निदेशक (जी),
मुख्यालय महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल,
पंजाब,
सीमा सुरक्षा बल।

श्री पी० पी० एस० साहनी,
सहायक निदेशक (संचार),
मुख्यालय महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल,
जम्मू,
सीमा सुरक्षा बल ।

श्री एस० सी० कुमार,
डिप्टी कमांडेंट,
83 बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

श्री अम्मतंड उतप्पा कुशलप्पा,
डिप्टी कमांडेंट,
सीमा सुरक्षा बल अकादमी,
टेकनपुर,
सीमा सुरक्षा बल ।

श्री शंकर कृष्ण देशपांडे,
डिप्टी कमांडेंट/संयुक्त सहायक निदेशक (पर्स०),
मुख्यालय सीमा सुरक्षा बल,
नई दिल्ली,
सीमा सुरक्षा बल ।

श्री लखन सिंह,
असिस्टेंट कमांडेंट,
17 वीं बटालियन सीमा सुरक्षा बल,
जैसलमेर,
सीमा सुरक्षा बल ।

श्री निरन्जन सिंह,
सूबेदार,
52 वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

श्री शिव राम सिंह,
इंस्पैक्टर नं० 66243002,
104 बटालियन, सीमा सुरक्षा बल,
राय नगर,
सीमा सुरक्षा बल ।

श्री बलबीर सिंह,
सूबेदार मेजर नं० 662766559,
30 वीं बटालियन सीम सुरक्षा बल,
कदमतला,
सीमा सुरक्षा बल ।

श्री माधोराम शर्मा,
इंस्पैक्टर,
103, बटालियन सीमा सुरक्षा बल,
अमृतसर,
सीमा सुरक्षा बल ।

श्री अन्ने सिंह,
इंस्पेक्टर नं 66104029,
74 बटालियन सीमा सुरक्षा बल,
तूरा (मेघालय),
सीमा सुरक्षा बल ।

श्री विद्या सागर,
इंस्पैक्टर नं० 66477036,
72 बटालियन, (बी० एम० एफ०)
तेलियामुरा (त्रिपुरा),
सीमा सुरक्षा बल ।

श्री बालक राम,
सब इंस्पैक्टर नं० 67555016,
54 बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

श्री कोलप्पन पिल्ले जनार्दन पिल्ले,
असिस्टेंट सब-इंस्पैक्टर (आर० ओ०) नं० 680006752,
19वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

श्री उमराव सिंह,
हैड कांस्टेबल नं० 661320891,
13वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

श्री अखिल चन्द्र राय,
हैड कांस्टेबल नं० 66711078
मुख्यालय आई० जी०, बी० एस० एफ०,
शिलांग,
सीमा सुरक्षा बल ।

श्री बाबू राम,
कांस्टेबल नं. 704660641,
18 पोस्ट ग्रुप आर्टिलरी,
जैसलमेर,
सीमा सुरक्षा बल ।

श्री राम रक्षपाल सिंह,
उप-निदेशक (प्रशिक्षण),
महानिदेशालय,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल,
नई दिल्ली,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री देवेन्द्र कुमार सूरी,
कमांडेंट,
34वीं बटालियन,
आइजौल (मिजोरम),
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री कमांडेंट राजिन्दर प्रसाद तिवारी,
18वीं, बटालियन,
अलीगढ़,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री मेहताब सिंह,
कमांडेंट,
60वीं बटालियन,
नावगोंग (असम)
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल,

श्री शिव चन्द,
असिस्टेंट कमांडेंट,
49वीं बटालियन,
अमृतसर,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री जी० प्रेमसागरन,
पुलिस उप-अधीक्षक,
'ई' कंपनी 58वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

श्री रामकृपाल सिंह,
सूबेदार मेजर,
ग्रुप सेंटर,
पल्ली पुरम,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

श्री गुरुबख्श सिंह,
इंस्पैक्टर, नं० 571550246,
बी/22, बटालियन
अमृतसर,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री धरम सिंह,
सब इंस्पैक्टर नं० 560020106,
34 वीं बटालियन,
आईजौल (मिजोरम),
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री कान्हू चन्द,
सब-इंस्पेक्टर (आर्मरर), नं० 560010861,
ए० डब्ल्यू० एस- 3,
गोहाटी,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री मनोहर लाल
हैड कांस्टेबल नं० 531010011,
पहली सिगनल बटालियन,
झाड़ोदा कलां,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री महावीर सिंह,
हैड कांस्टेबल, नं० 510120076,
ग्रुप सेन्टर,
हैदराबाद,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री चरन सिंह,
हैड कांस्टेबल नं० 500080019
20वीं बटालियन,
नवगोंग (असम),
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

श्री लक्ष्मण दास,
कांस्टेबल नं० 610130813,
67वीं बटालियन,
लुधियाना,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री किशन लाल,
सफाई कर्मचारी नं० 560021382,
ग्रुप सेंटर,
बनतालाब, (जम्मू),
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री एन० सुब्रामण्य
फालोअर (कुक) नं० 680297394,
ग्रुप सेंटर,
पाल्लीपुरम,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री एम० पी० वासुदेवा
कमांडेंट
बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर,
कुल्लु,
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस ।

श्री मलबर सिंह,
सूबेदार नं० 758010065,
10वीं बटालियन,
मिरथी,
पिथोरागढ़ (उ० प्र०),
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस ।

श्री लक्ष्मी चन्द,
सब-इन्स्पेक्टर नं० 658030056,
वेसिक ट्रेनिंग सेंटर
कुल्लू,
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल।

श्री सुखलाल
कान्स्टेबल नं० 620201036
चौथी बटालियन,
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस।

श्री हरि प्रेम कुमार
उप-महानिरीक्षक,
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यूनिट,
हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड,
रांची,
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल।

श्री रामचन्द्र जानकीरामन,
असिस्टेंट कमांडेंट,
ग्रुप मुख्यालय,
मद्रास,
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल।

श्री ओम प्रकाश सिंह,
इंस्पेक्टर,
सी० आई० एस० एफ० यूनिट,
बी० सी० सी० एल०,
झरिया
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल।

श्री सोमदत्त त्यागी,
हेड कांस्टेबल नं० 6908193,
मुख्यालय,
नई दिल्ली
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल।

श्री शान्तनु सेन,
पुलिस उप-महानिरीक्षक,
एस० आई० सी० (पंजाब),
नई दिल्ली,
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो।

श्री विश्वनाथ सिन्हा,
पुलिस अधीक्षक,
सामान्य अपराध विंग,
कलकत्ता,
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो।

श्री सुगन सिंह भोगावत,
पुलिस उप अधीक्षक,
जयपुर,
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो।

श्री सुखदेव सिंह, समयाल
पुलिस उप-अधीक्षक,
श्रीनगर (जम्मू व कश्मीर),
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो।

श्री मरिमुथु त्यागराजन,
पुलिस उप-अधीक्षक,
सामान्य अपराध विंग,
मद्रास,
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो।

श्री [illegible] सिंह, [illegible],
पुलिस इंस्पेक्टर,
जोन 4, नई दिल्ली,
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो।

श्री ललित कुमार सेठी,
पुलिस इंस्पेक्टर,
विशेष यूनिट,
नई दिल्ली,
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो।

श्री तारक कान्ता राय,
पुलिस इंस्पेक्टर,
सामान्य अपराध विंग,
कलकत्ता,
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो।

श्री हरि राम,
पुलिस सब इंस्पेक्टर,
विशेष अन्वेषण सेल,
नई दिल्ली,
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री गोविन्द राजू राममूर्ति,
पुलिस असिस्टेंन्ट सब-इंस्पेक्टर,
सामान्य अपराध विंग मद्रास,
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो।

श्री कनक कान्ति भद्र,
हेड कांस्टेबल,
सामान्य अपराध विंग,
कलकत्ता,
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो।

श्री मनोहर राजाराम राणे,
कांस्टेबल,
आर्थिक अपराध विंग,
बम्बई,
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो।

श्री सुजीत कुमार, बनर्जी,
उप निरीक्षक,
सहायक आसूचना ब्यूरो,
तेजपुर,
आसूचना ब्यूरो।

श्री नीलाद्रि चन्द्र पाधी,
उप निदेशक,
सहायक आसूचना ब्यूरो,
कोहिमा,
आसूचना ब्यूरो।

श्री कृष्ण कान्त नागर,
सहायक निदेशक,
मुख्यालय,
नई दिल्ली,
आसूचना ब्यूरो।

श्री शरद नीलकंठ करन्दिकर,
सहायक निदेशक,
सहायक आसूचना ब्यूरो,
बम्बई,
आसूचना ब्यूरो।

श्री पेरियानायगम् बंजामिन,
सहायक निदेशक,
मुख्यालय,
नई दिल्ली,
आसूचना ब्यूरो ।

श्री पिन्चू शेरिंग भूटिया,
वरिष्ट आसूचना अधिकारी,
मुख्यालय,
नई दिल्ली,
आसूचना ब्यूरो ।

श्री देवी प्रसाद बड़थवाल,
वरिष्ठ आसूचना अधिकारी,
सहायक आसूचना ब्यूरो,
लखनऊ,
आसूचना ब्यूरो ।

श्री सच्चिदा नन्द सिंह,
वरिष्ठ आसूचना अधिकारी,
सहायक आसूचना ब्यूरो,
पटना,
आसूचना ब्यूरो ।

श्री मखनपाल कोवदानी,
उप केन्द्रीय आसूचना अधिकारी,
मुख्यालय,
नई दिल्ली,
आसूचना ब्यूरो ।

श्री सेमप्पल संथानम,
उप केन्द्रीय आसूचना अधिकारी,
मुख्यालय,
नई दिल्ली,
आसूचना ब्यूरो ।

श्री जार्ज चेरियन,
उप केन्द्रीय आसूचना अधिकारी,
सहायक आसूचना ब्यूरो,
त्रिवेन्द्रम,
आसूचना ब्यूरो ।

श्री अखिल प्रसन्न चटर्जी,
उप केन्द्रीय आसूचना अधिकारी,
सहायक आसूचना ब्यूरो,
कलकत्ता,
आसूचना ब्यूरो ।

श्री हरि वंश सिंह,
उप केन्द्रीय आसूचना अधिकारी,
सहायक आसूचना ब्यूरो,
लखनऊ,
आसूचना ब्यूरो ।

श्री बेदी राम शर्मा
उप केन्द्रीय आसूचना अधिकारी,
मुख्यालय,
नई दिल्ली,
आसूचना ब्यूरो ।

श्री गुरदेव सिंह सैनी,
उप केन्द्रीय आसूचना अधिकारी,
सहायक आसूचना ब्यूरो,
चंडीगढ़,
आसूचना ब्यूरो ।

श्री बालसामी कामन,
सहायक केन्द्रीय आसूचना अधिकारी,
सहायक आसूचना ब्यूरो,
मद्रास,
आसूचना ब्यूरो ।

श्री सुनील बरन चक्रवर्ती,
सहायक केन्द्रीय आसूचना अधिकारी,
सहायक आसूचना ब्यूरो,
कलकत्ता,
आसूचना ब्यूरो ।

श्री अन्नवेवरा वेंकट सुब्बाराव,
उप-निदेशक,
सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी,
हैदराबाद ।

श्री ए० वेल्लाप्पन पिल्लै,
असिस्टेंट डिप इंस्पेक्टर,
सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय अकादमी पुलिस अकादमी
हैदराबाद ।

श्री जनार्दन सिंह
पुलिस उप-महानिरीक्षक,
कुशल आणि प्रयोग,
नई दिल्ली ।

श्री केवल के० शर्मा,
उप-महानिरीक्षक,
रेलवे सुरक्षा बल,
उत्तर रेलवे, मुख्यालय, नई दिल्ली
रेल विभाग ।

श्री साम डी० थोमस,
कमांडेंट,
रेलवे सुरक्षा बल,
इंटीग्रल कोच फैक्टरी,
मद्रास,
रेल विभाग ।

श्री सुजित चन्द्र गुहा,
असिस्टेंट कमांडेंट (आसूचना)
रेलवे सुरक्षा बल,
रेल विभाग ।

श्री राज मणि शर्मा,
असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर,
6 बटालियन,
आर० पी० एस० एफ०,
दयाबस्ती,
दिल्ली,
रेल विभाग ।

श्री महताब सिंह
हैड कांस्टेबल,
आर० पी० एफ०,
दहोद स्टेशन,
रतलाम डिवीजन,
रेल विभाग ।

ये पदक पुलिस नियमावली के नियम 4 (II) के अन्तर्गत दिये जा रहे हैं ।

(मु० नीलकण्ठन)
राष्ट्रपति का उप सचिव

संसदीय कार्य पर्यटन मंत्रालय

पर्यटन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 21 दिसम्बर 1985

संकल्प

सं० 8-टी एल (32)/81—पर्यटन कार परिचालकों को पर्यटकों के प्रयोग के लिए वाहनों की खरीद करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने की दृष्टि से भारत सरकार के संकल्प सं० 6-ए-II सी (6)/64, दिनांक 16 जनवरी 1970 द्वारा यथा स्वीकृत एक योजना दिनांक 31 जनवरी 1970, के भारत राजपत्र में प्रकाशित की गई थी। तत्पश्चात भारत सरकार के संकल्प सं० VII- टी एल (1)/70, दिनांक 13 जुलाई 1970, 14 जनवरी 1970, 14 जनवरी 1971, 25 जुलाई 1972, 10 जुलाई 1972, 31 जुलाई 1976 तथा 21 अप्रैल 1982 द्वारा योजना की शर्तों में कुछ छूटें प्रदान की गई थी।

2. यह निर्णय किया गया है कि योजना की कुछ व्यवस्थाओं को और अधिक उदार बनाया जाए योजना में किए गए संशोधन इस संकल्प के अनुबन्ध में दिए गए है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रतिलिपि सभी संबन्धित व्यक्तियों को भेजी जाएं और आम सूचना के लिए इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

नितिश सेन गुप्ता
महानिदेशक पर्यटन एंव पदेन
अपर सचिव, भारत सरकार

अनुबंध

पर्यटक परिवहन वाहनों का भाड़ा खरीद की स्कीम की हिदायतों में संशोधन पैरा (6) आवेदकों की पात्रता

उप पैरा क (1) को संशोधित करके इस प्रकार पढ़ें :-

1. आवेदक के पास कम से काम तीन वाहनों का बेड़ा और चाहे वह उसे स्वयं चलाता हो या योग्य ड्राईवरों के माध्यम से चलवाता हो। तथापि यह शर्त यात्रा अभिकर्ताओं वन्य-जीव साज-सामान-संभारक, सेवा निवृत सैनिक कार्मिकों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति से संबंधित व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी और समिति के संविवेक पर निर्भर करते हुए एक छोटे परिचालक के बारे में भी इस शर्त से छूट दी जा सकती है जो कि तीन और इससे अधिक वाहनों के संचय या अंश सहित सामुहिक रुप से स्थायी नहीं है।

पैरा (12) किस्तों का भुगतान,

इस पैरा के नीचे उप-पैरा (ग) के रूप में निम्नलिखित जोड़ें :-

अनुसुचित जाति और अनुसुचित जन जाति से संबंधित आवेदकों के मामले में ऋण ब्याज मुक्त होगा कोई भाड़ा किस्त यदि अतिदेय हो जाए तो ऐसी किस्त की राशि पर भुगतान संबंधी चूक होने की तारीख से भुगतान की तारीख तक वाहन की खरीद के समय विद्यमान बैंक से दर से 4½% अधिक ब्याज की वसूली की जाएगी।

उपरोक्त दो संशोधन 1-1-1986 से लागू होगा और तीन साल तक रहेगा--

---

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक, 24 दिसम्बर 1985

आदेश

विषय—हीरा क्षेत्र में 170वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बी. 38 क्षेत्र (बम्बई अपतट में ओ० एन० जी० सी० के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाईसेंस की स्वीकृति।

सं० ओ-12012/3/78-उत्पादन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1959 के नियम 5 क के उपनियम (1) की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा तेल एंव प्राकृतिक गैस आयोग तेल भवन देहरादून जो इसके बाद आयोग कहा जायेगा को हीरा क्षेत्र में 170 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र (बी-38 क्षेत्र) बम्बई अपतट में पेट्रोलियम मिलने की संभावना हेतु एक पेट्रोलियम अन्वेषण लाईसेंस 20 नवम्बर 1984 से 20 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृति देती है।

इसके विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची "क" में दिए गए हैं।

2. खनन पट्टे की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर है :-

(1) खनन पट्टा पेट्रोलियम के संबंध में होगा

(2) यदि अन्वेषण कार्य के दौरान कोई खनिज पदार्थ पाये गये तो आयोग पूर्ण ब्यौरे के साथ उसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को देगा।

(3) (i) समस्त अशोधित तेल तथा कैरिंग हैड कन्डेंसेट पर 61 रुपये प्रति मीटर टन या ऐसी दर जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी

(ii) प्राकृतिक गैस के संबंध में यह दर केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर के अनुसार होगी।

(iii) (स्वत्व शुल्क रायल्टी) की अदायगी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय नई दिल्ली के वेतन तथा लेखा अधिकारी को दी जायेगी।

(4) आयोग पट्टे के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम सात दिनों में गत माह के प्राप्त समस्त अशोधित तेल की मात्रा कैरिंग हैड कंडेन्सेट और प्राकृतिक गैस की मात्रा और उसका कुल उचित मूल्य दर्शाने वाला एक पूर्ण तथा उचित विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजेगा। यह विवरण संलग्न अनुसूची 'ख' में दिये पत्र में भरकर देना होगा।

(5) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1959 के नियम 13 की आवश्यकता के अनुसार आयोग 20,000 रुपये की धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा।

(6) आयोग केन्द्रीय सरकार के पास (1) प्रारम्भिक खर्चों में जो 2000/ रुपये से अधिक नहीं है को पूरा करने और (II) पट्टे की स्वीकृति देने से पूर्व खनन पट्टे की फीस के रूप में जमा करायेगा।

(7) आयोग केन्द्रीय सरकार को प्रतिवर्ष निम्नलिखित दर से निर्धारित या वार्षिक हीड किराया अदा करेगा।

प्रथम 100 वर्ग किलोमीटर के लिए प्रति हेक्टेयर या इसके किसी भाग पर 12.50 रुपये और प्रथम 100 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र के लिए प्रतिहैक्टर या इसके किसी भाग पर 25/- रुपये परन्तु शर्त यह है कि पटटाधारी की मात्र हीड किराया या रायल्टी, या इनमें से जो भी बड़ी रकम हो दोनों नहीं अदा करने होंगे।

(8) आयोग केन्द्रीय सरकार को इसके द्वारा भूमि का सतही क्षेत्र जो इस पट्टे के अधीन आयोजित चालनों के लिए वास्तव में प्रयोग में लाया गया के लिए किराये की अदायगी करेगा, ऐसी दर पर सतही किराया भूमि राजस्व और भूमि पर मूल्यांकित अथवा मूल्यांकन किये जाने योग्य उपकर से अधिक नही होगा जैसाकि केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा (9) आयोग केन्द्रीय सरकार को प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई अथवा 1 जनवरी को अर्ध वार्षिक रायल्टी की अदायगी करेगा।

(10) केन्द्रीय सरकार को मांग पर उसको तत्काल तेल तथा प्राकृतिक गैस अन्वेषण के अन्तर्गत पाये गये समस्त खनिज पदार्थों के सम्बन्ध में भूवैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट गुप्त रूप से देगा तथा हर छः महीने में निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार को समस्त परिचालकों व्यक्षन तथा अन्वेषण कार्यों के परिणामों के बारे सूचना देगा।

(11) आयोग समुद्र की तलहटी और/या उसके धरातल पर आग लगने सम्बन्धी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा आग बुझाने हेतु हर समय के लिये ऐसे उपकरण, सामान तथा साधन बनाये रखेगा और तीसरी पार्टी और या सरकार को उतना मुआवजा देगा जितना कि आग लगने से हुई हानि के बारे में निर्धारित किया जायेगा।

(12) इस खनन पट्टे पर तेल का नियंत्रण और विकास अधिनियम 1948 (1948 का 53) और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के उपबन्ध लागू होंगे।

(13) सम्पूर्ण आंकड़े भारत में संकलित किये जाते हैं ।

(14) आयोग समग्री विज्ञान आंकड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

(15) आयोग एकत्र किये गये आंकड़ों की प्रतियां मुख्य हाइड्रोग्राफर को निशुल्क उपलब्ध करायेगा।

(16) आयोग इस बात को सुनिश्चित करे कि अगर विदेशी जलपोत लगाये जाते हैं तो उनका नौसेना सुरक्षा निरीक्षण विशेष अधिकारियों द्वारा उनके लगाये जाने से पूर्व किया जाये जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। आयोग नौसेना मुख्यालय को प्रत्येक पोत/रिग कि किस्म, वजन, आकार, सम्बन्धी विवरणों की आठ प्रतियां उनके बेस पर आने से कम से कम छः सप्ताह पहले भेजे ताकि निरीक्षण दल की प्रतिनियुक्ति हो सके।

(17) आयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत फार्म में पेट्रोलियम खनन पट्टे सम्बन्धी शीड कार्यान्वित करेगा।

(18) इस पट्टे के अन्तर्गत सरकार को देय कोई किराया, रायल्टी, कर फीस है, तो आयोग से भूमि राजस्व की बकाया राशि के रूप में प्राप्त की जाये ।

दी० के० राजगोपालन, डेस्क अधिकारी

अनुसूची "क"

हीरा क्षेत्र में 170 वर्ग किलोमीटर
(बी-38 क्षेत्र) बम्बई अपतट के लिए
खनन पट्टे के विवरण

प्वाइंट	अक्षांश	रेखांश
क	18° 40.5″	72° 12.5″
ख	18° 30″	72° 12.5″
ग	18° 30″	72° 17.5″
घ	18° 40.5″	72° 17.5″

खनन पट्टे के लिए कुल क्षेत्र-170 वर्ग किलोमीटर

अनुसूची—"ख"

अशोधित तेल, केसिंग कन्डेन्सेट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उसके मूल्य सहित मासिक वितरण के लिए पैट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस।

क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर।

माह तथा वर्ष

क—अशोधित तेल

कुल प्राप्त किलो लीटरों की सं०	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टनों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पैट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किए गए मी० टनों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टनों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ख—केसिंग हैड कन्डेन्सेट

प्राप्त किए गए कुल मी० टनों की सं०	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टनों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पैट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किए गए मी० टनों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टनों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ग—प्राकृतिक गैस

कुल प्राप्त घन टन मीटरों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये गए घन मीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पैट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किए गए घन मीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त घन मीटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

एतद्द्वारा मैं, श्री————————————सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूं कि इस विवरण में दी गई सूचना पूर्ण रूपेण सत्य और सही है, उसे सही समझते हुए मैं शुद्ध अन्तःकरण से सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं ।

हस्ताक्षर——————

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 जनवरी, 1986

संकल्प

सं० 48(8)/81-भेड़.—केन्द्रीय भेड़ विकास परामर्शदात्री परिषद के पुनर्गठन के सम्बन्ध में इस मंत्रालय के संकल्प सं० 48(8)/81-भेड़ दिनांक 8 नवम्बर, 1985 में भारत सरकार ने परिषद की शेष बकाया अवधि के लिये निम्नलिखित व्यक्तियों को उपर्युक्त परिषद के सदस्यों के रूप में नामजद करने का निर्णय लिया है :—

(1) संसद के प्रतिनिधि

(क) श्री शांति धारीवाल, सदस्य, लोक सभा

(ख) श्री राम पूजन पटेल, सदस्य, लोक सभा

(ग) श्री एम० बासवराज, सदस्य, राज्य सभा

(2) किसानों के हित का प्रतिनिधित्व करने वाले गैर सरकारी व्यक्ति

(घ) श्री एन० बासवराजू, एडवोकेट, कुराबारंधु, भवन, गांधी नगर, बंगलौर-9।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, योजना आयोग, मंत्रिमण्डल सचिवालय, प्रधान मंत्री का कार्यालय, लोक सभा सचिवालय तथा राज्य सभा सचिवालय को भेज दी जाए।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

बी० एस० सराय, अवर सचिव

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 जनवरी 1986

संकल्प

सं० वी-24030/1/85-डब्ल्यू०बी०—इस मंत्रालय के तारीख 17 जुलाई, 1985 के समसंख्यक संकल्प के क्रम में, भारत सरकार चीनी उद्योग के लिए गठित तीसरे मजदूरी बोर्ड की सदस्यता में श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री वीराश्वर त्यागी (हिं० म० स०) का त्याग-पत्र तत्काल प्रभाव से स्वीकार करती है।

भारत सरकार तारीख 17 जुलाई, 1985 के संकल्प की तहत अधिसूचित मजदूरी बोर्ड के गठन में निम्नलिखित परिवर्तन करती है :—

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले (2)

(2) श्री शिवाजीराव जी पाटिल, उपाध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटेड, 16, सुमीत हाउस, डी० एम० रोड़, बम्बई-400036।	स्वर्गीय श्री डी० वी० कादम के स्थान पर

कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले (2)

(5) श्री भाऊ पाठक, कोषपाल, आल इंडिया सुगर वर्कर्स फ़ेडरेशन, (एच० एम० एस०) तरंगण साधना सोसायटी, पुणे, शोलापुर रोड़, हृदपशार, पुणे-411028	श्री वीराश्वर त्यागी के स्थान पर

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उक्त संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि उक्त संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जायें।

बिशम्भर नाथ, अवर सचिव

पर्यावरण और वन मंत्रालय

(पर्यावरण, वन और वन्य-जीव विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 फरवरी, 1986

नियम

सं० 17011/4/85-आई० एफ० एस०(II)—भारतीय वन सेवा में रिक्तियों को भरने के लिए 1986 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के नियम आम जानकारी के लिए प्रकाशित किये जा रहे हैं :—

1. इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी किये गये नोटिस में निर्दिष्ट की जायेगी। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों के लिए रिक्तियों के आरक्षण सरकार द्वारा निर्धारित रूप में किये जायेंगे।

2. इस परीक्षा में बैठने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को जो अन्यथा पात्र हो तीन बार परीक्षा बैठने की अनुमति दी जायेगी। यह प्रतिबंध 1984 में हुई परीक्षा से लागू है।

परन्तु अवसरों की संख्या से सम्बन्ध यह प्रतिबन्ध अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अन्यथा पात्र उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगा।

टिप्पणी-1 : यदि उम्मीदवार परीक्षा के किसी एक या अधिक विषयों में वस्तुतः परीक्षा देता है तो यह समझ लिया जाएगा कि उसने एक अवसर प्राप्त कर लिया है।

टिप्पणी-2 : अयोग्यता/उम्मीदवारी के रद्द होने के बावजूद उम्मीदवार परीक्षा में उपस्थिति का तथ्य एक प्रयास गिना जाएगा।

3. संघ लोक सेवा आयोग यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट-1 निर्धारित ढंग से लेगा।

परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किये जायेंगे।

4. उम्मीदवार या तो :—

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल की प्रजा हो, या

(ग) भूटान की प्रजा हो, या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो या

(ङ) ऐसा भारत मूलक व्यक्ति हो, जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्री लंका, कीनिया, उगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, (भूतपूर्व टंगानिका तथा जंजीबार) जाम्बिया, मलावी, जेरे, इथियोपिया के पूर्वी अफ्रीकी देशों और वियतनाम से आया हो।

परन्तु उपरोक्त (ख), (ग), (घ) और (ङ) वर्गों के अन्तर्गत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा दिया गया पात्रता प्रमाण-पत्र अवश्य होना चाहिए।

ऐसे उम्मीदवार को भी उक्त परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है जिसके बारे में पात्रता प्रमाण—पत्र प्राप्त करना आवश्यक हो किन्तु उसको नियुक्ति प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा उसके सम्बन्ध में पात्रता प्रमाण-पत्र जारी कर दिये जाने के बाद ही भेजा जा सकता है।

5 (क) उम्मीदवार के लिए आवश्यक है कि उसकी आयु 1 जुलाई, 1986 को 21 वर्ष पूरी हो गई हो किन्तु 26 वर्ष न हुई हो, अर्थात उसका जन्म 2 जुलाई, 1960 से पहले और 1 जुलाई, 1965 के बाद नहीं हुआ हो।

(ख) ऊपर निर्धारित अधिकतम आयु में निम्नलिखित स्थितियों में छूट दी जा सकती है :—

(i) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का हो तो अधिक से अधिक पांच वर्ष।

(ii) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो, और वह 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि के दौरान प्रव्रजन कर भारत आया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष;

(iii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति का हो और वह 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि के दौरान, भूतपूर्व, पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) से प्रव्रजन, कर आया वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष में

(iv) यदि उम्मीदवार अक्तूबर, 1964 के भारत-श्रीलंका करार के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद, श्रीलंका के मूलरूप से वस्तुतः प्रत्यावर्तित होकर भारत में आया हुआ या आने वाला मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष में

(v) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति का हो, और साथ ही अक्तूबर, 1964 के भारत-श्रीलंका करार के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलंका से प्रत्यावर्तित होकर आया है अथवा हुआ था आने वाला मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक आठ वर्ष;

(vi) यदि उम्मीदवार 1 जून, 1963 को या उसके बाद बर्मा से वस्तुतः प्रत्यावर्तित होकर भारत आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष में

(vii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति का हो और साथ ही 1 जून, 1963 को या उसके बाद, बर्मा से वस्तुतः प्रत्यावर्तित होकर भारत में आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक आठ वर्ष;

(viii) रक्षा सेवाओं के उन कर्मचारियों के मामले में अधिक से अधिक तीन वर्ष तक जो किसी विदेशी देश के साथ संघर्ष अथवा अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कारवाई के दौरान, विकलांग हुए तथा उसके परिणाम स्वरूप, निर्मुक्त हुए;

(ix) रक्षा सेवाओं के उन कर्मचारियों के मामले में अधिकतम आठ वर्ष तक जो किसी विदेशी देश के साथ संघर्ष में अथवा अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कारवाई के दौरान, विकलांग हुए तथा उसके परिणामस्वरूप, निर्मुक्त हुए हों, और जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के हैं;

(x) यदि कोई उम्मीदवार वास्तविक रूप से प्रत्यावर्तित मूलतः भारतीय व्यक्ति, (जिसके पास भारतीय पारपत्र हो), और ऐसा उम्मीदवार जिसके पास वियतनाम में भारतीय राजदूतावास द्वारा जारी किया गया आपातकाल का प्रमाणपत्र है, और जो वियतनाम में जुलाई, 1975 से पहले भारत नहीं आया है, तो उसके लिए अधिक से अधिक तीन वर्ष;

(xi) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का हो और वियतनाम से वस्तुतः प्रत्यावर्तित भारत मूलक व्यक्ति हो (जिसके पास भारतीय पारपत्र हो), और ऐसा ही उम्मीदवार जिसके पास वियतनाम में भारतीय राजदूतावास द्वारा जारी किया गया आपातकाल का प्रमाण-पत्र हो और जो वियतनाम से जुलाई, 1975 के बाद, भारत आया हो, तो उसके लिए अधिक से अधिक आठ वर्ष तक;

(xii) यदि उम्मीदवार भारत मूलक व्यक्ति, हो और उसने कीनिया, युगांडा, और तंजानिया (भूतपूर्व टंगानिका तथा जंजीबार), संयुक्त, गणराज्य से प्रव्रजन किया हो या जांबिया, मलावी जेरे और इथियोपिया से प्रत्यावर्तित हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष।

(xiii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का हो और भारत मूलक वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति हो और कीनिया, युगांडा या तंजानिया संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टंगानिका और जंजीबार) से प्रवासित हो या जाम्बिया, मलावी, जेरे और इथियोपिया से भारत मूलक प्रत्यावर्तित व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक,

(xiv) जिन भूतपूर्व सैनिकों, और कमीशन प्राप्त अधिकारियों (आपात-कालीन, कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) ने 1 जुलाई, 1986 को कम से कम 5 वर्ष की सैनिक सेवा की है और जो (i) कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल के समापन पर कार्यमुक्त हुए हैं (इनमें वे भी सम्मिलित है जिनका कार्यकाल 1 जुलाई, 1986 से छः महीने के अन्दर पूरा होना है (ii) या सैनिक सेवा से हुई शारीरिक अपंगता, या (iii) अशक्तता के कारण कार्य मुक्त हुए हैं उनके मामले में अधिक से अधिक पांच वर्ष तक।

(xv) जिन भूतपूर्व सैनिकों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों (आपात-कालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) ने 1 जुलाई, 1986 को कम से कम पांच वर्ष की सैनिक सेवा की है और जो (i) कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त न होकर अन्य कारणों से कार्य-काल के समापन पर कार्यमुक्त हुए हैं (इनमें वे भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल 1 जुलाई, 1986 से छः महीनों के अन्दर पूरा होना है (ii) या सैनिक सेवा से हुई शारीरिक अपंगता या (i) अशक्तता के कारण कार्य मुक्त हुए है तथा जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के है उनके मामले में अधिक से अधिक दस वर्ष तक।

(xvi) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पश्चिम पाकिस्तान का वास्तविक विस्था-पित व्यक्ति है जो पहली जनवरी, 1971 और 31 मार्च, 1973 की अवधि के दौरान भारत प्रव्रजन कर चुका था तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक।

(xvii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का है और भूतपूर्व पश्चिम पाकिस्तान का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति भी है जो पहली जनवरी, 1971 और 31 मार्च, 1973 की अवधि के दौरान भारत प्रव्रजन कर चुका था, तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक।

(xviii) यदि कोई उम्मीदवार पहली जनवरी, 1980 से 15 अगस्त, 1985 तक की अवधि के दौरान साधारणतः असम राज्य में रहा हो, तो अधिक से अधिक 6 वर्ष तक।

(xix) यदि कोई उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति का हो और पहली जनवरी, 1980 से 15 अगस्त, 1985 तक की अवधि के दौरान साधारणतः असम राज्य में रहा हो तो, अधिक से अधिक 11 वर्ष तक।

टिप्पणी :— भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने अपने पुनः रोजगार हेतु भूतपूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले लाभों को लेने के बाद सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पहले ही ले ली है, वे उपयुक्त नियमावली के नियम 5(ख) (xiv) और 5(ख) (xv) के अधीन आयु सीमा में छूट के लिए पात्र नहीं हैं उपयुक्त व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु सीमा में किसी भी स्थिति में छूट नहीं दी जाएगी।

6. उम्मीदवार के पास भारत के केन्द्र या राज्य विधान मण्डल द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय से या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के खण्ड 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मानी गई किसी अन्य शिक्षा संस्था से भारत वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान,

भू-विज्ञान, गणित, भौतिकी और प्राणि विज्ञान में एक विषय के साथ स्नातक डिग्री अवश्य होनी चाहिए अथवा कृषि विज्ञान या इंजीनियरी की स्नातक डिग्री होनी चाहिए ।

टिप्पणी 1— कोई भी जिसने ऐसी परीक्षा दे दी है, जिसके पास करने पर वह आयोग की परीक्षा में बैठने का शैक्षिक रूप से पात्र होगा परन्तु उसे परीक्षाफल की सूचना नहीं मिली है तथा ऐसे उम्मीदवार जो ऐसी अर्हक परीक्षा में बैठने का इच्छुक है, आयु की परीक्षा, में प्रवेश पाने का पात्र नहीं होगा ।

टिप्पणी 2- विशेष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी उम्मीदवार को भी परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र मान सकता है, जिसके पास उपर्युक्त अर्हताओं में से कोई भी अर्हता न हो बशर्ते कि उस उम्मीदवार ने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित कोई ऐसी परीक्षाएं पास कर ली हों जिनके स्तर को देखते हुए आयोग उसको परीक्षा में प्रवेश देने के लिए आवेदन करने उचित समझे ।

7. उम्मीदवार को आयोग के नोटिस के पैरा 8 में निर्धारित फीस अवश्य देनी होगी ।

8. जो व्यक्ति पहले से ही सरकारी नौकरी में आकस्मिक या दैनिक दर कर्मचारी से इतर स्थाई या अस्थाई हैसियत से या कार्य प्रभारित कर्मचारियों की हैसियत से काम कर रहे या जो लोक उद्यमों के अन्तर्गत सेवा कर रहे हैं उन्हें परिवचन (अण्डरटेकिंग) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है ।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से सम्बन्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा/उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी ।

9. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा ।

10 किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण-पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमीशन) नहीं होगा ।

11. यदि किसी उम्मीदवार को आयोग द्वारा निम्नलिखित बातों के लिए दोषी पाया हो या दोषी घोषित कर दिया गया हो कि उसने :—

(1) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(2) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(3) किसी अन्य व्यक्ति से छदम रूप से कार्य साधन कराया है, अथवा

(4) जाली प्रमाण—पत्र या ऐसे प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(5) गलत या झूठे वक्तव्य दिए या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(6) परीक्षा में अपनी उम्मीदवारी के लिए किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(7) परीक्षा के समय अनुचित तरीके अपनाए हैं, अथवा

(8) उत्तर- पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखी हों जो अश्लील भाषा में अभद्र आशय की हों, अथवा

(9) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो, अथवा

(10) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य किसी प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, अथवा

(11) परीक्षा में प्रवेश हेतु उम्मीदवार को जारी किसी भी अनुदेश का उल्लंघन, या

(12) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने या कराने के लिए उकसाने का प्रयत्न किया हो, तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासीक्यूशन) चलाया जा सकता है उसके साथ ही उसे :—

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा में, जिसका वह उम्मीदवार है, बैठने के लिए अनर्ह ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे अस्थायी रूप से अथवा एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए

(1) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए,

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नौकरी से अपवर्जित किया जा सकता है, और

(ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाही की जा सकती है ।

किन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक :—

(i) उम्मीदवार को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वह देना चाहे प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो, और

(ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार न कर लिया गया हो ।

12 जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में उतने न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेगा जितने आयोग अपने निर्णय से निश्चित करे तो उसे आयोग व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाएगा ।

किन्तु शर्त यह है कि यदि आयोग के मतानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवार इन जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए सामान्य स्तर के आधार पर पर्याप्त संख्या में व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाए जा सकेंगे तो आयोग द्वारा स्तर में ढील देकर अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों को व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सकता है ।

13 परीक्षा के बाद आयोग उम्मीदवारों के द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर योग्यता क्रम से उनकी सूची बनायेगा और उसी क्रम से उन उम्मीदवारों में से जितने लोगों को आयोग परीक्षा के आधार पर योग्य समझेगा उनको इन रिक्तियों पर नियुक्त करने के लिए अनुशंसा की जाएगी । ये नियुक्तियां जितनी अनारक्षित रिक्तियों को भरने का निर्णय किया जाता है उसको देखकर होंगी ।

परन्तु यदि सामान्य स्तर से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवार नहीं भरे जा सकते हों जो आरक्षित कोटा में कमी को पूरा करने के लिए आयोग द्वारा स्तर में छूट देकर, चाहे परीक्षा के योग्यता क्रम में उनका कोई भी स्थान क्यों न हो, नियुक्ति के लिए उनकी अनुशंसा की जा सकेगी बशर्ते कि ये उम्मीदवार इस सेवा पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त हों ।

14 प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में और किस प्रकार दी जाए, इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा । आयोग परीक्षाफल के बारे में किसी भी उम्मीदवार से पत्राचार नहीं करेगा ।

15 परीक्षा में पास हो जाने पर नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिलता, जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद संतुष्टि न हो जाए कि उम्मीदवार चरित्र तथा पूर्ववृत्त की दृष्टि से इस सेवा में नियुक्ति के लिए हर प्रकार से योग्य है ।

16 उम्मीदवार उक्त सेवा के जिस राज्य/संयुक्त संवर्ग में आबंटन हेतु विचारण का इच्छुक है उसे उसके बारे में आवेदन प्रपत्र के कालम 24 में अपना वरीयता क्रम लिखना होगा । उसके द्वारा निर्दिष्ट वरीयताओं में परिवर्तन के अनुरोध पर कोई ध्यान तब तक नहीं दिया जाएगा जब

तक ऐसे परिवर्तन का अनुरोध आयोग के कार्यालय में उक्त परीक्षा के विज्ञापित भाग के परिणाम के "रोजगार समाचार" में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अन्दर प्राप्त नहीं हो जाता है। आयोग या भारत सरकार उम्मीदवारों को कोई ऐसा पत्र नहीं भेजेगा जिसमें उनसे उनके आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर देने के बाद विभिन्न राज्य/संयुक्त संवर्गों के लिए परिलोभित वरीयता निर्दिष्ट करने को कहा जाए ।

17. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिनमें वह संबंधित सेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक न निभा सके। यदि सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो द्वारा निर्धारित डाक्टरी परीक्षा के बीच किसी उम्मीदवार के बारे में यह पाया जाए कि वह इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। व्यक्तित्व परीक्षण के लिए आयोग द्वारा बुलाए गए उम्मीदवारों की डाक्टरी परीक्षा कराई जा सकती है। उम्मीदवार द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा के लिए चिकित्सा बोर्ड को कोई शुल्क नहीं देना होगा।

नोट : कहीं निराश न होना पड़े इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन-पत्र भेजने से पहले सिविल सर्जन के स्तर पर के किसी सरकारी चिकित्सा अधिकारी से अपनी जांच करवा लें। नियुक्ति से पहले उम्मीदवारों को किस प्रकार की डाक्टरी जांच होगी और उसके स्वास्थ्य का स्तर किस प्रकार का होना चाहिए, इसके ब्यौरे इन नियमों के परिशिष्ट–3 में दिए गए हैं। रक्षा सेनाओं के भूतपूर्व विकलांग सैनिकों की सेवाओं की आवश्यकताओं के और 1971 के भारत-पाक संघर्ष के दौरान लड़ाई में विकलांग हुए तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त किए गए सीमा सुरक्षा दल के कार्मिकों की सेवाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप डाक्टरी जांच के स्तर में छूट दी जाएगी।

पुरुष उम्मीदवारों के लिए 4 घण्टे में 25 किलोमीटर पैदल चलने की और महिला उम्मीदवारों के लिए 4 घण्टे में 14 किलोमीटर चलने की स्वास्थ्य की दृष्टि से क्षमता की शर्त की ओर विशेषतः ध्यान आकर्षित किया जाता है।

18 ऐसा कोई पुरुष/स्त्री

(क) जिसने किसी ऐसे स्त्री/पुरुष से विवाह किया हो, जिसका पहले से जीवित पति/पत्नी हो, या

(ख) जिसकी पत्नी/पति जीवित होते हुए उसने किसी स्त्री/पुरुष से विवाह किया हो

उक्त सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु केन्द्रीय सरकार, यदि इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे पुरुष/स्त्री तथा जिस स्त्री/पुरुष से उसने विवाह किया हो, उन पर लागू व्यक्तिगत कानून के अधीन ऐसा किया जा सकता हो और ऐसा करने के अन्य आधार हों तो उस उम्मीदवार को इस नियम से छूट दे सकती है।

19 उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि सेवा में भर्ती से पहले ही हिन्दी का कुछ ज्ञान होना उन विभागीय परीक्षाओं को पास करने की दृष्टि से आवश्यक होगा जो उम्मीदवारों को सेवा में भर्ती होने के बाद देनी पड़ती है ।

20. इस परीक्षा के द्वारा जिस सेवा के लिए भर्ती की जा रही है उसका संक्षिप्त ब्यौरा परिशिष्ट––2 में दिया गया है।

एम० बी० केशवन, उप सचिव

परिशिष्ट––1

खण्ड––1

परीक्षा की रूपरेखा

भारतीय वन सेवा के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे —

(क) लिखित परीक्षा :––

(1) दो अनिवार्य विषय अर्थात् सामान्य अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान (नीचे खण्ड 2 का उप-खण्ड (क) देखें।)

पूर्णांक 900

(2) निम्नलिखित खण्ड–2 के उपखण्ड (ख) में दिए गए वैकल्पिक विषयों में से चुने गए विषय । इस उप-खण्ड की व्यवस्था के अधीन उम्मीदवार उनमें से कोई दो विषय लें ।

पूर्णांक 400

(ख) ऐसे उम्मीदवारों का, जो आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए (इस परिशिष्ट की अनुसूची के भाग ख के अनुसार) बुलाए जाएंगे का व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार ।

खण्ड––2

परीक्षा के विषय :––

(क) अनिवार्य विषय [ऊपर खण्ड–I के उपखण्ड (क) (i) के अनुसार] :––

विषय	कोड सं०	पूर्णांक
(1) सामान्य अंग्रेजी	21	150
(2) सामान्य ज्ञान	22	150

(ख) वैकल्पिक विषय [ऊपर खण्ड–I के उप-खण्ड (क) (ii) के अनुसार]:––

विषय	कोड संख्या	पूर्णांक
कृषि विज्ञान	01	200
वनस्पति विज्ञान	02	200
रसायन विज्ञान	03	200
सिविल इंजीनियरी	04	200
भू-विज्ञान	05	200
कृषि-इंजीनियरी	06	200
रसायन इंजीनियरी	07	200
गणित	09	200
यांत्रिक इंजीनियरी	10	200
भौतिकी	11	200
प्राणि विज्ञान	13	200

परन्तु उपर्युक्त विषयों पर निम्नलिखित पाबंदियां लागू होंगी :––

(1) कोई भी उम्मीदवार कोड 01 तथा 06 वाले विषयों को एक साथ नहीं ले सकेगा,

(2) कोई भी उम्मीदवार कोड 03 तथा 07 वाले विषयों को एक साथ नहीं ले सकेगा ।

नोट :––ऊपर लिखे विषयों का स्तर और पाठ्य-विवरण इस परिशिष्ट की अनुसूची के भाग 'क' में दिया गया है।

खण्ड––3

सामान्य

1. सभी प्रश्न-पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में ही लिखने होंगे प्रश्न-पत्र केवल अंग्रेजी में ही होंगे ।

2. उपर्युक्त खण्ड–2 के उपखण्ड (क) और (ख) में उल्लिखित प्रत्येक प्रश्न-पत्र के लिए 3 घण्टे का समय दिया जाएगा ।

3. उम्मीदवारों को प्रश्नों का उत्तर अपने हाथ से लिखना होगा। उन्हें किसी भी हालत में उनकी ओर से उत्तर लिखने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं होगी ।

4. आयोग अपने निर्णय से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक अंक (क्वालीफाइंग मार्क्स) निर्धारित कर सकता है।

5 यदि किसी उम्मीदवार की लिखावट आसानी से पढ़ने लायक नहीं होगी तो उसे अन्यथा मिलने वाले कुल अंकों में से कुछ अंक काट लिए जायेंगे।

6. अनावश्यक ज्ञान के लिए अंक नहीं दिए जायेंगे ।

7. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात का ध्यान किया जाएगा कि अभिव्यक्ति कम से कम शब्दों में, क्रमबद्ध, प्रभावपूर्ण ढंग की ओर रहे।

8. प्रश्न-पत्र में आवश्यक होने पर केवल प्रश्नों में तोल और माप की मीट्रिक प्रणाली संबंधित प्रश्न ही पूछे जायेंगे ।

9. उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्रों के उत्तर लिखते समय भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप (अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि) का ही प्रयोग करना चाहिए ।

10. उम्मीदवारों को परम्परागत (निबन्ध) प्रकार के प्रश्न-पत्रों के लिए बैटरी से चलने वाले पाकेट कलकुलेटर परीक्षा भवन में लाने और उनका प्रयोग करने की अनुमति है । परीक्षा भवन में किसी से कलकुलेटर मांगने या आपस में बदलने की अनुमति नहीं है ।

यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि उम्मीदवार वस्तुपरक प्रश्न पत्रों (परीक्षण पुस्तिका) का उत्तर देने के लिए कलकुलेटरों का प्रयोग नहीं कर सकते । अतः वे उन्हें परीक्षा भवन में न लाएं ।

अनुसूची

भाग—क

सामान्य अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान के प्रश्न-पत्रों का स्तर ऐसा होगा जिसकी भारतीय विश्वविद्यालय के विज्ञान या इंजीनियरी ग्रेजुएट से आशा की जाती है ।

अन्य विषयों में प्रश्न-पत्रों का स्तर लगभग भारतीय विश्वविद्यालयों की स्नातक उपाधि (पास) के समान होगा ।

किसी भी विषय में प्रायोगिक परीक्षा नहीं ली जाएगी ।

सामान्य अंग्रेजी (कोड—21)

उम्मीदवारों को एक विषय पर अंग्रेजी में निबन्ध लिखना होगा । अन्य प्रश्न इस प्रकार से पूछे जायेंगे कि जिससे उसके अंग्रेजी भाषा के ज्ञान तथा शब्दों के कार्य साधक प्रयोग की जांच हो सके ।

सामान्य ज्ञान (कोड—22)

सामान्य ज्ञान जिसमें सामयिक घटनाओं का ज्ञान तथा प्रतिदिन के प्रेक्षण और अनुभव की ऐसी बातों का वैज्ञानिक दृष्टि से ज्ञान भी सम्मिलित है जिसकी ऐसी शिक्षित व्यक्ति से आशा की जा सकती है जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन न किया हो । इस प्रश्न पत्र में भारत के इतिहास और भूगोल के ऐसे प्रश्न भी होंगे जिसका उत्तर उम्मीदवार को विशेष अध्ययन के बिना ही आना चाहिए ।

नोट :—सामान्य ज्ञान के प्रश्न-पत्र में केवल वस्तुपरक प्रश्न होंगे । नमूने के प्रश्नों सहित ब्यौरों के लिए कृपया आयोग के नोटिस के अनुबन्ध—2 में उम्मीदवारों के लिए सूचना विवरणिका देखें ।

कृषि विज्ञान (कोड—01)

उम्मीदवारों को नीचे खण्ड (क) और (ख) या खण्ड (क) और (ग) में दिए हुए प्रश्नों के उत्तर देने होंगे ।

(क) कृषि-अर्थशास्त्र

कृषि अर्थ शास्त्र का अर्थ तथा क्षेत्र, अध्ययन का महत्व तथा अन्य विज्ञानों से संबंध, भारतीय आर्थिक स्थिति में कृषि का महत्व, राष्ट्रीय आय में इसकी देन, अन्य देशों से तुलना, भारतीय कृषि उत्पादन, विपणन, श्रम, उधार इत्यादि महत्वपूर्ण आर्थिक समस्याओं का अध्ययन ।

फार्म प्रबन्ध के अध्ययन के तरीके, इसका अर्थ तथा क्षेत्र, अन्य भौतिक तथा सामाजिक विज्ञानों से संबंध, फार्म प्रबन्ध की अवधारणाएं और मूल सिद्धांत । फार्म के निर्धारण के प्रकार और तरीके, भूमि, जल, श्रम और उपस्कर के लाभकारी प्रयोग का आयोजन, फार्म की क्षमता को मापने के तरीके, फार्म के हिसाब-किताब के प्रकार और उद्देश्य, फार्म के अभिलेख तथा लेखा, वित्त लेखा-विधि उद्यम—लेखाविधिपूर्ण तथा लागत लेखा-विधि ।

(ख) तस्य विज्ञान

फसल उत्पादन—खरीफ की फसलों—धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, तिल, कपास, सनई, मूंग, उड़द का विस्तृत अध्ययन जो उनके प्रारम्भ, वितरण, बीज डालने योग्य भूमि तैयार करने, सुधरी किस्म, बुवाई तथा बीजों के मिश्रण की मात्रा, कटाई, भंडारण, फसलों के भौतिक निवेश के संदर्भ में हों ।

रबी की महत्वपूर्ण फसलों, गेहूं, जौ, चना, सरसों, अलसी, तम्बाकू, बरसीम का विस्तृत अध्ययन, जो उनके उद्गम इतिवृत्त, बटन, भूमि तथा जलवायु की आवश्यकतायें, बीज की क्यारियों की तैयारी, सुधरी प्रकार की किस्में बोना, और बीज की मिश्रदर, कटाई, भंडार में रखने, फसलों के भौतिक निवेश के संदर्भ में हो ।

घास-पात और घास-पात नियंत्रण—घास-पात का वर्गीकरण, भारत की प्रमुख घास-पात के प्राकृतिक आवास तथा विशेषतायें, घास-पात के कुप्रभाव तथा उसके द्वारा पहुंचाई जाने वाली हानियां, घास-पात के होने की प्रमुख एजेंसियों और घास-पात पर संघर्षन, जैवक और रासायनिक नियंत्रण ।

सिंचाई और जल निकास के सिद्धांत—सिंचाई जल की आवश्यकता और स्रोत, फसलों को जल की आवश्यकता की मात्रा, साधारण जल की लिफ्टें, जल, मान, सिंचाई के जल को व्यर्थ जाने से रोकना, सिंचाई के तरीके और ढंग , प्रत्येक ढंग के लाभ और सीमायें । सिंचाई के जल की मात्र, पृथ्वी की नमी, पृथ्वी की नमी के विभिन्न प्रकार और उनका महत्व, जल निकास और इसकी आवश्यकता, जल की अधिकता के कारण क्षति पहुंचना, जल निकास के ढंग ।

मृदा-विज्ञान और मृदा-संरक्षण

मृदा (सोयल) की परिभाषा, इसके मुख्य अंग, मृदा, प्रोफाइल, मृदा खनिज कोलाइड्स, आयन विनियम क्षमता आधार संतृप्ति प्रतिशत आयन विनियम, पौधे की बढ़ोत्तरी के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ, भूमि में उनकी आकृति और पौधे के पोषण में उनका कार्य, मृदा जैव पदार्थ, इसका गलना और इसका भूमि के उपजाऊ होने पर प्रभाव । एसिड और क्षारीय, मिट्टी, उनकी बनावट और भूमि उद्धार । भूमि गुणों पर आर्गेनिक खादों, हरी खादों और उर्वरकों का प्रभाव । साधारण नाइट्रोजन, फास्फाटिक और पोटेशीय उर्वरकों के गुण ।

यांत्रिक बनावट और भूमि की रचना, भूमि रन्ध्रान्तर, भूमि संरचना, भूमि जल, भूमि जल के प्रकार, इसकी रुकने की क्रिया, भूमि जल का सुलभ होना तथा भूमि जल की माप । भूमि का तापमान, भूमि वायु तथा इसका महत्व, भूमि संरचना, इसके प्रकार, तथा भूमि के भौतिक रासायनिक गुणों पर उनका प्रभाव ।

भूमि आकारिकी और भूमि का सर्वेक्षण—भूमि का टूटना, मृदा बनाने वाली चट्टानें और खनिज, मृदा बनाने में उनका घटन और महत्व । चट्टानों तथा खनिजों का अपक्षेय; मृदा बनाने के कारण और प्रक्रम, संसार के बड़े मृदा समूह, तथा उनका कृषि सम्बन्धी महत्व । भारतीय मृदाओं का अध्ययन । मृदा का सर्वेक्षण तथा वर्गीकरण ।

भूमि संरक्षण के सिद्धांत— मृदा का अपरदन, अपरदन के कारण, भूमि संरक्षण, शास्य तथा इंजीनियरी तरीकों से सम्बन्धित मृदा के गुण, कृषि भूमिओं के लिए भूमि से जल निकास की आवश्यकतायें तथा प्रचलित तरीके, भूमि प्रयोग का वर्गीकरण, भूमि संरक्षण , योजना तथा कार्यक्रम ।

वनस्पति विज्ञान (कोड—02)

1. पादप जगत का सर्वेक्षण—पशुओं तथा पादपों में अन्तर; जीवित प्राणियों के गुण; एक सैल तथा अधिक सैल वाले प्राणी; वाइरस; पादप जगत के विभाजन का आधार ।

2. आकारिकी—(1) एक सैल वाले पादप-सैल, इसकी बनावट तथा अंग, सैलों का विभाजन तथा गुणन ।

(2) अधिक सैल वाले पादप—

संवहनी और संवहनी-रहित पादपों के तनों में विभिन्नता, संवहनी पादपों की बाहरी तथा भीतरी आकारिकी।

3. जीवन वृत्त, नीचे दिए गए पादपों में कम से कम एक प्रकार के पादप का अध्ययन—जीवाणु, साइनोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, फाइकोमाइसीट्स, एसकोमीसाइट्स, बेसीडाइया, मीसाइट्स, लिवर्वोर्टस, काइयां, टेरिडोफाइट्स, जिमनोस्पर्म्स और एंजीयोस्पर्म्स।

4. वर्गी—वर्गीकरण के सिद्धांत—एंजीओस्पर्म्स के वर्गीकरण के प्रमुख ढंग : निम्नलिखित प्रजातियों के भिन्न-भिन्न लक्षण तथा आर्थिक महत्व—मेमीनिया, साइटोमिनाए, पामेमिआए, लिलीएसाई, आरकीडसीआई, मोरासीआए, लोरान्यासियाए, मगनोलियासीआए, लोगाइसी, कृसीफाए, रोसासीए, लेगुमानासाई, रुटासीज, मालवा सीएई युफारेबियासेई, एनाकार्डिएसाई, मालवासीएई, अपोसीनेसेई, एसक्लेपीडेसेई डिप्टरोकारपेसेई, मिरटेसेई, अम्बेलीफरे/लायिएटई, सोलेनाइसी, रुबियासियाई, कुकरबाईटेसाई, करबानासेई और कम्पोजिटाई।

5. पादप-शरीर-क्रिया-विज्ञान :—स्वपोषण, परपोषण, अम्ल तथा पोषकों को भीतर लेना, वाष्पोत्सर्जन, फोटोसिन्थेसिस, खनिजपोषण, श्वसन, वृद्धि-पुनर्जन्म, पादप/पशु संबंध, सिम्बलोसिस, परजीविता, एंजाइम, आक्सीन्स, हार्मोन्स, फोटोपेरियोडिज्म।

6. पादप रोग विज्ञान :—पादप रोगों के कारण तथा उपचार, रोगी अंग, वाइरस हीनताजन्य रोग, रोग से बचाव।

7. पादप परिस्थिति विज्ञान :—भारतीय पेड़-पौधों तथा भारतीय वनस्पति क्षेत्रों के विशेष संदर्भ में परिस्थिति तथा पादप भूगोल से संबद्ध बुनियादी सिद्धांत।

8. सामान्य जीव विज्ञान :—कोशिकाविज्ञान, आनुवंशिकी, पादप प्रजनन, मन्डेलिज्म, संकर ओज, उत्परिवर्तन विकास।

9. आर्थिक वनस्पति विज्ञान :—मानव कल्याण की दृष्टि से पादपों विशेषकर पुष्प पादकों के आर्थिक प्रयोग जो विशेषतया इन वनस्पति उत्पादों के संदर्भ में हों, खाद्यान्न, दालें, फल, चीनी तथा स्टार्च, तिलहन, मसाले, पेय, तन्तु लकड़ी, रबड़ की दवाइयां, और आवश्यक तेल।

10. वनस्पति विज्ञान का इतिहास :—वनस्पति विज्ञान से सम्बन्धित ज्ञान के विकास की जानकारी।

रसायन विज्ञान (कोड 03)

1 अकार्बनिक रसायन विज्ञान

तत्वों का इलक्ट्रोनिक विन्यास, आफ-बाऊ सिद्धांत, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। परमाणु क्रमांक। संक्रमण तत्व और उनके लक्षण में परमाणु और आयनिक त्रिज्याएं, आयनन विभव। इलक्ट्रान, बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता।

प्राकृतिक और कृत्रिम विघटनाभिकता। नाभिकीय विखण्डन और संलयन।

संयोजकता का इलैक्ट्रानिक सिद्धांत, सिग्मा और पाई बन्ध के बारे में प्रारम्भिक विचार, सहसंयोजी आबन्ध की संकरण और दिशिक प्रकृति।

वारनेर का समन्वय मिश्रण सिद्धांत, उपयनिष्ट, धातु कर्मीय तथा विश्लेषण प्रचालनों में निहित सम्मिश्रणों का इलक्ट्रानिक विन्यास।

आक्सीकरण स्थितियां और आक्सीकरण संख्या। सामान्य उपचायक तथा अपचायक आक्सीकरक। आयनिक समीकरण।

ल्युइस और ब्रसटेड के अम्ल और क्षारसिद्धांत।

सामान्य तत्वों का रसायन विज्ञान और उनके आमिश्र जिनकी विशेष रूप से आवर्ती वर्गीकरण की दृष्टि से अभिक्रिया की गयी हो। निष्कर्षण के सिद्धांत महत्वपूर्ण तत्वों का वियोजन (और धातुकी)।

हाइड्रोजन परआक्साइड की संरचना डाईबोरेन, ऐलुमिनियम क्लोराइड तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस क्लोरीन और गन्धक के महत्वपूर्ण आक्सीरेसिड।

अक्रिय गैस : वियोजन तथा रसायन।

अकार्बनिक रसायन विश्लेषण के सिद्धांत।

सोडियम कार्बोनेट, सोडियम, हाइड्रोक्साइड, अमोनिया, नाइट्रिक अम्ल, गन्धकीय अम्ल, सीमेंट, ग्लास और कृत्रिम उर्वरकों के निर्माण की रूपरेखा।

2. कार्बनिक रसायन विज्ञान

सहसंयोजी आबंधन की आधुनिक संकल्पनाएं, इलक्ट्रान, विस्थापन-प्रेरणिक मैसोमरी और अति संयुग्मन प्रभाव। अनुनाद और कार्बनिक रसायन में उसका अनुप्रयोग। वियोजन स्थिरांक (डिसो-सिएशन कांस्टेंट) पर संरचना का प्रभाव।

एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। कार्बनिक मिश्रण के स्रोत के रूप में पेट्रोलियम। एलिफटिक मिश्रणों के सरल व्युत्पन्न। एल्कोहल, एल्डीहाइड्स, कीटोन, अम्ल, हैलाइड एस्टर्स, ईथर, अम्ल, एनाइड्राइड क्लोराइड और अमिड। एकक्षारकीय हाइड्रोक्सी कीटनों और एमीनो अम्ल। कार्बधात्विक मिश्रण और एसीटोएसीटिक एस्टर। टार्टरिक सिट्रिक, मेलइक और फूमेरिक अम्ल। कार्बोहाइड्रेट वर्गीकरण और सामान्य अभिक्रिया ग्लूकोस, फल शर्करा और इक्षु शर्करा।

त्रिविम रसायन : प्रकाशकीय और ज्यामितीय समावयता। संरूपण की संकल्पना।

ऐल्केल, ऐल्कीन और एल्काइन। कार्बनिक मिश्रण के स्रोत हैलाइड नाइट्रो और एमीनो मिश्रण। बैन्जोइक सैलिसिक सिनेमिक मैंडेलिक और सल्फोनिक अम्ल। एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन। डाइएजो, एजो और हाइड्रेजो मिश्रण। ऐरोमेटिक प्रतिस्थापन। नैफथलीन पिरिडीन और क्यूनोलिन।

3. भौतिक रसायन

गैसों और नियमों का गतिक सिद्धांत। मैक्सवेल का वेग वितरण नियम। वन डेवाल का समीकरण। संगत अवस्थाओं का नियम। गैसों का द्रावण। गैसों की विशेष ऊष्मा। सी० पी०/सी० वी० का अनुपात।

ऊष्मागतिकी

ऊष्मागतिकी का पहला नियम। समतापी और रुद्धोष्म प्रसार। पूर्ण ऊष्मा। ऊष्मा धारिता। ऊष्मरासायन—अभिक्रिया ऊष्मा विरचन, विलयन और दहन। आबंध ऊर्जा की गणना। किरशॉफ समीकरण

स्वतः प्रवर्तित परिवर्तन का मानदण्ड। ऊष्मा गतिकी का दूसरी नियम। एण्ट्रापी मुक्त ऊर्जा। रासायनिक सन्तुलन का मानदण्ड।

घोल पारासरण दाब वाष्प नाप को कम करना। वाष्पहिमांक अवनयन क्वथांक बढ़ाना। घोल में अणुभार निश्चित करना। विलयों का संगणन और वियोजन।

रासायनिक संतुलन। द्रव्यमान अनुपाती अभिक्रिया और समांगी तथा विषमांगी संतुलन। ला-शात लिये नियम। रासायनिक संतुलन पर ताप का प्रभाव।

विद्युत रसायन : फैराडे विद्युत अपघटन नियम, विद्युत अपघटन की चालकता में तुल्यांकी चालकता और तनता में उसका परिवर्तन; अल्प विलेय लवणों की विलेयता; विद्युत अपघटनों वियोजन। ओस्टवाल्ड तनता नियम, प्रबल विद्युत अपघटकों की असंगति, विलेयता गुणनफल, अम्लों और क्षारकों की प्रबलता, लवणों का जल-अपघटन; हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, उभय प्रतिरोधन क्रिया (बफर क्रिया) सूचक सिद्धांत।

उत्क्रमणीय सेल। मानक हाइड्रोजन और कलौमेल इलक्ट्रोड और रेडाक्स विभव। सान्द्रता सेल। पी० एच० का निर्धारण। अभिगमनांक पानी का आयनी गुणनफल। विभव मूलक अनुमापन।

रासायनिक बलगतिविज्ञान। अणुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि। प्रथम कोटि की अभिक्रिया और दूसरी कोटि की अभिक्रिया। तापमान अभिक्रिया और दूसरी कोटि की अभिक्रिया। तापमानन अभिक्रिया। कोटि का निर्धारण अभिक्रिया। तापमानसत अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण संघट्ट सिद्धांत। सक्रियित संकुल सिद्धांत।

प्रावस्था नियम: इसकी शब्दावलियों की व्याख्या। एक और दो घटक तन्त्र का अनुप्रयोग। वितरण नियम।

कोलाइड: कोलाइड विलयन का सामान्य स्वरूप और उनका वर्गीकरण, कोलाइड के विरचन और गुणों की सामान्य रीति। स्कन्दन। रक्षक क्रिया और स्वर्णांक। अधिशोषण।

उत्प्रेरण: समांग और विषमांग उत्प्रेरण, विषाक्तन वर्धक। प्रकाश रसायन प्रकाश रसायन के नियम। सरल संख्यात्मक।

सिविल इंजीनियरी: (कोड 04)

1. भवन निर्माण कार्य सामग्री तथा उस सामग्री के गुण तथा सामर्थ्य

भवन निर्माण कार्य सामग्री—इमारती लकड़ी, पत्थर, ईंट, चूना, टाइल, सेण्ड, सुरखी, मोर्टार तथा कंक्रीट, धातु तथा कांच इंजीनियरी प्रेक्टिस में प्रयुक्त होने वाली धातुओं और अयस्कों के गुण।

स्ट्रेस तथा स्ट्रेन का सिद्धांत–बेंडिंग। टारशन तथा डाइरेक्ट स्ट्रेस शहतीरों के मुड़ने का इलास्टिक सिद्धांत, केन्द्रीय रूप से बोझा पड़ने के कारण अधिकतम और न्यूनतम दबाव। बेंडिंग मूमेंट और शियर फोर्स के डायग्राम तथा स्थिर और चलायमान दबाव के अधीन शहतीरों का विक्षेप।

2. भवन निर्माण, जल प्रदाय और सफाई से संबंधित इंजीनियरी

निर्माण—ईंट तथा पत्थर की चिनाई—दिवार, फर्श, तथा छत, जीने, लकड़ी के दरवाजों पर नक्काशी, छते, दरवाजे खिड़कियां तैयार करना। प्लास्टर, प्वाइंटिंग, पेन्ट तथा वारनिश आदि संबंधित अन्तिम कार्य।

मृदा यांत्रिकी (सोइल मकेनिक्स) मृदा और उससे संबंधित खोज, भारवाहन क्षमता और भवनों तथा निर्माण की बुनियादी डिजाइन बनाने के सिद्धांत।

भवन निर्माण सम्बन्धी अनुमान तैयार करना—नाप की मितांत इकाइयां, भवनों के लिए उनकी मात्रा निर्धारित करना तथा होने वाले व्यय तथा महत्वपूर्ण मदों के विवरण तैयार करना।

जल प्रदाय—पानी के स्रोत विशुद्धता के मानक, शुद्ध करने की प्रणालियां, जल प्रदाय के ढंग, पम्प तथा बूस्टर आदि की रूप रेखा तैयार करना।

सफाई—गंदी नालियां, तूफान से बढ़े हुए पानी के लिए और मकानों के लिए अपेक्षित नालियों की आवश्यकतायें जांचना, सैप्टिक टैंक इम्होफ टैंक, कचरे को रखने के लिए खाइयां तैयार करना—एक्टीवेटेड स्लाज पद्धति।

3. सड़क तथा पुल

सर्वेक्षण तथा संरक्षण (अलाइनमेंट)—राजमार्ग के लिए अपेक्षित सामग्री तथा उनके विनियोग, डिजाइन के सिद्धान्त, नीव तथा पटरियों की चौड़ाई, कम्बर, ग्रेडिएन्ट, मोड़ और सुपर एलिवेशन, रिटेनिंग वाल्स।

निर्माण—कच्ची सड़कें, स्थिर तथा पानी के बने हुए मेकडम सड़कें, बिटूमिन्स, तलीवाली तथा कंक्रीट सड़कें, सड़कों पर नालियां, पुल—उनके प्रकार, इकोनोमिकल स्पेन, आई० आर० सी० लोडिंग, छोटे पुलों के ऊपरी ढांचों के डिजाइन बनाने, पुलों के पाया तथा पायर, पर तथा कुएं की नीव के डिजाइन तैयार करने के सिद्धांत तैयार करना।

सड़कों और चहल के लिए मिट्टी के काम का प्राक्कलन।

4. संरचना इंजीनियरी

इस्पात के ढांचे—अनुमत ढांचे, साधारण शहतीरें तथा तैयार किए गए स्तंभ और साधारण छत के ट्रस और गार्डरों के डिजाइन तैयार करना, स्तम्भों के आधार तथा चारों ओर से बीच से दबाव पड़ने वाले स्तम्भों के लिए ढांचे बनाना—चिटकनी लगे, रिपट लगे हुए और वेल्ड किए हुए जोड़।

आर० सी० सी० स्ट्रक्चर (ढांचे)—युक्त सीमान का विवरण—अपेक्षित मजबूती और उसके हिसाब से उनके प्रयोग आवंटन करना। डिजाइन होइस के लिए भारतीय मानक संस्थान के मानक/आर० सी० सी० के पदार्थों में अनुमत स्ट्रेस जोड़, सीधी बंडिंग स्ट्रेस के अनुसार हों। साधारण रूप से सहारे के साथ लटकते हुए कैन्टीलीवर लट्ठे, चौकोर तथा टी० शकल के लट्ठे जो फर्शों, छतों और लिंटल में प्रयुक्त होते हों—चारों ओर से दबाव सहारने वाले स्तम्भ तथा उनके आधार।

भू-विज्ञान: (कोड 05)

1. सामान्य भू-विज्ञान

पृथ्वी की उत्पत्ति, काल और आंतरिक भाग, विभिन्न भू-वैज्ञानिक एजेंसियां और स्थलाकृति, अपक्षय और अपरदन (रोजन) पर उनका प्रभाव, मृदा के प्रकार, उनका वर्गीकरण और भारत के मृदा समूह, भारत के भू-आकृति उप-भाग, वनस्पति और स्थलाकृति ज्वालामुखी, भूकम्प, पर्वत घटन विरूपण।

2. संरचनात्मक भू-विज्ञान

आग्नेय, अवसादी और कायान्तरित, चट्टानें, नति, नति लम्ब और ढलान वलन, भ्रंश और विषम विन्यास और द्रव्यांशों पर उनका प्रभाव, भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण और मानचित्रण की विधियों के संबंध में प्रारम्भिक जानकारी।

3. क्रिस्टल विज्ञान और खनिज विज्ञान

क्रिस्टल समिति के बारे में प्रारम्भिक जानकारी, क्रिस्टल विज्ञान के नियम, क्रिस्टल की प्रकृति और यमलन (ट्विनिंग)। मृण्मय खनिजों, महत्वपूर्ण शल रचना, रासायनिक संघटन, भौतिक गुण, प्रकाशिक गुण धर्म परिवर्तन और वाणिज्यिक उपयोग संबंधी अध्ययन।

4. आर्थिक भू-विज्ञान

भारत के महत्वपूर्ण खनिजों और उनकी उपस्थिति की अवस्था का अध्ययन। अयस्क निक्षेपों का उद्भव और वर्गीकरण।

5. शैल विज्ञान

आग्नेय, अवसादी और कायान्तरित चट्टानों तथा उनके उद्भव और वर्गीकरण का प्रारम्भिक ज्ञान। चट्टानों के सामान्य प्रकारों की अध्ययन।

6. स्तर क्रम-विज्ञान

स्तर क्रम-विज्ञान के नियम, भू-विज्ञान अभिलेखों का अभ्रम, वैज्ञानिक और कालानुक्रम उप-विभाजन। भारतीय स्तर क्रम विज्ञान की महत्वपूर्ण विशेषताएं।

7. जीवाश्म विज्ञान

जीवाश्म विज्ञान सम्बन्धी आधार सामग्री का विकास से संबंध। जीवाश्म (फासिल) उनका स्वरूप और उनके परीक्षण की विधि। प्राणि जीवाश्मों और पादप जीवाश्मों को निरूपण आकृतियों के आकृति विज्ञान और विभाजन की प्रारम्भिक जानकारी।

कृषि इंजीनियरी (कोड—06)

1. मृदा तथा जल संरक्षण । मृदा संरक्षण की व्याख्या तथा उसका क्षेत्र, भूक्षरण के प्रकार तथा जल विज्ञान, उनके कारण, जल विज्ञान सम्बन्धी चक्र, वर्षा तथा जलवाह ऊपर प्रभाव डालने वाले तत्व तथा उनके आकार, स्ट्रीम गाजिंग, वर्षा के जलवाह का मूल्यांकन, भूरक्षण पर नियंत्रण के उपाय, जैविक तथा इंजीनियरी।

मूलभूत खुले हुए जलमार्गों को बनाना। मृदा संरक्षण सम्बन्धी ढांचों, टैरेस बांध, नालियों तथा घास उगाते हुए पानी के निकास के मार्गों का डिजाइन बनाना, बाढ़ नियंत्रण के सिद्धांत। बाढ़ के पानी को निकासी के लिए मार्ग बनाना, फार्म के लिए तालाब तथा मिट्टी के बांध तैयार करना, नदी के किनारों पर भूरक्षण तथा उसका नियंत्रण, वायुजनित भूरक्षण तथा उस पर नियंत्रण। जल संचरण को देखभाल के सिद्धांत।

नदी घाटी परियोजनाओं से सम्बन्धित जांच तथा योजनाओं को तैयार करना ।

2. सिंचाई तथा ड्रेनेज

मृदा, जल पौधों के पारस्परिक संबंध, सिंचाई के स्रोत तथा प्रकार। लघु सिंचाई परियोजनाओं की योजना तथा डिजाइन तैयार करना, मिट्टी की नमी का पता लगाने की तकनीक ।

जल के उपयोग। फसलों के लिए जल की आवश्यकता। सिंचाई का परिमापन तथा उसका व्यय। मेंड़ों, नालों, तथा नालियों द्वारा जल प्रवाह मापने की प्रणाली। सिंचाई प्रणालियों की रूपरेखाएं बनाना। नहरों खेतों की नालियों, पाइप लाइनों, हैड ग्रेट्स, डाइवर्जन बाक्स स्ट्रक्चर तथा रोड क्रासिंग के डिजाइन बनाना तथा उनका निर्माण करना। भू-जल प्राप्ति। कुओं की द्रव इंजीनियरी, कुओं के प्रकार, उनके निर्माण तथा उनकी खुदाई की प्रणाली, कुओं के विकास। कुओं को टेस्ट करना।

ड्रेनेज—परिभाषा—जलाक्रांत के कारण। ड्रेनेज के ढंग। सिंचाई की जाने वाली भूमि में नालियों को बनाना। जल तथा भूमि से नीचे नालियां बनाने के डिजाइन तैयार करना।

3. निर्माण सामग्री —निर्माण सामग्री के प्रकार—उनके गुण धर्म: टिम्बर, ब्रिक, बक्स तथा आर० सी० कंस्ट्रक्शन, शहतीरों, छतों के ओड़ तथा स्तम्भों के डिजाइन तैयार करना। फार्म स्टेड की योजना बनाना, फार्म हाउसेज, पशुशाला तथा भंडार के लिए ढांचों का डिजाइन बनाना। ग्रामीण जल प्रदाय तथा सफाई की व्यवस्था।

4. फार्म विद्युत तथा मशीनरी

भिन्न-भिन्न प्रकार के आंतरिक दहन इंजिन लगाना। आंतरिक दहन इंजिनों का वातानुकूलन तथा नियंत्रण तथा उनमें तेल डालना और उनके लिए दहन की सामग्री उपलब्ध करना। ट्रैक्टरों के चैसिस, ट्रांसमिशन और स्टीयरिंग के भिन्न-भिन्न प्रकार। प्रारम्भिक तथा माध्यमिक जुताई के लिए कृषि की मशीनरी, बीजने की मशीनरी, गुड़ाई के औजार आदि। पौधों के संरक्षण का सामान। फसलों की कटाई, अनाज गाहने के औजार, भूमि विकास के लिए मशीनरी, पम्प मशीनरी।

5. बिजली तथा ग्रामों में बिजली उपलब्ध करना

बिजली तैयार करना तथा उसका वितरण, ए० सी० तथा डी० सी० सर्किट ।

फार्मों में बिजली ऊर्जा के उपयोग। कृषि में प्रयोग होने वाले बिजली के मोटर, उनके प्रकार सम्बन्धी चयन, उन्हें लगाना तथा उनकी देखरेख ।

रसायन इंजीनियरी : (कोड —07)

1 परिवहन की घटनाएं (स्थिर स्थिति के अधीन) :

(क) मोमेन्टम ट्रांसफर ।

(1) बहाव के विभिन्न ढंग तथा उनके मापदण्ड।

(2) वेलोसिटी प्रोफाइल ।

(3) फिल्ट्रेशन, सेडीमेंटेशन, सेंटीफ्यूज ।

(4) तरल पदार्थों में ठोस पदार्थों का बहाव।

(ख) ऊष्मा स्थानान्तरण: ऊष्मा स्थानान्तरण के विभिन्न डाइमेंशन ढंग, चपटे, बेलनाकार, वर्गाकार, एकमात्र तथा मिश्रित शीशों की तहों के लिए गति मापना ।

कन्वेक्शन—फोर्स्ड और फ्री कन्वेक्शन में प्रयुक्त विभिन्न डाईमेंशन रहित ग्रुप ।

अलग तथा पूर्ण रूप से स्थानान्तरण का रूप निर्धारित करना ।

वाष्पीकरण—विकीकरण—स्टेफन, बोल्टजमैन का नियम—एमिसिविटी तथा एब्जोर्पिटीविटी ज्यूमेट्रिकल व्यू फैक्टर भट्टियों में ऊष्मा के दबाव का हिसाब लगाना ।

(ग) सहित स्थानान्तरणीय गैसों तथा तरल पदार्थों का विसरण। एब्जोर्पशन, (डिसोर्पशन), ह्युमिडीफिकेशन, डीह्युमिडीफिकेशन ड्राइंग तथा डिस्टीलेशन। मोमेंटम हीट तथा भाप और ट्रांसफर के भेद ।

2. ऊष्मा गतिकी :

(क) ऊष्मा गतिकी के प्रथम और तृतीय नियम ।

(ख) एन्टरनल एनर्जी, एन्ट्रापी, एन्थालपी और स्वतन्त्र ऊर्जा निर्धारण। सजातीय तथा विजातीय सिद्धांतों के लिए कैमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निर्धारित करना। दहन डिस्टीलेशन तथा ऊष्मा स्थानान्तरण में ऊष्मा गतिकी का उपयोग तरल पदार्थों—ठोस और तरल पदार्थों तथा ठोस पदार्थों के मिश्रण के सिद्धांत तथा मैकेनिज्म ।

3. प्रतिक्रिया इंजीनियरी

(1) बलगतिकी संजातीय और विजातीय प्रतिक्रियाएं, प्रथम और द्वितीय प्रकार की प्रक्रियाएं, बंच तथा फिलो-रिएक्टर तथा उनके डिजाइन ।

(2) केटलेसिस—केटलेसिस का चुनाव तैयारी ।

मैकेनिजम पर आधारित केटलेसिस का मिकेनिक रूप।

4. ट्रांसपोर्टेशन

सामग्री, विशेषतः पाउडरों, रेजिन, उड़ जाने वाले तथा न उड़ने वाले पदार्थ, एमल्शन और डिसर्पेशन, पम्पों, कम्प्रेशरों तथा ब्लोअर्स एकत्रित करना तथा उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। मिक्सर-द्रव-द्रव; घन-द्रव, घन-घन के लिए विभिन्न मिक्सरों को मिलाने की प्रक्रिया तथा सिद्धांत।

5. सामग्री

वे मामले जिनसे रासायनिक उद्योग में निर्माण की सामग्री का चुनाव किया जाता है। धातु और एलाय, चीनी मिट्टी, प्लास्टिक तथा रबर, इमारती लकड़ी तथा उससे बनी चीजों, प्लाईवुड लमिनेट।

बाट और बैरल फिल्टर प्रेसेज आदि के निर्माण के लिए उपस्कर तैयार करना ।

6. यंत्रीकरण तथा प्रक्रिया नियंत्रण :

यांत्रिक हाइड्रोक्लोरिक न्यूमेट्रिक, थरमल, आप्टिकल, मग्नेटिक, इलैक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रानिक औजार नियंत्रण तथा नियंत्रण के ढंग, आटोमेशन ।

गणित (कोड—09)

भाग—'क'

बीज गणित : समुच्चय (सैट्स)— बीज गणित, सम्बन्ध तथा फलन (फंक्शन) फलन का प्रतिलोम, मिश्रित फलन, तुल्यता सम्बन्ध ।

संख्या : पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, (गुणधर्मों के विवरण) सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्रण का संख्याओं का बीजगणित ।

समूह : उप समूह, प्रसामान्य उप समूह, चक्रीय तथा क्रमचय समूह, लागरेंज की प्रमेय, आइसोमोफिज्यम । परिमेज, इन्डेक्स की डी-मोइवरस प्रमेय तथा इसके साधारण प्रयोग ।

समीकरण के सिद्धांत —बहुपदीय समीकरण, समीकरण का रूपान्तरण, बहुपदीय समीकरणों के मूलों तथा गुणांकों के बीच संबंध, त्रिघात तथा चतुर्घात समीकरणों के मूल। समिति फलन, मूलों का स्थान निर्धारण तथा मूल निकालने का न्यूटन का सिद्धांत ।

आव्यूह, (मैट्रीसेज), आव्यूहों—सारणिकों का बीजगणित, सारणिकों का साधारण गुण धर्म, सारणिकों का गुणनफल, सह खण्डज आव्यूह, आव्यूहों का प्रतिलोमन, आव्यूहों की जाति, रेखिक समीकरण के हल निकालने के लिए आव्यूहों का प्रयोग (तीन अज्ञात संख्याओं में)

असमताएं : गणित तथा ज्यामितीय माध्य, कोशी, श्वार्ज असमता (केवल परिमित संख्याओं के लिए)

द्विविम और त्रिविम की विश्लेषिक ज्यामिति

द्विविम का विश्लेषिक ज्यामिति—सीधी रेखाएं, युगल सरल रेखाएं, वृत्त, निकाय, दीर्घवृत्त, परवलय अतिपरवलय (मानक रूप में निर्दिष्ट)। द्वितीय अंश के समीकरण का मानक रूप तक लघु करण। त्रिज्याएं तथा अभिलम्ब।

त्रिविम की विश्लेषिक ज्यामिति

समतल सीधी रेखाएं तथा गोलक (केवल कार्तीय निर्देशांक)। कलन और विभिन्न समीकरण।

कलन (कैलकुलस) और विभिन्न समीकरण :

अवकल गणित—सीमान्त की संकल्पना, वास्तविक चर फलन का सांतत्य और अवकलनीयता, मानक फलन का अवकलनज उत्तरोत्तर अवकलन। रोल का प्रमेय। मध्यमान-प्रमेय, मैकलारिन और टेलर सीरीज (प्रमाण आवश्यक नहीं है) और उनका अनुप्रयोग, परिमेय सूचकांकों के लिए द्विपद-प्रसारण, चरघातांकी प्रसरण, लघुगणतीय त्रिकोणमितीय और अति परवलयिक फलन। अनिर्धारित रूप, एकल चर फल का उच्चिष्ठ और अल्पिष्ठ, स्पर्श रेखा, अभिलम्ब, अधःस्पर्शी, अधोलम्ब, अनन्तस्पर्शी वक्रताएं (केवल कार्तीय, निर्देशांक) जैसे ज्यामितीय अनुप्रयोग। एन वेल्प आंशिक अवकलन। समांगी फलनों से सम्बन्धित आयलर प्रमेय।

समाकलन—गणित इंटीग्रल (कैलकुलस)

समाकलन की मानक प्रणाली, सतत फलन के निश्चित समाकलन की रीमान परिभाषा। समाकलन गणित के मूल सिद्धांत परिशोधन, क्षेत्रकलन, आयतन और परिक्रमण घनाकृति का पृष्ठीय का क्षेत्रफल। संख्यात्मक समाकलन के बारे में सिम्पसन का नियम।

अनुक्रम और सिरीज का अभिसरण, वास्तविक संख्याओं के साथ सीरीज अभिसरण का परीक्षण। अनुपात, मूल, और रास परीक्षण। एकांतर श्रेणी।

अवकलन समीकरण—प्रथम कोटि के मानक अवकलन समीकरण का हल निकालना। नियत गुणांक के साथ द्वितीय और उच्चतर कोटि का रेखिक समीकरण का हल निकालना। वृद्धि और क्षय की समस्याओं का सरल अनुप्रयोग। सरल आवर्त गति, सरल, लोलक तथा उसके समदिशा।

भाग 'ख'

यांत्रिकी (वेक्टर पद्धति का उपयोग किया जा सकता है)

स्थिति विज्ञान—बल का निरूपण, बल समानान्तर चतुर्भुज, बल संयोजन और बल वियोजन और समतलीय तथा समांगी बलों की साम्यावस्था की स्थिति बल त्रिभुज। जातीय और विजातीय समान्तर-बल। आघूर्ण। बल युग्म समतलीय, बलों का साम्यावस्था की सामान्य स्थिति। साधारण तत्वों के गुरुत्व केन्द्र। स्थैतिक घर्षण। साम्य घर्षण और सीमांत घर्षण। घर्षण कोण। कण आनत समतल पर के कण की साम्यावस्था। सरल मशीन। साधारण मशीन (उत्तोलक घिरनी की निर्देश पद्धति गियर) कल्पित कार्य (दो आयामों में)।

गति विज्ञान शुद्ध गति विज्ञान—कण का त्वरण, वेग चाल और विस्थापन, आपेक्षिक वेग। निरन्तर त्वरण की अवस्था में सीधी रेखा गति न्यूटन के गति संबंधी सिद्धांत। संकेन्द्र कक्षा सरल प्रसंवादी गति (निर्वात में) गुरुत्वावस्था में गति। आवेग कार्य और ऊर्जा। रैखिक संवेग और ऊर्जा का संरक्षण। एक समान वर्तुल गति।

खगोल विज्ञान

गोलीय त्रिकोण मिति—ज्या एवं कोटिज्या फार्मूला। समकोण गोलीय त्रिकोणों के गुण।

गोलीय त्रिकोण मिति—ज्या एवं कोटिज्या फार्मूला। और उसका रूपान्तरण दैनिक गति नक्षत्र समय, सौर समय, सौर समय, स्थानीय और मानक समय, समय समीकार। सूर्य और नक्षत्रों का उदय और अस्त, क्षितिज नाम। खगोल अपवर्तन। सांध्य प्रकाश, लम्बन अपेरेण, पुरस्सरण और विदोलन। केपलर नियम। ग्रह कक्षा और स्तब्ध बिन्दु। चन्द्रमा की दृष्टि गति, चन्द्रमा की अवस्थाएं। खगोलीय यंत्रसासटेन प्रेषण यंत्र।

सांख्यिकी

प्रायिकता—प्रायिकता की शास्त्रीय और सांख्यिकीय परिभाषा, संचयात्मक प्रणाली की प्रायिकता का परिकलन, योग एवं गुणन सिद्धांत, सप्रतिबंध प्रायिकता यादृच्छिक चर (विविक्त और अवरित), घनत्व फलन, गणितीय प्रत्याशा।

मानक वितरण—द्विपद-परिभाषा माध्य और प्रसरण वैषम्य सीमान्त रूप, सरल अनुप्रयोग। प्वासों—परिभाषा माध्यम और प्रसरण योज्यता उपलब्ध आंकड़ों में प्वासों बंटन का समंजन सामान्य—सरल समानुपात और सरल अनुप्रयोग उपलब्ध आंकड़ों के सामान्य और प्रसामान्य बंटन का समंजन।

द्विचर वितरण—सह संबंध, दो चरों का रैखिक समाश्रयण, सीधी रेखा का समंजन, परवलयिक और चल घातांकी, वक्र सह संबंधित गुणांक के गुणक।

सरल प्रतिदर्श वितरण और परिकल्पनाओं का सरल परीक्षण :

यादृच्छिक प्रतिदर्श, सांख्यिकी, प्रतिदर्श वितरण और मानक त्रुटि। अर्थवत्ता के परीक्षण में प्रसामान्य, टी०, काई वर्ग (chi^2) और एफ० वितरणों का सरल अनुप्रयोग।

नोट :—

उम्मीदवारों को पाठ्य विवरण के भाग "क" में से तीन विषयों में से नामतः (1) बीज गणित (2) द्विविम और त्रिविम विश्लेषिक ज्यामिति तथा (3) कलन (कलकुलस) और विभिन्न समीकरण प्रत्येक पर, एक-एक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य होगा। पाठ्य विवरण के भाग 'ख' में से तीन विषयों में से नामतः (1) यांत्रिकी, (2) खगोल विज्ञान और (3) सांख्यिकी, किसी एक पर कम से कम प्रश्न का उत्तर देना, अनिवार्य होगा।

मेकेनिकल इंजीनियरी : (कोड—10)

1. पदार्थों की शक्ति :

स्ट्रेसेज तथा स्ट्रेन—हुक का नियम तथा इलास्टिक कांस्टेंट्स के बीच के संबंध—टेंशन व कम्प्रेशन बार्ज तथा तापमान में परिवर्तन के कारण हुए स्ट्रेसेज।

साधारण मदान के लिए सामान्य सहारों के साथ लटकते हुए और कन्टीलीवर बीम्स के बंकन आघूर्ण, अपरूपक बल और विक्षेपण।

राउन्ड बार्ज में टार्शन—

शैफ्ट्स द्वारा बिजली पारेषण—स्प्रिंग्स।

सम्मिलित बंकन और सीधे प्रतिबल तथा सम्मिलित व टार्शन के सामान्य मामले।

फ्ल्योर की इलास्टिक थ्योरी—स्फस कन्सेन्ट्रेशन तथा फेडींग।

मशीनों और मशीन डिजाइनों का सिद्धांत :

मशीनों में पुर्जों की सापेक्ष वेलोसिटी तथा गणना करके दिखाना।

इंजनों के क्रैंक एफर्ट डायग्राम—फ्लाई व्हील्स की गति विविक्तता। गवर्नर्स। बेल्ट ड्राइव द्वारा पारेषित बिजली जनरल तथा थ्रस्ट बियरिंग बाल तथा रोलर बियरिंग की फ्रिक्शन तथा लुब्रिकेशन। फासनिंग और लाकिंग डिवाइस के डिजाईन बनाना—रिवट लगाए हुए बोल्ट और वेल्ड किए हुए जोड़ों और फार्मलिंग के लिए मानाएं।

3 प्रयुक्त ऊष्मा गतिकी :

ईंधन दहन—वायु पूर्ति—ईंधन तथा निष्कास गैस का विश्लेषण।

ब्वायलर्स, सुपर हीटर्स तथा इकोनोमाइजर्स—ब्वायलर ट्रायल।

वाष्प के भौतिक गुण धर्म।

वाष्प सारणियां और उनके उपयोग ।

ऊष्मा गतिकी के नियम—गैस नियम—गैसों का विस्तार तथा संपीडन वायु सम्पीडक ।

आदर्श और वास्तविक इंजन क्रम ।

तापमान का उपयोग—एन्ट्रापी, ताप-एन्ट्रापी तथा प्रेशर वाल्यूम चार्ट और डायग्राम ।

साधारण वाष्प इंजन और प्रतिनिविष्ट दहन वाले इंजन ।

सूचक और सूचक डायग्राम—यांत्रिक । तापीय, वायु मानक और वास्तविक दक्षताएं—सामान्य निर्माण—इंजन ट्रायल और ताप संतुलन ।

4. प्रोडक्शन इंजीनियरी :

ग्राम मशीन औजार—लेथ, शेपर्स, प्लेन से ड्रिलिंग मशीनों के प्रचलन सिद्धांत—मिलिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीनें—जिग तथा फिक्सचर । धातु काटने वाले औजार—औजार सामग्री—औजार ज्यामिति ।

कटिंग फोर्सेज—अपघर्षी व्हील्स ।

वेल्डिंग—संघर्षणीयता और विभिन्न वेल्डिंग प्रक्रियाएं—वेल्डों का टेस्ट करना । फार्मिंग प्रासेस—धातुओं का मोल्डिंग, कास्टिंग, फोर्जिंग, रोलिंग तथा ड्राइंग ।

मापिकी—लाइनियर तथा एंगुलर परिमाण—सीमाएं तथा आक्षेप । स्क्रू और गियर का परिमाप—सफल फिनिश—प्रकाशकीय यंत्र ।

औद्योगिक इंजीनियरी—प्रणाली अध्ययन और कार्य मापन—गति समय संबंधी तथ्य कार्य नमूना—कार्य मूल्यांकन, मजदूरी और प्रोत्साहन आयोजन, नियंत्रण, संयंत्र की व्यवस्था ।

तरल यांत्रिकी और पन बिजली :

बरनौली का समीकरण—मुविंग प्लेट तथा वैन—पम्प और टरबाइन । प्रतिकल्पन नियम, प्रयोग और विशिष्ट धन समानता के सिद्धांत, गवनिक जलीय संचायक और तीव्र—क्रेन और लिफ्ट सर्ज टैंक और रिजर्वायर्स ।

भौतिकी : (कोड 11)

पदार्थ के सामान्य गुण और यांत्रिकी :

यूनिटें और विमाएं, स्केलर और वैक्टर मात्राएं, जड़त्व आघूर्ण कार्य ऊर्जा और संवेग/यांत्रिकी के मूल नियम, घर्णी, गति, गुरुत्वाकर्षण, सरल आवर्त, गति, सरल और असरल लोलक, कंटर लोलक, प्रत्यास्थता—पृष्ठ तनाव, द्रव का श्यानता, रोटरी पम्प, मर्करियोड गज ।

2. ध्वनि :

अवमंदित, प्रणोदित और मुक्त कंपन, तरंग गति डाप्लर प्रभाव ध्वनि तरंग वेग, किसी गैस में ध्वनि के वेग पर दाब, तापमान, आर्द्रता का प्रभाव, डोरियों, छड़ों, प्लेटों और गैस स्तम्भों का कम्पन, अनुनाद, विस्पंद, स्थिर तरंग, ध्वनि का आवृत्ति और उसका मापन: तापीय प्रसार ; गैसों में समतापी पराश्रव्य के मूल तत्व, ग्रामोफोन और लाऊड स्पीकरों के प्रारंभिक सिद्धांत ।

3. ऊष्मा और ऊष्मा गति विज्ञान :

तापमान और उसका मापन: तापीय प्रसार, गैसों में समतापी तथा रुद्धोष्म (एडियाबेटिक) परिवर्तन/विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्मा चालकता, द्रव्य के अणुगति सिद्धांत में तत्व बोल्टसमन के वितरण नियम का भौतिक बोध; वांडर वाल की अवस्था समीकरण, जल थाम्पसन प्रभाव; गैसों का द्रवण, ऊष्मा इंजन; कार्नो प्रमय, ऊष्मा गति विज्ञान के नियम और उनके सरल अनुप्रयोग, कृष्णिका विकिरण ।

4. प्रकाश :

ज्यामितीय प्रकाशकी, प्रकाश का वेग, समतल और गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, प्रकाशीय प्रतिबिम्बों में दोष और उनका निवारण; नेत्र और अन्य प्रकाशिक यंत्र का तरंग सिद्धांत; व्यतिकरण सरल व्यतिकरण मापी विवर्तन: विवर्तन, ग्रेटिंग प्रकाश का ध्रुवण । स्पेक्ट्रम विज्ञान के तत्व ।

5. विद्युत और चुम्बकत्व :

सरल मामलों में विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विभव का परिकलन, गाउस प्रमेय और उसके सरल अनुप्रयोग; विद्युत मापी, विद्युत क्षेत्र के कारण ऊर्जा द्रव्य के विद्युत और चुम्बकीय गुण धर्म, हिस्टेरिसिस चुम्बकशीलता और चुम्बकीय प्रवृत्त धारा से उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र मुविंग मेग्नेट एण्ड मुविंग, क्वायल गैल्वेनोमीटर; धारा और प्रतिरोध का मापन; रिएक्टिव सर्किट एलिमेन्ट्स के गुण धर्म और उनका निर्धारण तापविद्युत प्रभाव; विद्युत चुम्बकीय प्रेरण—प्रत्यावर्ती धाराओं का उत्पादन, ट्रांसफार्मर और मोटर । इलेक्ट्रानिक वाल्व और उनके सरल अनुप्रयोग ।

भार के परमाणु सिद्धांत के तत्व इलेक्ट्रान; कैथोड-रे और एक्स-रे इलेक्ट्रानिक चार्ज और द्रव्यमान का मापन ।

प्राणि विज्ञान : (कोड 13)

प्राणि जगत का प्रमुख समूहों में वर्गीकरण; विभिन्न वर्गों के विशिष्ट लक्षण ।

रज्जु रहित (नान-कार्डेट) किस्म के प्राणियों की बनावट, आदतें और जीवन-वृत्त ।

अमीबा, मलेरिया—पर जीवी । स्पंज, लिवरजीलू, फीता कृमि; गोल कृमि, केंचुआ, जोंक, तिल चट्टा; गृह मक्खी, मच्छर, बिच्छू, ताजे पानी का मसल, ताल घोंघा, टार फिश (केवल बाह्य लक्षण) ।

कीटों का आर्थिक महत्व । निम्नलिखित कीटों की परिस्थिति और जीवन वृत्त :

दीमक, टिड्डी, शहद की मक्खी और रेशम का कीड़ा ।

रज्जु की—क्रम वर्गीकरण ।

निम्नलिखित प्रकार के रज्जुमान प्राणियों की बनावट और तुलनात्मक शरीर :—

एकिओस्टोमा; स्कालिओडान; मेढ़क; यूरोमेस्टिक्स या कोई अन्य छिपकली (वरनस का अस्थिपंजर); कबूतर (कुक्कुट का अस्थिपंजर); और खरगोश, चूहा या गिलहरी ।

मेंढ़क और खरगोश के सन्दर्भ में जन्तुकाय के विभिन्न अंगों ऊतक विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान की प्रारंभिक जानकारी अन्तःस्रावी ग्रंथियां और उनका कार्य ।

मेंढ़क और चजेंज के विकास की रूप-रेखा, स्तनी जन्तुओं की बनावट और कार्य ।

विकास के सामान्य नियम; विविधता, आनुवंशिकता, अनुकूलन पुनरावर्तन परिकल्पना; मेंडलीय आनुवंशिकता घागिक जनन और लैंगिक जनन की विधियां, अनिषेक जनन, पार्थ नोजेनेसिस, कायांतरण पीढ़ी एकांतरण ।

विशेष रूप से भारतीय जन्तु समूह के संदर्भ में जन्तुओं का परिस्थितिक और भूवैज्ञानिक वितरण ।

भारत के अन्य प्राणी जिसमें विषैले और विषहीन सांप भी शामिल हैं; शिकार पक्षी ।

भाग 'ख'

व्यक्तित्व परीक्षण :

उम्मीदवारों का साक्षात्कार सुयोग्य और निष्पक्ष विज्ञानों के बोर्ड द्वारा किया जाएगा जिनके सामने उम्मीदवार का सर्वांगीण जीवन वृत्त होगा । साक्षात्कार का उद्देश्य यह है कि इस सेवा के लिये व्यक्तियों की दृष्टि से उम्मीदवार उपयुक्त है अथवा नहीं । उम्मीदवारों से आशा की जाएगी कि वे केवल विद्याध्ययन के विशेष विषयों में ही सूझ-बूझ के साथ रुचि न लेते हों अपितु उन घटनाओं में भी रुचि लेते हों जो उनके चारों

और अपने राज्य या देश के भीतर और बाहर घट रही है तथा आधुनिक विचारधाराओं और नई उन खोजों में रुचि लें जिनके प्रति एक सुशिक्षित व्यक्ति जिज्ञासा उत्पन्न होती है।

2. साक्षात्कार महज जिरह की प्रक्रिया नहीं है, अपितु स्वाभाविक निर्देशन प्रयोजनयुक्त वार्तालाप की प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य उम्मीदवारों के मानसिक गुणों और समस्याओं को समझने की शक्ति को अभिव्यक्त करना है, बोर्ड द्वारा उम्मीदवारों की सामाजिक सतर्कता आलोचनात्मक ग्रहणशीलता, संतुलित निर्णय और मानसिक सतर्कता, सामाजिक संगठन की योग्यता, चारित्रिक ईमानदारी, नेतृत्व की पहल और क्षमता के मूल्यांकन पर विशेष बल दिया जाएगा।

परिशिष्ट—II

(देखिए नियम 20)

भारतीय वन सेवा संबंधी संक्षिप्त ब्यौरे (देखिए 20) :

(क) नियुक्तियां परिवीक्षा के आधार पर की जाएंगी जिसकी अवधि तीन वर्ष की होगी और उसे बढ़ाया भी जा सकेगा। सफल उम्मीदवारों को परिवीक्षा की अवधि में भारत सरकार के निर्णय के अनुसार निश्चित स्थान पर और निश्चित रीति से कार्य करना होगा और निश्चित परीक्षाएं पास करनी होंगी।

(ख) यदि सरकार की राय में, किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा मुक्त कर सकती है या यथास्थिति उस स्थायी पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है जिस पर उसका पुनर्ग्रहण अधिकार है या होगा बशर्ते कि उक्त सेवा में नियुक्ति से पहले उस पर लागू नियमों के अन्तर्गत पुनर्ग्रहण अधिकार निलम्बित न कर दिया गया हो।

(ग) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो, तो सरकार उसे या तो सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा की अवधि को जितना उचित हो, बढ़ा सकती है।

(घ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्ति करने की अपनी शक्ति किसी अधिकारी को सौंप रखी हो तो वह अधिकारी ऊपर खण्ड (ख) और (ग) के अन्तर्गत, सरकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

(ङ) भारतीय वन सेवा के अधिकारी को केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्तर्गत, भारत में या विदेश में किसी भी स्थान पर सेवा करनी पड़ सकती है।

(च) वेतनमान :	रु० 700–40–900–द० रो०–
कनिष्ठ वेतनमान	40– 1100– 50–1300 (15 वर्ष)।
वरिष्ठ वेतनमान :	
(क) समय वेतनमान	रु० 1100 (छठ वर्ष या उससे पहले)–50–1600 (16 वर्ष)।
(क) चयन ग्रेड	रु० 1650–75–1800
वनसंरक्षक	रु० 1800–100–2000
उप–मुख्य वन संरक्षक (राज्यों में जहां ऐसा पद विद्यमान है)।	रु० 2000 –125/2 2–2250
अपर मुख्य वन संरक्षक (राज्यों में जहां ऐसा पद विद्यमान है)	2250–125/2–2500
मुख्य वन संरक्षक	2500–125/ 2–2750
उप वन महानिरीक्षक	2000–125/2–2250 तथा साथ में रु० 300/– प्र० मा० विशेष वेतन।
अतिरिक्त वन महानिरीक्षक	रु० 2500–100–3000
वन महानिरीक्षक	रु० 3000–100–3500

समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार मंहगाई

परिवीक्षाधीन अधिकारी की सेवा कनिष्ठ वेतनमान में प्रारम्भ होगी और उसे परिवीक्षा पर बिताई गई अवधि को समय वेतनमान में अवकाश, पेंशन या वेतन वृद्धि के लिए गिनने की अनुमति होगी।

(छ) भविष्य निधि–भारतीय वन सेवा के अधिकारी अखिल भारतीय सेवा (भविष्य निधि) नियमावली, 1955 से शासित होते हैं।

(ज) अवकाश—भारतीय वन सेवा के अधिकारी अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 से शासित होते हैं।

(झ) डाक्टरी परिचर्या—भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को अखिल भारतीय सेवा (डाक्टरी परिचर्या) नियमावली, 1954 के अधीनस्थ प्राप्त डाक्टरी परिचर्या की सुविधाएं पाने का हक है।

(ञ) सेवा निवृत्ति लाभ—प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त किए भारतीय वन सेवा के अधिकारी, अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु वन सेवा निवृत्ति लाभ) नियमावली 1958 द्वारा शासित होते हैं।

परिशिष्ट—III

उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा के बारे में विनियम

(देखिए नियम 17)

[ये विनियम उम्मीदवारों की सुविधा के लिए प्रकाशित किए जाते हैं ताकि वे यह अनुमान लगा सकें कि वे अपेक्षित शारीरिक स्तर के हैं या नहीं। ये विनियम स्वास्थ्य परीक्षकों के मार्ग निर्देशन के लिए भी हैं।

2. भारत सरकार को स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करके उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।]

1. नियुक्ति के लिए स्वस्थ ठहराए जाने के लिए यह जरूरी है कि उम्मीदवार का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो और उसमें कोई ऐसा शारीरक दोष न हो जिससे नियुक्ति के बाद दक्षतापूर्वक काम करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो।

2. चलने की परीक्षा :—पुरुष उम्मीदवारों को चार घण्टे में पूर्ण होने वाली 25 किलोमीटर और महिला उम्मीदवार को 4 घण्टे में पूर्ण होनेवाली 14 किलोमीटर चलने की परीक्षा में सफलता प्राप्त करनी होगी। वन महानिरीक्षक, भारत सरकार द्वारा इस परीक्षा की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि वह स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड के साथ-साथ हो सके।

3. (क) भारतीय (ऐंग्लो इण्डियन सहित) जाति के उम्मीदवारों की आयु, कद और छाती के घेर के परस्पर सम्बन्ध के बारे में मेडिकल बोर्ड के ऊपर यह बात छोड़ दी गई है कि वह उम्मीदवारों का परीक्षा में मार्ग दर्शन के रूप में जो भी परस्पर सम्बन्ध के आंकड़े सबसे अधिक उपयुक्त समझे, व्यवहार में लाए। यदि वजन, कद और छाती के घेर में विषमता हो तो जांच के लिए उम्मीदवार को अस्पताल में रखना चाहिए और छाती का एक्स–रे लेना चाहिए। ऐसा करने के बाद ही बोर्ड उम्मीदवार को स्वस्थ अथवा अस्वस्थ घोषित करेगा।

(ख) कद और छाती के घेर के लिए कम से कम मानक निम्नलिखित हैं, जिस पर पूरा न उतरने पर उम्मीदवार को स्वीकार नहीं किया जा सकता :—

कद	छाती का घेर (पूरा फुलाकर)	फलाव
163 सें०मी०	84 सें०मी०	5 सें० मी० (पुरुषों के लिए)
150 सें० मी०	79 सें० मी०	5 सें० मी० (महिलाओं के लिए)

अनुसूचित जनजातियों तथा गोरखों, नेपालियों, असामियों, मेघालय, जन जातियों, लद्दाखियों, सिक्किमियों, भूटानियों, गढ़वालियों, कमाऊंनियों, नागाओं तथा अरुणाचल प्रदेश के उम्मीदवारों के मामले में, जिनका औसत कद विशिष्टतया कम होता है, कद में छूट देने के लिए, कम से कम निर्धारित मानक निम्नलिखित है :—

पुरुष	152.5 सें०मी०
महिला	145.0 सें०मी०

4. उम्मीदवार का कद निम्नलिखित विधि से मापा जाएगा :—

वह अपने जूते उतार देगा और उस मापदण्ड (स्टैंडर्ड) से इस प्रकार सटा कर खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव आपस में जुड़े रहें और उसका वजन सिवाए एड़ियों के पांवों की उंगलियों या किसी और हिस्से पर न पड़ें। वह बिना अकड़े सीधा खड़ा होगा और उसकी एड़ियां, पिण्डलियां, नितम्ब और कन्धे मापदण्ड के साथ लगे होंगे। उसकी ठोढ़ी नीची रखी जाएगी ताकि सिर का स्तर (स्तम्भ आफ हैड लेवल) हारिजेंटल बार (आड़ी छड़) के नीचे आए। कद सेंटीमीटर और आधे सेंटीमीटरो में मापा जाएगा।

5. उम्मीदवार की छाती नापने का तरीका निम्न प्रकार है :

उसे इस भांति खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव जुड़े हों और उसकी भुजाएं सिर से ऊपर उठी हों। फीते को छाती के गिर्द इस तरह लगाया जाएगा कि पीछे और उसका ऊपरी किनारा असफलक (शोल्डर ब्लेड) के निम्न कोणों (इन्फीरियर एंगल्स) से लगा रहे और वह फीते को छाती के गिर्द ले जाने पर उसी आड़े समतल—(हारिजेंटल प्लेन) में रहें। फिर भुजाओं को नीचे किया जाएगा और उन्हें शरीर के साथ लटका रहने दिया जाएगा। किन्तु इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कन्धे ऊपर या पीछे की ओर न किए जाएं ताकि फीता अपने स्थान से हट न पाए तब उम्मीदवार को कई बार गहरा सांस लेने के लिए कहा जाएगा और कम से कम और अधिक से अधिक फैलाव सेंटीमीटरो में रिकार्ड किया जाएगा, 84–89, 86–93.5 आदि। नाप को रिकार्ड करते समय आधे सेंटीमीटर से कम के भिन्न (फ्रैक्शन) को नोट नहीं करना चाहिए।

नोट—अन्तिम निर्णय करने से पूर्व उम्मीदवार का कद और छाती दोबारा नापने चाहिए।

6. उम्मीदवार का वजन भी किया जा गा और उसका वजन किलोग्राम में रिकार्ड किया जाएगा, आधे किलोग्राम से कम के फ्रेक्शन को नोट नहीं करना चाहिए।

7. उम्मीदवार की नजर की जांच निम्नलिखित नियमों के अनुसार की जाएगी। प्रत्येक जांच का परिणाम रिकार्ड किया जाएगा।

(1) सामान्य (जनरल)—किसी रोग या असमान्यता (एबनार्मेलिटी) का पता लगाने के लिए उम्मीदवार की आंखों की सामान्य परीक्षा की जाएगी। यदि उम्मीदवार को भेंगापन या आंखों, पलको अथवा साथ लगती संरचनाओं (कंटीगुअस स्ट्रक्चर्स) का विकास होगा जिसे भविष्य में किसी भी समय सेवा के लिए उसके अयोग्य होने की सम्भावना हो तो उम्मीदवार को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(2) दृष्टि तीक्ष्णता (विजुअल एक्विटी)—दृष्टि की तीव्रता का निर्धारण करने के लिए दो बार जांच की जाएगी। एक दूर की नजर के लिए और दूसरी नजदीक की नजर के लिए। प्रत्येक आंख की अलग से परीक्षा की जाएगी।

चश्मे के बिना (नेकेड आई विजन) की कोई न्यूनतम सीमा (मिनीमम लिमिट) नहीं होगी, किन्तु प्रत्येक मामले में मेडिकल बोर्ड या अन्य मेडिकल प्राधिकारी द्वारा इसे रिकार्ड किया जाएगा क्योंकि इससे आंख की हालत के बारे में मूल सूचना (बेसिक इन्फारमेशन) मिल जाएगी।

भारतीय वन सेवा एक तकनीकी सेवा है।

चश्मे के साथ और चश्मे के बिना दूर और नजदीक की नजर का मानक निम्नलिखित होगा :—

दूर की नजर		नजदीक की नजर	
अच्छी आंख (ठीक की हुई आंख)	खराब आंख	अच्छी आंख (ठीक की हुई आंख)	खराब आंख
6/6	6/12 या	जे० I /जे०	
6/6	6/9		

टिप्पणी :

(1) फंडस परीक्षा—मायोपिया फंडस के प्रत्येक मामले में जांच करनी चाहिए और उसके नतीजों को रिकार्ड किया जाना चाहिए। यदि उम्मीदवार की ऐसी रोगात्मक अवस्था हो जिसके बढ़ने और उससे उम्मीदवार की कार्यकुशलता पर असर पड़ने की सम्भावना हो तो उसे अयोग्य घोषित कर देना चाहिए।

मायोपिया का कुल परिणाम (सिलेन्डर सहित) 4.00 डी० से नहीं बढ़ेगा। हाइपरमेट्रोपिया (सिलेण्डर सहित) + 4.00 डी० से नहीं बढ़ेगा।

शर्त यह है कि उम्मीदवार भारी निकट दृष्टि के कारण अयोग्य पाया जाए तो वह मामला तीन दृष्टि विशेषज्ञों के विशिष्ट बोर्ड को भेज दिया जाएगा जो यह घोषणा करेंगे कि निकट दृष्टि रोगात्मक है या नहीं। यदि यह मामला रोगात्मक नहीं हो तो उम्मीदवार को योग्य घोषित कर दिया जाएगा, बशर्ते वह अन्यथा दृष्टि सम्बन्धी अपेक्षाएं पूरी करे।

(2) कलर विजन, (i) रंगों के सन्दर्भ में नजर की जांच आवश्यक होगी।

(ii) नीचे दी हुई तालिका के अनुसार रंग का प्रत्यक्ष ज्ञान उच्चतर (हायर) और निम्नतर (लोअर) ग्रेडों में होना चाहिए जो नैटर्न के द्वारक (एपर्चर) के आकार पर निर्भर हो :

ग्रेड	रंग के प्रत्यक्ष ज्ञान का ग्रेड
1. लैम्प और उम्मीदवार के बीच की दूरी	16 फीट
2. द्वारक (एपर्चर) का आकार	1.3 मीटर
3. दिखाने का समय	5 सेकण्ड

(3) लाल संकेत, हरे संकेत और सफेद रंग को आसानी से और हिचकिचाहट के बिना पहचान लेना सन्तोषजनक कलर विजन है। इशिहारा की प्लेटों के इस्तेमाल को जिन्हें एडिज ग्रीन को लटर्न जैसी उपयुक्त लेटर्न और उसकी रोशनी में दिखाया जाता है, कलर विजन की जांच करने के लिए बिलकुल विश्वसनीय समझा जाएगा। वैसे तो दोनों जांचों

में से किसी भी एक जांच को साधारण तथा पर्याप्त समझा जा सकता है। लेकिन सड़क, रेल और हवाई यातायात से सम्बन्धित सेवाओं के लिए लैंटर्न से जांच करना लाजमी है। शक वाले मामले में जब उम्मीदवार को किसी एक जांच करने पर अयोग्य पाया जाए तो दोनों ही तरीके से जांच करनी चाहिए।

(3) दृष्टि क्षेत्र (फील्ड आफ विजन)—सभी सेवाओं के लिए सम्मुखन विधि (कन्फ्रंटेशन मथड) द्वारा दृष्टि क्षेत्र की जांच की जाएगी। जब ऐसी जांच का नतीजा असन्तोषजनक या संदिग्ध हो तब दृष्टि क्षेत्र को परामापी (पैरा मीटर) पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

(4) रतौंधी (नाइट ब्लाइन्डनेस)—केवल विशेष मामलों को छोड़कर रतौंधी की जांच नेमी रूप से जरूरी नहीं है। रतौंधी या अन्धेरे में दिखाई न देने की जांच करने के लिए कोई नियत स्टण्डर्ड टेस्ट नहीं है। मेडिकल बोर्ड को ही ऐसे काम चलाऊ टेस्ट कर लेने चाहिएं जैसे रोशनी कम करके या उम्मीदवार को अन्धेरे कमरे में ले जाकर 20 से 30 मिनट के बाद उससे विविध चीजों की पहचान करवा कर दृष्टि तीक्ष्णता रिकार्ड करना। उम्मीदवारों के अपने कथनों पर कभी भी वास नहीं करना चाहिए किन्तु उन पर उचित विचार किया जाना चाहिए।

(5) दृष्टि की तीक्ष्णता से भिन्न आंख की अवस्थाएं (आक्युलर कन्डीशन):

(क) आंख की इस बीमारी को या बढ़ती हुई अपवर्तन त्रुटि (प्रोग्रसिव रिफ्रेक्टिव एरर) को, जिसके परिणामस्वरूप दृष्टि की तीक्ष्णता के कम होने की सम्भावना हो अयोग्यता का कारण समझना चाहिए।

(ख) रोहे (ट्रकोमा)—यदि रोहे जटिल न हों तो ये आमतौर से अयोग्यता का कारण नहीं होंगे।

(ग) भेंगापन—द्विनेत्री —(बाइनाकुलर) दृष्टि का होना लाजिमी है। नियत स्टन्डर्ड की दृष्टि की तीक्ष्णता होने पर भी भेंगापन को अयोग्यता का कारण समझना चाहिए।

(घ) एक आंख वाले व्यक्ति—नियुक्ति के लिए एक आंख वाले व्यक्तियों की अनुशंसा नहीं की जाती।

(8) रक्त दाब (ब्लड प्रेशर):

ब्लड प्रेशर के सम्बन्ध में बोर्ड अपने निर्णय से काम लेगा। नार्मल उच्चतम सिस्टालिक प्रेशर के आकलन की काम चलाऊ विधि नीचे दी जाती है:

(1) 15 से 25 वर्ष के व्यक्तियों में औसत ब्लड प्रेशर लगभग 100—आयु होता है।

(2) 25 वर्ष से ऊपर की आयु वाले व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर के आकलन का सामान्य नियम यह है कि 110 में आधी आयु जोड़ दी जाए। यह तरीका बिल्कुल सन्तोषजनक दिखाई पड़ता है।

ध्यान दीजिए—सामान्य नियम के रूप में 140 से ऊपर के सिस्टालिक प्रेशर को 90 से ऊपर के डायस्टालिक प्रेशर को संदिग्ध मान लेना चाहिए और उम्मीदवार को अयोग्य या योग्य ठहराने के सम्बन्ध में अपनी अन्तिम राय देने से पहले बोर्ड को चाहिए कि उम्मीदवार को अस्पताल में रखें। अस्पतला में रखने की रिपोर्ट से यह पता लगाना चाहिए कि घबराहट (एक्साइटमेन्ट) आदि के कारण ब्लड प्रेशर थोड़े समय रहने वाला है या इसका कारण कोई कायिक (आर्गनिक) बीमारी है। ऐसे सभी मामलों में हृदय के एक्सरे और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जांच और रक्त यूरिया निकास (क्लियरेंस) की जांच भी नेमी तौर पर की जानी चाहिए फिर भी उम्मीदवार के योग्य होने या न होने के बारे में अन्तिम फैसला केवल मेडिकल बोर्ड ही करेगा।

ब्लड प्रेशर (रक्त दाब) लेने का तरीका:

नियमित: पारे वाले दाबमापी (मर्करी मनोमीटर), किस्म का आला इस्तेमाल करना चाहिए। किसी किस्म के व्यायाम या घबराहट के बाद पन्द्रह मिनट तक रक्त दाब नहीं लेना चाहिए। रोगी बैठा या लेटा हो बशर्ते कि वह और विशेषकर उसकी भुजा शिथिल और आराम से हो। कुछ हारिजेंटल स्थिति में रोगी के पार्श्व पर से कन्धे तक कपड़ा उतार देना चाहिए। कफ में से पूरी तरह हवा निकाल कर बीच की रबड़ की भुजा के अन्दर की ओर रखकर और उसके निचले किनारे को कोहनी के मोड़ से एक या दो इंच ऊपर करके लगाना चाहिए। इसके बाद कपड़े की पिट्टी को फैलाकर समान रूप से लपेटना चाहिए। ताकि हवा भरने पर कोई हिस्सा फूल कर बाहर न निकले।

कोहनी के मोड़ पर प्रगंड धमनी (ब्रेकिअल आर्टरी) को दबा-दबा कर ढूंढा जाता है और तब इसके ऊपर बीचों-बीच स्टेथस्कोप को हल्के से लगाया जाता है। जो कफ के साथ न लगे। कफ लगभग 200 एम० एम० एच० जी० हवा भरी जाती है और इसके बाद इसमें से धीरे-धीरे हवा निकाली जाती है। हल्की क्रम ध्वनियां सुनाई पड़ने पर जिस स्तर पर पारे का कालम टिका होता है वह सिस्टालिक प्रेशर दर्शाता है जब और हवा निकाली जाएगी तो ध्वनियां सुनाई पड़ेंगी। जिस स्तर पर ये साफ और अच्छी सुनाई पड़ने वाली ध्वनियां हल्की दबी हुई सी लुप्त प्राय हो जाए यह डायस्टालिक प्रेशर है। ब्लड प्रेशर काफी थोड़ी अवधि में ही ले लेना चाहिए क्योंकि कफ के लम्बे समय का दबाव रोगी के लिए क्षोभकर होता है और इससे रीडिंग गलत होती है। यदि दोबारा पड़ताल करनी जरूरी हो तो कफ से पूरी हवा निकाल कर कुछ मिनट के बाद ही ऐसा किया जाए। (कभी-कभी कफ में से हवा निकालने पर एक निश्चित स्तर पर ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं, दाब गिरने पर ये गायब हो जाती हैं निम्न स्तर पर पुनः प्रकट हो जाती है। इस "साइलेंट गैप" से रीडिंग में गलती हो सकती है)।

9. परीक्षक की उपस्थिति में किए गए मूत्र की परीक्षा की जानी चाहिए और परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिए। जब मेडिकल बोर्ड को किसी उम्मीदवार के मूत्र में रासायनिक जांच द्वारा शक्कर का पता चले तो बोर्ड इसके सभी पहलुओं की परीक्षा करेगा और मधुमेह (डायबिटीज) के द्योतक चिह्न और लक्षणों को भी विशेष रूप से नोट करेगा। यदि बोर्ड उम्मीदवार ग्लूकोज मेह (ग्लाइकोसूरिया) के सिवाए अपेक्षित मेडिकल फिटनेस के स्टन्डर्ड के अनुरूप पाए तो वह उम्मीदवार को इस शर्त के साथ फिट घोषित कर सकता है कि ग्लूकोज मेह अमधुमेही (नान-डायबिटिक) हो और बोर्ड केस को मेडिसन के किसी ऐसे निर्दिष्ट विशेषज्ञ के पास भेजेगा जिसके पास अस्पताल और प्रयोगशाला की सुविधाएं हों। मेडिकल विशेषज्ञ स्टेंडर्ड ब्लड शूगर टालरेंस टैस्ट समेत जो भी क्लिनिक या लेबोरेटरी परीक्षाएं जरूरी समझेगा, करेगा और अपनी रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड को भेज देगा। जिस पर मेडिकल बोर्ड की "फिट" "अनफिट" की अन्तिम राय आधारित होगी। दूसरे अवसर पर उम्मीदवार के लिए बोर्ड के सामने स्वयं उपस्थित होना जरूरी नहीं होगा। औषधि के प्रभाव को समाप्त करने के लिए यह जरूरी हो सकता है कि उम्मीदवार को कई दिन तक अस्पताल में पूरी देख-रेख में रखा जाए।

10. यदि जांच के परिणामस्वरूप कोई महिला उम्मीदवार 12 हफ्ते या उससे अधिक समय की गर्भवती पाई जाती है तो उसको अस्थाई रूप से तब तक अस्वस्थ घोषित किया जाना चाहिए जब तक कि उसका प्रसव न हो जाए। किसी रजिस्टर्ड व्यवसायी का स्वास्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर प्रसूती की तारीख के 6 हफ्ते बाद आरोग्य प्रमाण-पत्र के लिए उसकी फिर से स्वस्थ्य परीक्षा की जानी चाहिए।

11. निम्नलिखित अतिरिक्त बातों का प्रेक्षण करना चाहिए।

(क) उम्मीदवार को कानों से अच्छा सुनाई पड़ता है या नहीं और कान की बीमारी का कोई चिह्न है या नहीं। यदि कोई

कान की खराबी हो तो उसकी परीक्षा कान विशेषज्ञ द्वारा की जानी चाहिए यदि सुनने की खराबी का इलाज शल्य क्रिया (आपरेशन) या हियरिंग एड के इस्तेमाल से हो सके तो उम्मीदवार को इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता बशर्ते कि कान की बीमारी बढ़ने वाली न हो। चिकित्सा परीक्षा प्राधिकारी के मार्ग दर्शन के लिए इस सम्बन्ध में निम्नलिखित मार्गदर्शक जानकारी दी जाती है :

(1) एक कान में प्रकट अथवा पूर्ण बहरापन दूसरा कान सामान्य होगा।	यदि उच्च फ्रीक्वेंसी में बहरापन 30 डेसिबल तक हो तो गैर-तकनीकी काम के लिए योग्य।
(2) दोनों कानों बहरेपन का प्रत्यक्ष बोध, जिसमें श्रवण यंत्र (हियरिंग एड) द्वारा कुछ सुधार संभव हो।	यदि 1000 से 4000 तक की स्पीच व फ्रीक्वेंसी में बहरापन 30 डसीबल तक हो तो तकनीकी तथा गैर तकनीकी दोनों प्रकार के काम के लिए योग्य।
(3) सेन्ट्रल अथवा मार्जिनल टाइप के टिमपेनिक मम्बरेन में छिद्र।	(i) एक कान सामान्य हो दूसरे कान में टिमपेनिक मेम्ब्रेन में छिद्र हो तो अस्थाई आधार पर अयोग्य। कान की शल्य चिकित्सा की स्थिति सुधारने से दोनों कानों में मार्जिनल या अन्य छिद्र वाले उम्मीदवारों को अस्थाई रूप से अयोग्य घोषित करके उस पर नीचे दिए गए नियम 4(ii) के अधीन विचार किया जा सकता है। (ii) दोनों कानों मार्जिनल या एटिक छिद्र होने पर अयोग्य। (iii) दोनों कानों सेन्ट्रल छिद्र होने पर अस्थाई रूप से अयोग्य।
(4) कान के एक ओर से/दोनों ओर से मस्टायक कैविटी से सब-नार्मल श्रवण।	(1) किसी एक कान के सामान्य रूप से एक ओर से मस्टायड कैविटी से सुनाई देता हो, दूसरे कान में सबनार्मल श्रवण वाला कान/मस्टायड कैविटी होने पर, तकनीकी तथा गैर-तकनीकी दोनों प्रकार के कार्यों के लिए योग्य। (2) दोनों ओर से मस्टायड कैविटी तकनीकी काम के लिए अयोग्य, यदि किसी भी कान की श्रवणता श्रवण यंत्र लगाकर अथवा बिना लगाए सुधर कर 30 डेसिबल हो जाने पर गैर-तकनीकी कार्यों के लिए योग्य।
(5) बहते रहने वाला कान आपरेशन किया गया/बिना आपरेशन वाला।	तकनीकी तथा गैर-तकनीकी दोनों प्रकार के कामों के लिए अस्थाई रूप में अयोग्य।
(6) नासापट की हड्डी सम्बन्धी/विस्पिताओं (बोनी डिफार्मिटी) सहित अथवा उससे रहित नाक की जीर्ण प्रदाहक/एलर्जिक दशा।	(1) प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। (2) यदि लक्षणों सहित नासापट अपसरण विद्यमान होने पर अस्थाई रूप में अयोग्य।
(7) टांसिल्स और/अथवा स्वर यंत्र सेन्सि की जीर्ण प्रदाहक दशा।	(1) टांसिल और/अथवा स्वर यंत्र की जीर्ण प्रदाहक दशा योग्य। (2) यदि आवाज में अत्यधिक कर्कशता विद्यमान हो तो अस्थायी रूप से अयोग्य।
(8) कान, नाक, गले (ई० एन० टी०) के हल्के अथवा अपने स्थान पर दुर्दम ट्यूमर।	(1) हल्का ट्यूमर—अस्थायी रूप से अयोग्य। (2) दुर्दम ट्यूमर—अयोग्य।
(9) आस्टोस्किलरोसिस।	श्रवण यन्त्र की सहायता से या आपरेशन के बाद श्रवणता 30 डेसिबल के अन्दर होने पर योग्य।
(10) कान, नाक अथवा गले के जन्म-जात दोष।	(1) यदि काम काज में बाधक न हो तो योग्य। (2) भारी मात्रा ; हकलाहट हो तो अयोग्य।
(11) नेजलपोली।	अस्थाई रूप में अयोग्य।

(ख) उम्मीदवार बोलने में हकलाता/हकलाती नहीं हो।

(ग) उसके दांत अच्छी हालत में हैं या नहीं और अच्छी तरह चबाने के लिए जरूरी होने पर नकली दांत लगे हैं या नहीं (अच्छी तरह भरे हुए दांतों को ठीक समझा जाएगा)।

(घ) उसकी छाती की बनावट अच्छी है या नहीं और छाती काफी फैलती है या नहीं तथा उसका दिल या फेफड़ा ठीक है या नहीं।

(ङ) उसे पेट की कोई बीमारी है या नहीं।

(च) उसे रपचर है या नहीं।

(छ) उसे हाइड्रोसील बढ़ी हुई वरिकोसिल वेरि-साजशिरा (वेन) या बवासीर है या नहीं।

(ज) उसके अंगों, हाथों और पैरों की बनावट और विकास अच्छा है या नहीं और उसकी ग्रंथियां भली-भांति स्वतन्त्र रूप से हिलती हैं या नहीं।

(झ) उसके कोई चिरस्थायी त्वचा की बीमारी है या नहीं।

(ञ) कोई जन्मजात कुरचना या दोष है या नहीं।

(ट) उसमें किसी उग्र या जीर्ण बीमारी के निशान है या नहीं जिससे कमजोर गठन का पता लगे।

(ठ) कारगर टीके के निशान हैं या नहीं।

(ड) उसे कोई संचारी (कम्यूनिकेशन) रोग है या नहीं।

12. दिल और फेफड़ों की किसी ऐसी विलक्षणता का पता लगाने के लिए जो साधारण शारीरिक परीक्षा से ज्ञात न हो, सभी मामलों में नेमी रूप से छाती की एक्स-रे परीक्षा की जानी चाहिए।

जब कोई दोष मिले तो उसे प्रमाण-पत्र में अवश्य ही नोट किया जाए। मेडिकल परीक्षक को अपनी राय लिख देनी चाहिए कि उम्मीदवार से उपेक्षित दक्षतापूर्ण ड्यूटी में इससे बाधा पड़ने की सम्भावना है या नहीं।

सरकारी सेवाओं के लिए उम्मीदवार के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जहां कहीं सन्देह हो चिकित्सा बोर्ड का अध्यक्ष उम्मीदवार की योग्यता अथवा अयोग्यता का निर्णय किए जाने के प्रश्न पर किसी उपयुक्त अस्पताल के विशेषज्ञ से परामर्श कर सकता है, जैसे किसी उम्मीदवार पर मानसिक त्रुटि अथवा विपथन (ऐबरेशन) से पीड़ित होने का सन्देह होने में बोर्ड का अध्यक्ष अस्पताल के किसी मनोविकार विज्ञानी/मनोविज्ञानी से परामर्श में कर सकता है।

टिप्पणी :— उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि उपर्युक्त परीक्षाओं के लिए उनकी योग्यता का निर्धारण करने के लिए नियुक्त स्पेशल या स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड के खिलाफ उन्हें अपील करने के लिए कोई हक नहीं है, किन्तु यदि सरकार को प्रथम बोर्ड की जांच में निर्णय की गलती की सम्भावना के सम्बन्ध में प्रस्तुत किए गए प्रमाण के बारे में तसल्ली हो जाए तो सरकार दूसरे बोर्ड के सामने एक अपील की इजाजत दे सकती है। ऐसा प्रमाण उम्मीदवार को प्रथम मेडिकल बोर्ड के निर्णय भेजने की तारीख के एक महीने के अन्दर पेश करना चाहिए वरना दूसरे मेडिकल बोर्ड के सामने अपील करने की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जाएगा।

यदि प्रथम बोर्ड के निर्णय की गलती की सम्भावना के बारे में प्रमाण के रूप में उम्मीदवार मेडिकल प्रमाण-पत्र पेश करे तो इस प्रमाण-पत्र पर उस हालत में विचार नहीं किया जाएगा, जबकि इससे सम्बन्धित मेडिकल प्रैक्टिशनर का इस आशय का नोट नहीं होगा कि यह प्रमाण-पत्र इस तथ्य के पूर्ण ज्ञान के बाद ही दिया गया है कि उम्मीदवार पहले से ही सेवाओं के लिए मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य घोषित करके अस्वीकृत किया जा चुका हो।

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट :—

मेडिकल परीक्षक के मार्ग-दर्शन के लिए निम्नलिखित सूचना दी जाती है :—

(1) शारीरिक योग्यता (फिटनेस) के लिए अपनाए जाने वाले स्टैण्डर्ड से सम्बन्धित उम्मीदवार की आयु और सेवाकाल (यदि हो) के लिए उचित गुंजाइश रखनी चाहिए।

किसी ऐसे व्यक्ति को पब्लिक सर्विस में भर्ती के लिए योग्य नहीं समझा जाएगा जिसके बारे में यथास्थिति सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी (अप्वाइंटिंग अथारिटी) को यह तसल्ली नहीं होगी कि उसे ऐसी कोई बीमारी या शारीरिक दुर्बलता (बाडिली इनफर्मिटी) नहीं है जिससे वह उस सेवा के लिए अयोग्य हो या उसके अयोग्य होने की सम्भावना हो।

यह बात समझ लेनी चाहिए कि योग्यता का प्रश्न भविष्य से भी उतना ही सम्बद्ध है जितना वर्तमान से है और मेडिकल परीक्षा का एक मुख्य उद्देश्य निरन्तर कारगर सेवा प्राप्त करना और स्थायी नियुक्ति के उम्मीदवारों के मामले में अकाल मृत्यु होने पर समय पूर्व पेंशन या अदायगियों को रोकना है। साथ ही यह भी नोट कर लिया जाए कि यहां प्रश्न केवल निरन्तर कारगर सेवा की सम्भावना का है और उम्मीदवार को अस्वीकृत करने की सलाह इस हाल में नहीं दी जानी चाहिए जबकि उसमें कोई ऐसा दोष हो जो केवल बहुत कम परिस्थितियों में निरन्तर कारगर सेवा में बाधक पाया गया हो।

महिला उम्मीदवार की परीक्षा के लिए किसी लेडी डाक्टर को मेडिकल बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा।

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को गोपनीय रखना चाहिए।

ऐसे मामलों में जब कि कोई उम्मीदवार सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य करार दिया जाता है तो मोटे तौर पर उसके अस्वीकार किए जाने के आधार उम्मीदवार को बताए जा सकते हैं। किन्तु मेडिकल बोर्ड ने जो खराबी बताई हो उनका विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया जा सकता।

ऐसे मामलों में जहां मेडिकल बोर्ड का यह विचार हो कि सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार को अयोग्य बताने वाली छोटी-मोटी खराबी चिकित्सा (मेडिकल या सर्जिकल) द्वारा दूर हो सकती है वहां मेडिकल बोर्ड द्वारा इस आशय का कथन रिकार्ड किया जाना चाहिए। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस बारे में उम्मीदवार को बोर्ड की राय सूचित किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है और जब यह खराबी दूर हो जाए तो दूसरे मेडिकल बोर्ड के सामने उस व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कहने में सम्बन्धित प्राधिकारी स्वतन्त्र है। यदि कोई उम्मीदवार अस्थाई तौर पर अयोग्य करार दिया जाए तो दुबारा परीक्षा की अवधि साधारणतया कम से कम छः महीने से कम नहीं होनी चाहिए। निश्चित अवधि के बाद जब दुबारा परीक्षा की जाए तो ऐसे उम्मीदवारों को और आगे की अवधि के लिए अस्थायी तौर पर अयोग्य घोषित न कर नियुक्ति के लिए उनकी योग्यता के सम्बन्ध में अथवा वे इस नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं ऐसा अन्तिम रूप से दिया जाना चाहिए।

(क) उम्मीदवार का कथन और घोषणा :—

अपनी मेडिकल परीक्षा से पूर्व उम्मीदवार को निम्नलिखित अपेक्षित स्टेटमेंट देना चाहिए और उसके साथ लगी हुई घोषणा पर हस्ताक्षर करने चाहिए। नीचे दिए गए नोट में उल्लिखित चेतावनी की ओर उस उम्मीदवार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।

1. अपना पूरा नाम लिखें
(साफ अक्षरों में)

2. अपनी आयु और जन्म स्थान बताएं

(2) (क) क्या आप अनुसूचित जनजाति या ऐसी जाति जैसे गोरखा, नेपाली, असमिया, मेघालय आदिवासी, लद्दाखी, सिक्किमी, भूटानी, गढ़वाली, कुमाऊंनी, नागा और अरुणाचल प्रदेशीय जातियों से सम्बन्धित है जिनका औसत कद स्पष्टतः दूसरों से कम होता है। उत्तर हां या नहीं लिखें और यदि उत्तर 'हां' है तो उस जनजाति/जाति का नाम लिखें।

3. (क) क्या आपको कभी चेचक रुक-रुककर होने वाली या कोई दूसरा बुखार ग्रंथि (ग्लैन्ड्स) का बढ़ना या इन में पीप पड़ना, थूक में खून आना, दमा, दिल की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, मूर्छा के दौरे, रूमेटिज्म, एपेंडिसाइटस हुआ है?

अथवा

(ख) दूसरी कोई ऐसी बीमारी या दुर्घटना जिनके कारण शैय्या पर लेटे रहना पड़ा है, और जिसका मेडिकल या सर्जिकल इलाज किया गया हो, हुई है।

4. आपको चेचक आदि का टीका आखिरी बार कब लगा था?

5. क्या आपको अधिक काम या किसी दूसरे कारण से किसी किस्म की अधीरता (नर्वसनेस) हुई है?

6. अपने परिवार के सम्बन्ध में निम्नलिखित ब्यौरे दें :—

यदि पिता जीवित हो तो उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	मृत्यु के समय पिता की आयु और मृत्यु का कारण	आपके कितने भाई जीवित हैं उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपके कितने भाइयों की मृत्यु हो चुकी है मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु का कारण

यदि माता जीवित हो तो उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	मृत्यु के समय माता की आयु और मृत्यु का कारण	आपकी कितनी बहनें जीवित हैं उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपकी कितनी बहनों की मृत्यु हो चुकी है उनकी आयु और मृत्यु का कारण

7. क्या इसके पहले किसी मेडिकल बोर्ड ने आपकी परीक्षा की है?

8. यदि ऊपर के प्रश्न का उत्तर हां हो तो बताइए किस सेवा/किन सेवाओं के लिए आपकी बोर्ड परीक्षा की गई थी?

9. परीक्षा लेने वाला प्राधिकारी कौन था?

10. कब और कहां मेडिकल बोर्ड हुआ ?

11. मेडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम यदि आपको बताया गया हो अथवा आपको मालूम हो ?

मैं घोषित करता हूं कि जहां तक मेरा विश्वास है ऊपर दिए गए सभी जवाब सही और ठीक हैं।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर------

मेरे सामने हस्ताक्षर किए-----

बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर----

टिप्पणी :—उपर्युक्त कथन की यथार्थता के लिए उम्मीदवार जिम्मेवार होगा। जान बूझकर किसी सूचना को छिपाने से वह नियुक्ति खो बैठने की जोखिम लेगा और यदि वह नियुक्त हो भी जाए तो वार्धक्य निवृत्ति भत्ता (सुपरएनुएशन अलाउंस) या उपदान (ग्रेच्यूटी) के सभी दावों से हाथ धो बैठेगा।

(ख) ---------------- (उम्मीदवार का नाम) की शारीरिक परीक्षा की मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट----------------

1. सामान्य विकास—अच्छा............ बीज का... कम पोषण : पतला .... औसत....माप.... .... कद (जूते उतारकर) ....वजन....... .... अत्युत्तम (वजन.......कब था)..... ....वजन कोई हाल ही में हुआ परिवर्तन .... तापमान : .... छाती का घेर ....

(1) पूरा सांस खींजने पर ....

(2) पूरा सांस निकालने पर ....

2. त्वचा—कोई शाहिरा बीमारी ....

3 नेत्र—

(1) कोई बीमारी ....

(2) रतौंधी ....

(3) कलर विजन का दोष ....

(4) दृष्टि क्षेत्र (फील्ड आफ विजन) ....

(5) दृष्टि तीक्ष्णता (विजुअल एक्विटी) ....

(6) फड्स की जांच ....

दृष्टि की तीक्ष्णता चश्मे बिना	चश्मे से	चश्मे की पावर
		गोल सांस एक्सिस
दूर की नजर		
दा० ने०		
बा० ने०		
पास की नजर		
दा० ने०		
बा० ने०		
हाईपरमैट्रापिया (व्यक्त)		
दा० ने०		
बा० ने०		

4. कान : निरीक्षण ---------- ------- ----सुनना दायां कान ---------------- बायां कान -------------

5. ग्रंथियां – ----- ----- ----- थाइराइड ---- --

6 दांतों की हालत -----------------------------

7. श्वसन तंत्र (रिस्पिरेटरी सिस्टम) —क्या शारीरिक परीक्षण करने पर सांस के अंगों में किसी असमानता का पता लगा है यदि पता लगा है तो असमानता का पूरा ब्यौरा दें।

8. परिसंचरण तंत्र (सर्कुलिटरी सिस्टम)

(क) हृदय : कोई आंगिक गति (आर्गेनिक लीजन)—गति (रेट) : खड़े होने पर

कुदाए जाने के बाद ------------------------------------

कुदाए जाने के 2 मिनट बाद -----------

(ख) ब्लड प्रेशर ----------------सिस्टालिक -------- डायस्टालिक

9. उदर (पेट) घेर ----------------------सहायता (टेंडरनेस) हार्निया ------------------------------

(क) दबाकर मालूम पड़ना/जिगर ---------------------- तिल्ली ---------------गुर्दे ------------------ ट्यूमर ----------- ------- -----------

(ख) रक्तार्श भगंदर

10. तंत्रिक तंत्र (नर्व सिस्टम) तंत्रिक या मानसिक अशक्तता का संकेत :

11. चाल तंत्र (लोकोमीटर सिस्टम) की असमानता—

12. जनन मूत्र तंत्र (जेनिटो यूरिनरी सिस्टम)—हाइड्रोसील, वेरिकासील आदि का कोई संकेत

मूत्र परीक्षा—

(क) कैसा दिखाई पड़ता है

(ख) अपेक्षित गुरुत्व स्पेसिफिक (ग्रेविटी)

(ग) एल्बुमन

(घ) शक्कर

(ङ) कास्ट

(च) कोशिकाएं (सैल्स)

13. छाती की एक्सरे परीक्षा रिपोर्ट

14. क्या उम्मीदवार के स्वास्थ्य में कोई ऐसी बात है जिससे वह भारतीय वन सेवा की ड्यूटी को दक्षतापूर्वक निभाने के लिए अयोग्य हो सकता है।

टिप्पणी :—यदि उम्मीदवार कोई महिला है और यदि वह 1 सप्ताह या उससे अधिक समय से गर्भवती है तो उसे विनियम 10 के अनुसार अस्थाई रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

15. क्या वह भारतीय वन सेवा में दक्षतापूर्वक और निरन्तर ड्यूटी निभाने के लिए सभी तरह से योग्य पाया गया है।

टिप्पणी :—बोर्ड को अपना परिणाम निम्नलिखित तीन वर्गों में से किसी एक वर्ग में रिकार्ड करना चाहिए :

(1) योग्य (फिट)

(2) अयोग्य (अनफिट) जिसका कारण ----------------
----

(3) अस्थाई आधार पर अयोग्य जिसका कारण ------------

स्थान--------------------

तारीख---------------

अध्यक्ष---------- -------

सदस्य------------------

सदस्य------------------

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 26th January 1986

No. 1-Pres./86.—The President is pleased on the occasion of the Republic Day, 1986, to award the Fire Services Medal for Gallantry to the undermentioned officer :—

Name and Rank of the Officer

Shri Natabar Biswal,
Station Officer,
Orissa.

Statement of services for which the decoration has been awarded

(Effective date of the award : 23rd February, 1985)

On the 23rd February, 1985, at about 16.35 hours, information about the serious outbreak of fire at village Rutgarh, was received at Athgarh Fire Station. On receipt of the message, Shri Natabar Biswal, along with his unit and crew, rushed to the spot. The thatched houses and haystacks were burning severely. The fire fighters, under the charge of Shri Biswal, found it difficult to combat the fire but Shri Biswal did not lose hope and inspired them to carry out the task courageously. During this time, some of the villagers informed Shri Biswal that three persons were trapped inside a room which was on fire. Shri Biswal immediately rushed to rescue the victims, but unfortunately the door of the house was bolted from inside. He broke open the door with the help of crow-bars and ordered the Water Jet to pour into the room. As the room was filled with thick smoke, he had to search for the victims and rescued a lady, aged 50 years. Without caring for his own life, Shri Biswal again entered into the room and rescued another lady, aged 20 years. During the operation, Shri Biswal had also to rescue Shri Raghunath Swain, one of his teammates, who became unconscious due to heat and thick smoke. All the injured persons survived after rendering necessary medical help except a lady, aged 50 years, who succumbed to her injuries. The commendable courage and devotion to duty exhibited by Shri Natabar Biswal in saving human lives, was highly applauded by the local people, Press and other high officials.

In this action Shri Natabar Biswal, Station Officer, exhibited exemplary courage, initiative and devotion to duty of a very high order.

This award is made under rule 3(i) of the rules governing the grant of the Fire Services Medal and consequently carries with it the monetary allowance admissible under rule 5(a) from the effective date of the award.

No. 2-Pres./86.—The President is pleased, on the occasion of the Republic Day, 1986, to award the Fire Services Medal for Meritorious Service to the undermentioned officers : —

Shri Shadi Lal,
Fire Supervisor Grade I,
Ministry of Defence.

Shri Sukh Chain Prasad,
Foreman,
Ministry of Defence.

Shri Saradindu Shekhar Bhattacharjee,
Assistant Director,
National Fire Service College,
Nagpur.

Shri Puran Bahadur,
Leading Fireman,
National Fire Service College,
Nagpur.

Shri Gavireddi Laxman Rao,
Fireman,
Andhra Pradesh.

Shri Kotti Nageswar Rao,
Driver-Operator,
Andhra Pradesh.

Shri Shaik Mahaboob,
Fireman,
Andhra Pradesh.

Shri G. Rama Murthy,
Driver-Operator,
Andhra Pradesh.

Shri Vadavoor Neelakantan Marar Divakara Marar,
Station Officer,
Kerala.

Shri Kollaparambil Narayanan Palani,
Leading Fireman,
Kerala.

Shri Kane Madathil Kumara Panicker Ravindra Panicker,
Fireman,
Kerala.

Shri Mohammed Kunju Asan Abdul Gafoor,
Fireman-Driver-cum-Pump Operator,
Kerala.

Shri Ghate Vasudev Laxman,
Fire Brigade Officer,
Maharashtra.

Shri Daji Shankar Parab,
Sub-Officer,
Maharashtra.

Shri Bishwa Nath Singh,
Fire Station Officer,
Meghalaya.

Shri Durga Charan Pradhan,
Leading Fireman,
Orissa.

Shri M. K. Joy,
Station Fire Officer,
Tamil Nadu.

Shri K. Savarimuthu Gabriel,
Leading Fireman,
Tamil Nadu.

Shri Muthiah Thevar Perumal,
Driver-Mechanic,
Tamil Nadu.

Shri Thaila Konar Ponnusamy,
Fireman,
Tamil Nadu.

Shri Sudhindra Nath Ray Chowdhury,
Fire Protection Officer (Special),
West Bengal.

Shri Suman Sen Gupta,
Station Officer,
West Bengal.

Shri Snadire Gounder Pavadai,
Leading Fireman,
Union Territory of Pondicherry.

Shri Manohar Lal Dang,
Inspector (Fire),
Department of Railways,
Ministry of Transport.

Shri Eusebius Consalves,
Assistant Inspector General (Fire),
Department of Railways,
Ministry of Transport.

Shri Kolluri Bhujanga Rao,
Assistant Commandant (Fire),
Department of Railways,
Ministry of Transport.

Shri Prem Singh Nihal Singh Panchal,
Assistant Inspector General (Fire),
Central Industrial Security Force.

2. These awards are made under rule 3(ii) of the rules governing the grant of the Fire Services Medal.

No. 3-Pres/86.—The President is pleased, on the occasion of the Republic Day, 1986, to award the President's Home Guards and Civil Defence Medal for Distinguished Service to the undermentioned officer :—

Shri Bhimrao Ramrao Deshmukh,
District Commandant (Honorary),
Maharashtra.

2. This award is made under rule 3(ii) of the rules governing the grant of President's Home Guards and Civil Defence Medal.

No. 4-Pres./86.—The President is pleased, on the occasion of the Republic Day, 1986, to award the Home Guards and Civil Defence Medal for Meritorious Service to the undermentioned Officers :—

Shri Mohd. Sultan Khan,
Section Commander,
Jammu & Kashmir.

Shri C. T. Veeranna,
Staff Officer (Training),
(Honorary),
Karnataka.

Shri M. Vagoji Rao,
Staff Officer (Accounts),
(Honorary)
Karnataka.

Shri A. G. Thiruvengadam,
Company Commander,
(Honorary),
Karnataka.

Shri Chandrashekhar Badole,
Company Havildar Major,
(Honorary),
Madhya Pradesh.

Shri Nathu Lal,
Company Havildar Major,
(Volunteer),
Madhya Pradesh.

Shri Soukhilal,
Company Havildar Major,
(Volunteer),
Madhya Pradesh.

Shri Gurcharan Singh Boparai,
Battalion Commander,
Punjab.

Shri P. R. Rama Subramania Rajah,
Assistant Commandant General,
(Volunteer),
Tamil Nadu.

Shri A. Balasundaram,
Company Commander,
(Volunteer)
Tamil Nadu.

Shri A. K. Adinarayanan,
Divisional Commander,
(Volunteer),
Tamil Nadu.

Shri Charanjit Singh Kochhar,
Deputy Controller Civil Defence,
Union Territory of Chandigarh.

Shri Gokuldas Harishchandra Kouthankar,
Civil Defence Instructor,
Union Territory of Goa.

Shri Kanagavelou Ramalingam,
Assistant Platoon Commander
(Honorary)
Union Territory of Pondicherry.

Shri Hari Shanker Singh,
Quarter Master,
Uttar Pradesh.

Shri Surai Giri Goswami,
Junior Instructor,
Uttar Pradesh.

Shri Parshotam Dass Tadu,
Company Commander (Volunteer),
Himachal Pradesh.

Miss Jaiwant Sodhi,
Company Commander,
(Volunteer),
Himachal Pradesh.

Shri Jamna Parshad Bhatnagar,
Additional District Commandant,
(Volunteer),
Union Territory of Delhi.

Shri Satish Chand Goyal,
Staff Officer (Honorary),
Union Territory of Delhi.

Shri Krishnamurthy Nandyal,
Assistant Director,
Emergency Relief,
National Civil Defence College,
Nagpur, Maharashtra.

2. These awards are made under rule 3(ii) of the rules governing the grant of the Home Guards and Civil Defence Medal.

No. 5-Pres/86.—The President is pleased, on the occasion of the Republic Day, 1986, to award the President's Police Medal for distinguished service to the undermentioned officers :—

Shri B. Sreekanth Reddy,
Deputy Inspector General of Police,
Crimes, Hyderabad,
Andhra Pradesh.

Shri Nishinath Changkakoti,
Inspector General of Police,
(Training & Armed Police),
Guwahati,
Assam.

Shri Gajendra Narain,
Inspector General of Police (Administration),
Patna,
Bihar.

Shri Akhilendra Nath Trivedy,
Deputy Inspector General of Police,
Communications, Patna,
Bihar.

Shri Shiv Lal,
Special Inspector General of Police,
Intelligence, Ahmedabad,
Gujarat.

Shri Bijendra Kumar Jha,
Commissioner of Police,
Ahmedabad City,
Gujarat.

Shri Manmohan Singh Bawa,
Director General of Police,
Chandigarh,
Haryana.

Shri Ghulam Jeelani Pandit,
Director General of Police,
(Vigilance, Fire Services & Prisons),
Srinagar,
Jammu & Kashmir.

Shri Godabanhal Rangappa Parameswarappa,
Assistant Commissioner of Police,
Sheshadripuram Division,
Bangalore City,
Karnataka.

Shri Peecholi Kandu Vasudevan,
Sub-Inspector of Police,
Trichur,
Kerala.

Shri Aftab Ahmad Ali,
Inspector General of Police,
Jabalpur,
MADHYA PRADESH.

Shri Raghunandan Sharma,
Deputy Superintendent of Police,
Shivpuri,
MADHYA PRADESH.

Shri Vasant Keshaorao Saraf,
Special Inspector General of Police,
CID (Crime), Pune,
MAHARASHTRA.

Shri Vijaysingh Raghunath Sawant,
Inspector of Police,
Anti-Corruption Bureau, Bombay,
MAHARASHTRA.

Shri Bijoy Kumar Panigrahi,
Director General and Inspector General of Police,
Cuttack,
ORISSA.

Shri Rajwant Singh,
Deputy Superintendent of Police,
7th Battalion, PAP,
Jallandhar Cantt.,
PUNJAB.

Shri Rajendra Shekhar,
Special Inspector General of Police (Crime),
Jaipur,
RAJASTHAN.

Shri Kunju Kunjukartha Rajasekharan Nair,
Deputy Inspector General of Police,
CID (Crime Branch), Madras,
TAMIL NADU.

Shri Daya Shanker Bhatnagar,
Inspector General of Police (Training),
Lucknow,
UTTAR PRADESH.

Shri Bhartendu Prakash Singhal,
Inspector General of Police,
Police Training College (I),
Moradabad,
UTTAR PRADESH.

Shri Arun Prosad Mukherjee,
Special Inspector General of Police,
Headquarters, Calcutta,
WEST BENGAL.

Shri Sabyasachi Bandyopadhyay,
Assistant Commissioner of Police (Intelligence),
Detective Department, Calcutta,
WEST BENGAL.

Shri Baljit Singh,
Inspector of Police (No. D-I/48),
Parliament Street, New Delhi,
DELHI ADMINISTRATION.

Shri Satya Pal Gorowara,
Additional Deputy Inspector General,
BSF Signal Training School, New Delhi,
BORDER SECURITY FORCE.

Shri Mohinder Singh Sandhu,
Assistant Director (Operations),
HQ IG BSF, Punjab,
Jallandhar Cantt.,
BORDER SECURITY FORCE.

Shri Jagat Ram,
Subedar Major,
53 Battalion, Shillong,
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE.

Shri Balwant Singh Rawat,
Assistant Commandant,
IX Battalion,
INDO-TIBETAN BORDER POLICE.

Shri Krishan Kumar Puri,
Joint Director,
CBI, New Delhi,
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION.

Shri Chinta Mani Sharma,
Deputy Inspector General of Police,
CBI, SIC, New Delhi,
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION.

Shri Mohan Lal Sachdeva,
Superintendent of Police,
Central Investigating Unit (E)—I,
New Delhi,
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION.

Shri Suresh Chandra Mehta,
Joint Director,
Intelligence Bureau Headquarters,
New Delhi,
INTELLIGENCE BUREAU.

Shri Dudh Narain Srivastava,
Joint Director,
Subsidiary Intelligence Bureau,
Calcutta,
INTELLIGENCE BUREAU.

Shri Bejoy Sankar Dey,
Senior Intelligence Officer,
Subsidiary Intelligence Bureau,
Calcutta,
INTELLIGENCE BUREAU.

Shri Prem Dhar Malaviya,
Deputy Director (Training),
SVP National Police Academy,
HYDERABAD.

Shri Ramalinga Ramalingam,
Additional Inspector General,
Railway Protection Force,
Southern Railway, Madras,
DEPARTMENT OF RAILWAYS.

Shri Saeed Ahmed Khan,
Deputy Inspector General,
Railway Protection Force,
Western Railway, Bombay,
DEPARTMENT OF RAILWAYS.

These awards are made under rule 4(ii) of the rules governing the grant of the President's Police Medal.

No. 6-Pres./86.—The President is pleased, on the occasion of the Republic Day, 1986, to award the Police Medal for Meritorious Service to the undermentioned officers :—

Shri Chennuru Anjaneya Reddy,
Deputy Inspector General of Police,
Visakhapatnam Range,
ANDHRA PRADESH.

Shri Vishnubhatla Venkateswarlu,
Deputy Supdt. of Police,
Intelligence, Vijayawada,
ANDHRA PRADESH.

Shri Gabbireddy Rami Reddy,
Assistant Commissioner of Police,
Panjagutta Division, Hyderabad City,
ANDHRA PRADESH.

Shri Mayreddy Venkat Narsimha Reddy,
Inspector of Police,
Ranga Reddy District,
ANDHRA PRADESH.

Shri Ravi Suryanarayana,
Inspector of Police,
Anti-Corruption Bureau,
City Range, Hyderabad,
ANDHRA PRADESH.

Shri Narisetti Yadagiri,
Inspector of Police,
Crime Branch, CID, Hyderabad,
ANDHRA PRADESH.

Shri Rayudu Suryanarayana,
Sub-Inspector of Police,
Visakhapatnam,
ANDHRA PRADESH.

Shri M. Venkateswarlu,
Assistant Sub-Inspector of Police,
Chitoor District,
ANDHRA PRADESH.

Shri Shaik Ali,
Constable No. 808,
Anti-Corruption Bureau,
Nizamabad Range,
ANDHRA PRADESH.

Shri S. M. Abdul Bari Khandker,
Supdt. of Police,
Darrang, Mangaldoi,
ASSAM.

Shri Moheswar Thengal,
Supdt. of Police,
Vigilance & Anti-Corruption,
Guwahati,
ASSAM.

Shri Tarkeshwar Prasad Sinha,
(D.I.G.),
Additional Secretary,
Home (Special) Department,
Patna,
ASSAM.

Shri Nageshawr Prasad Sahay,
(Supdt. of Police),
Commandant, BMP-I,
Ranchi,
BIHAR.

Shri Rakesh Prasad Singh,
Additional Supdt. of Police,
Office of Zonal IGP,
Patna,
BIHAR.

Shri Susaran Enam Topno,
Inspector of Police,
Special Branch,
Ramgarh, Hazaribagh,
BIHAR.

Shrimati Sushila Dwivedi,
Inspector of Police,
Law Instructor,
Police Training College,
Hazaribagh,
BIHAR.

Shri Daud Khan,
Sub-Inspector of Police,
C.I.D., Headquarters,
Patna,
BIHAR.

Shri Mohammad Salauddin,
Havildar,
Police Lines, Purnea,
BIHAR.

Shri Umed Singh Rawal,
Havildar,
Patna,
Cabinet (Vigilance) Department,
BIHAR

Shri Girjashankar Keshavlal Rawal,
Inspector of Police,
Anti-Corruption Bureau,
Jamnagar,
GUJARAT.

Shri Prabhashankar Parmanand Mehta,
Inspector of Police,
Anti-Corruption Bureau,
Baroda,
GUJARAT.

Shri Shanker Devram Bhosle,
Sub-Inspector of Police,
Special Branch, Surat City,
GUJARAT.

Shri Punjaram Abaji Shinde,
Sub-Inspector of Police,
State Reserve Police Force, Group-I,
Baroda,
GUJARAT.

Shri Ranjitsinh Bhavansinh Solanki,
Sub-Inspector of Police,
Office of the Commissioner of Police,
Ahmedabad City,
GUJARAT.

Shri Nawalsingh Arjunsingh Chouhan,
Head Constable,
Anti-Corruption Bureau,
Ahmedabad,
GUJARAT.

Shri Vana Totaram Pawar,
Jamadar,
Police Headquarters,
Surat City,
GUJARAT.

Shri Shaligram Govind Thakur,
Head Constable,
Anti-Corruption Bureau,
Baroda,
GUJARAT.

Shri Jivanji Dholuji Barad,
Head Constable,
Anti-Corruption Bureau,
Mehsana,
GUJARAT.

Shri Randhir Singh Hooda,
Supdt. of Police,
Crime, CID Chandigarh,
HARYANA.

Shri Rattan Singh,
Deputy Supdt. of Police,
State Vigilance Bureau,
HARYANA.

Shri Deep Chand,
Inspector of Police,
Yamuna Nagar, District Ambala,
HARYANA.

Shri Nanu Ram,
Inspector of Police,
C.I.D., Chandigarh,
HARYANA.

Shri Vishnu Dutta,
Deputy Supdt. of Police,
Shimla,
HIMACHAL PRADESH.

Shri Sharoti Parkash,
Assistant Sub-Inspector of Police,
(Accountant),
Hamirpur,
HIMACHAL PRADESH.

Shri Mohammad Azhar Nomani,
Deputy Inspector General of Police,
CID Jammu,
JAMMU & KASHMIR.

Shri Allah Baksh,
Senior Supdt. of Police,
District Jammu,
JAMMU & KASHMIR.

Shri Narsingh Dev Jamwal,
Deputy Supt. of Police (Arms & Ammunition),
PHQ, Jammu,
JAMMU & KASHMIR.

Shri Vellore Viswanath Bhaskar,
Deputy Inspector General of Police (Training),
Bangalore,
KARNATAKA.

Shri Suddapalli Chinna Thimmappa,
Deputy Supdt. of Police,
C.I.D., Food Cell,
Bangalore,
KARNATAKA.

Shri Bajal Jayananda Amin,
Deputy Supdt. of Police,
Police Training College,
Mysore,
KARNATAKA.

Shri Narasapura Venkatachalaiah Raghunatha Rao,
Deputy Supdt. of Police,
State Intelligence,
Bangalore,
KARNATAKA.

Shri Yashwant Payak Rane,
Inspector of Police,
State Intelligence,
Karwar,
KARNATAKA.

Shri Shivanna,
Inspector of Police,
Vigilance Squad,
Karnataka Electricity Board,
Bangalore,
KARNATAKA.

Shri Hosahalli Revaiah Thimmaiah,
Sub-Inspector of Police,
Crime,
Bangalore,
KARNATAKA.

Shri Mukunda Rao,
Head Constable No. 11,
K.A.R.P., Mounted Company,
Mysore,
KARNATAKA.

Shri Abdul Wajeed,
Constable,
K.A.R.P., Mounted Company,
Mysore,
KARNATAKA.

Shri Thazhathuveetil Madhusudanan,
Inspector General of Police,
Trivandrum,
KERALA.

Shri Aryampilly Narayana Vishnu Bhattathiripad,
Commandant, KAP 1 Battalion,
Trichur,
KERALA.

Shri Padmanabhan Rajgopalan,
Assistant Commandant,
(Chief Drill Instructor),
KAP II Battalion,
KERALA.

Shri Pokerekath Bava Mohammed,
Sub-Inspector of Police,
Ernakulam,
KERALA.

Shri Madhavan Pillai Ayyappan Nair,
Head Constable No. A. 1092,
Alleppey District,
KERALA.

Shri Gurdarshan Singh,
Innspector General of Police (Training),
Bhopal,
MADHYA PRADESH.

Shri Ayodhya Nath Pathak,
Deputy Inspector General of Police,
Gwalior,
MADHYA PRADESH.

Shri Narayan Singhar,
Assistant Inspector General of Police,
SBI, Economic Offences,
Indore,
MADHYA PRADESH.

Shri Ramlal Verma,
Supdt. of Police,
Indore,
MADHYA PRADESH.

Shri Hanuman Prasad Tiwari,
Additional Supdt. of Police,
Bastar District,
MADHYA PRADESH.

Shri Vasudeo Singh Chauhan,
Deputy Supdt. of Police,
C.I.D., Gwalior,
MADHYA PRADESH.

Shri Daya Shanker Mishra,
Inspector of Police,
Special Branch, Jabalpur,
MADHYA PRADESH.

Shri Kanwarlal Madan,
Inspector of Police,
Special Branch, Gwalior,
MADHYA PRADESH.

Shri Mahadev Prasad Yadav,
Company Commander,
13 Battalion, SAF. Gwalior,
MADHYA PRADESH.

Shri Aparbal Singh,
Platoon Commander,
25th Batialion, SAF. Bhopal,
MADHYA PRADESH.

Shri Hakim Singh,
Head Constable No. 17,
25th Battalion, SAF. Bhopal,
MADHYA PRADESH.

Shri Govind Singh,
Constable,
Police Station Dursada,
Datia,
MADHYA PRADESH.

Shri P. S. Narayanaswami,
Deputy Inspector General of Police,
C.I.D. (Crime), Pune,
MAHARASHTRA.

Shri Sukhdev Singh Puri,
Deputy Inspector General of Police,
Bombay Port Trust, Bombay,
MAHARASHTRA.

Shri Purushottam Prabhakar Joshi,
Supdt. of Police,
Wireless, Pune,
MAHARASHTRA.

Shri Yadav Chindha Pawar,
Deputy Commissioner of Police,
Greater Bombay,
MAHARASHTRA.

Shri Dinkarrao Vithalrao Deshpande,
Deputy Supdt. of Police,
District Wardha,
MAHARASHTRA.

Shri Pandurang Devappa Usulkar,
Assistant Commandant,
State Reserve Police Force, Pune,
MAHARASHTRA.

Shri Madhukar Gangadin Gobse,
Senior Inspector of Police,
Kandivali, Greater Bombay,
MAHARASHTRA.

Shri Arvind Gangadhar Kohok,
Inspector of Police,
Khadak Police Station, Pune City,
MAHARASHTRA.

Shri Rajkumar Dinanath Babhale,
Inspector of Police,
State Reserve Police Fordce, Pune,
MAHARASHTRA.

Shri Ramdas Narayan Kamat,
Senior Inspector of Police,
Kherwadi Police Station, Bombay,
MAHARASHTRA.

Shri Bhimappa Bhojappa Bagewadi,
Inspector of Police,
State Reserve Police Force, Daund,
MAHARASHTRA.

Shri Hanumant Narayan Kathapurkar,
Sub-Inspector of Police,
Raigad District,
MAHARASHTRA.

Shri Vinodchandra Mahadeo Joshi,
Sub-Inspector of Police,
Special Branch, CID, Bombay,
MAHARASHTRA.

Shri Madhavrao Ranganathrao Joshi,
Senior Intelligence Officer ,
CID (Int. S.W.), Nanded,
MAHARASHTRA.

Shri Nageshwar Prasad Ramdas Pandey,
Assistant Sub-Inspector of Police (B. No. 202),
Nagpur City,
MAHARASHTRA.

Shri Vithal Tukaram Kamble,
Assistant Sub-Inspector of Police,
Sangli,
MAHARASHTRA.

Shri Vasudeo Sakharam Desai,
Head Constable No. 6303,
Nagpada Division,
MAHARASHTRA.

Shri Pandurang Gabaji Pawase,
Head Constable No. 2353,
Khadaki Police Station, Pune City,
MAHARASHTRA.

Shri Krishnan Kannan,
Supdt. of Police,
CID (Special Branch),
Imphal,
MANIPUR.

Shri Rohlira Parte,
Deputy Supdt. of Police,
Thanlon,
MANIPUR.

Shri Nungshiliba AO,
Deputy Inspector General of Police,
Kohima,
NAGALAND.

Shri Akang Yanger AO,
Commandant,
4th Battalion, NAP,
Thizama,
NAGALAND.

Shri Maheswar Rout,
Deputy Supdt. of Police,
CID, Crime Branch,
Cuttack,
ORISSA.

Shri Sarbeswar Kar,
Inspector of Police,
Vigilance, Cuttack,
ORISSA.

Shri Jugal Kishore Nanda,
Inspector of Police,
Police Training College, Angul,
ORISSA.

Shri Gouranga Charan Beura,
Assistant Sub-Inspector of Police,
Vigilance, Cuttack,
ORISSA.

Shri Nimai Charan Panda,
Constable No. 48,
Bolangir,
ORISSA.

Shri Baldev Singh Brar,
Supdt. of Police,
Ferozepur,
PUNJAB.

Shrimati Jai Kanta,
Deputy Supdt. of Police,
(Computerisation), Chandigarh,
PUNJAB.

Shri Rattan Lal,
Inspector of Police No. FR/50,
Patiala,
PUNJAB.

Shri Sukhdev Singh,
Sub-Inspector of Police No. 19/FR.,
Patiala,
PUNJAB.

Shri Rajinder Singh,
Constable No. 89,
Hoshiarpur,
PUNJAB.

Shri Namo Narain Meena,
Supdt. of Police,
Jaipur,
RAJASTHAN.

Shri Jagdish Prasad Mishra,
Supdt. of Police,
Udaipur,
RAJASTHAN.

Shri Banwari Lal Sharma,
Additional Supdt. of Police,
Udaipur,
RAJASTHAN.

Shri Rani Dan Singh,
Inspector of Police,
Ajmer,
RAJASTHAN.

Shri Lal Chand Mehra,
Sub-Inspector of Police,
CID (SSB), Jaipur,
RAJASTHAN.

Shri Phool Chand,
Sub-Inspector of Police,
Jaipur,
RAJASTHAN.

Shri Girdhari Singh,
Constable No. 641,
Jodhpur,
RAJASTHAN.

Shri Pema Tshering Lepcha,
Head Constable No. 87,
Namchi,
SIKKIM.

Shri F. C. Sharma,
Deputy Inspector General of Police,
Enforcement, Madras,
TAMIL NADU.

Shri Damodaran Manoharan,
Supdt. of Police,
Vigilance & Anti-Corruption, Madras,
TAMIL NADU.

Shri Selvanayagam Hiruthayadoss,
Assistant Commissioner of Police,
Intelligence, Madras,
TAMIL NADU.

Shri Jayavelu Padmanaban,
Deputy Supdt. of Police,
Madurai,
TAMIL NADU.

Shri Kunnaparambil Gangadharan,
Inspector of Police,
District Special Branch,
Chengalpattu,
TAMIL NADU.

Shri Singaravelu Pillai Thirunavukkarasu,
Inspector of Police,
T.N.S.P., IV Battalion,
Kovaipudur,
TAMIL NADU.

Shri Karuppanna Gounder Varadharajan,
Sub-Inspector of Police,
Tiruchirapalli,
TAMIL NADU.

Shri Thiruvaiyar Sivasamy Natarajan,
Sub-Inspector of Police,
NIB, Crime Branch, CID,
Madras,
TAMIL NADU.

Shri M. David,
Head Constable No. 1126,
Special Branch, CID,
Madurai,
TAMIL NADU.

Shri P. Kothandapani,
Constable No. 1579,
South Arcot,
TAMIL NADU.

Shri Dilip Chandra Bhowmik,
Assistant Sub-Inspector of Police,
Enforcement Branch, Agartala,
TRIPURA.

Shri Satish Kumar Mukherjee,
Inspector General of Police,
E.O.W., CID, Lucknow,
UTTAR PRADESH.

Shri Yogesh Kumar Misra,
Deputy Inspector General of Police,
Special Crime, Lucknow,
UTTAR PRADESH.

Shri Krishna Chandra,
Senior Supdt. of Police,
Moradabad,
UTTAR PRADESH.

Shri Brajendra Kumar Singh,
Supdt. of Police,
Anti-Corruption Organisation,
Luckonw,
UTTAR PRADESH.

Shri Ran Bahadur Singh,
Commandant,
IV Battalion, PAC,
Allahabad,
UTTAR PRADESH.

Shri Tassawwar Hussain,
Deputy Supdt. of Police,
Bahraich,
UTTAR PRADESH.

Shri Mahabir Singh,
Deputy Supdt. of Police,
Lucknow,
UTTAR PRADESH.

Shri Yogandra Singh,
Deputy Supdt. of Police,
Aligarh,
UTTAR PRADESH.

Shri Megh Singh Rana,
Deputy Supdt. of Police,
Agra,
UTTAR PRADESH.

Shri Sheo Poojan Pande,
Inspector of Police,
Anti-Corruption Organisation, CID,
Faizabad,
UTTAR PRADESH.

Shri Sheo Pujan Ram,
Company Commander,
36 Battalion, PAC,
Varanasi,
UTTAR PRADESH.

Shri Sateshwar Prasad Bahuguna,
Inspector of Police,
Mathura,
UTTAR PRADESH.

Shri Chauhari Singh,
Inspector of Police,
Intelligence Department,
Allahabad,
UTTAR PRADESH.

Shri Tejashwa Pal Singh,
Inspector of Police,
U. P. Vigilance Establishment,
Lucknow,
UTTAR PRADESH.

Shri Madan Singh,
Platoon Commander,
36 Battalion, PAC, Varanasi,
UTTAR PRADESH.

Shri Ram Narain Lal Srivastava,
Deputy Inspector of Police (M),
Intelligence Department,
Lucknow,
UTTAR PRADESH.

Shri Om Prakash Bhardwaj,
Deputy Inspector of Police (M),
Office of the I.G.P. (Training),
Lucknow,
UTTAR PRADESH.

Shri Pujari Tripathi,
Head Constable,
36 AP, Basti,
UTTAR PRADESH.

Shri Deo Ram,
Head Constable,
9 AP, Nainital,
UTTAR PRADESH.

Shri Yash Karan Singh,
Head Constable,
77 AP, Kanpur Nagar,
UTTAR PRADESH.

Shri Mohd. Qadir,
Head Constable,
2nd Battalion, PAC, Sitapur,
UTTAR PRADESH.

Shri Samarjeet Singh,
Constable No. 122 AP,
Bahraich,
UTTAR PRADESH.

Shri Sujoy Kumar Chakraborty,
Deputy Commissioner of police,
Calcutta,
WEST BENGAL.

Shri Harish Chandra Ganguly,
Deputy Supdt. of Police,
CID, Bhabani Bhavan, Calcutta,
WEST BENGAL.

Shri Sudhamoy Nandi,
Inspector of Police,
5th Battalion, C.A.P., Calcutta,
WEST BENGAL.

Shri Samir Kumar Bhattacharjee,
Inspector of Police,
5th Battalian, C.A.P.,
Calcutta,
WEST BENGAL.

Shri Subhendu Bikas Gope,
Inspector of Police,
Vigilance Commission,
Calcutta,
WEST BENGAL.

Shri Durga Charan Ghosh,
Sub-Inspector of Police,
Intelligence Branch,
Calcutta,
WEST BENGAL.

Shri Dulal Chandra Shome,
Sub-Inspector of Police,
C.I.D., Calcutta,
WEST BENGAL.

Shri Rabindra Narayan Mukhopadhyay,
Sergeant of Police,
Port Division,
Calcutta,
WEST BENGAL

Shri Nani Gopal Dey,
Head Constable No. 1279, DAP,
Howrah,
WEST BENGAL.

Shri Ranjit Kumar Das,
Constable No. 86,
Barrackpore,
WEST BENGAL.

Shri Abulash Khan,
Constable No. 14605,
Detective Department,
Lalbazar, Calcutta,
WEST BENGAL.

Shri Kshitindra Nath Kar,
Deputy Supdt. of Police,
Special Branch, Itanagar,
ARUNACHAL PRADESH.

Shri Keshav Atmaram Desai,
Deputy Supdt. of Police,
Civil Defence, Panaji,
GOA, DAMAN & DIU.

Shri Makkalikandiyil Narayanan Kutty,
Head Constable,
Agatti,
LAKSHADWEEP.

Shri Khawliansanga,
Inspector of Police,
1st Battalion, MAP,
MIZORAM.

Shri Suresh Roy,
Senior Supdt. of Police,
PONDICHERRY.

Shri Cheri Puthiyaveetil Anandan,
Sub-Inspector of Police,
PONDICHERRY.

Shri Prabhakar Vithal Sinari,
Deputy Commissioner of Police,
1st Battalion, DAP,
DELHI ADMINISTRATION.

Shri Amod Kumar Kanth,
Deputy Commissioner of Police,
Crime & Railways,
DELHI ADMINISTRATION.

Shri Mewa Singh,
Sub-Inspector of Police No. 190/D,
Special Branch,
DELHI ADMINISTRATION.

Shri Mehar Chand,
Sub-Inspector of Police No. D/74,
4th Battalion, DAP,
DELHI ADMINISTRATION.

Shri Nandan Singh,
Constable No. 965/ND,
Parliament Street, New Delhi,
DELHI ADMINISTRATION.

Dr. Krishan Kant Paul,
Deputy Commissioner of Police,
Special Investigation Team,
DELHI ADMINISTRATION.

Shri Rajinder Prakash Kochar,
Assistant Commissioner of Police,
Special Investigation Team,
DELHI ADMINISTRATION.

Shri Kushal Pal Sharma,
Assistant Commissioner of Police,
Special Investigation Team,
DELHI ADMINISTRATION.

Shri Rama Kant,
Inspector of Police, No. D-145,
Special Investigation Team,
DELHI ADMINISTRATION.

Shri Net Ram Singh,
Deputy Inspector General,
Jodhpur,
BORDER SECURITY FORCE.

Shri S. M. Aggarwal,
Assistant Director (G),
HQ IG BSF, Punjab,
BORDER SECURITY FORCE.

Shri P.P.S. Sawhney,
Assistant Director (Communications),
HQ IG BSF, Jammu,
BORDER SECURITY FORCE.

Shri S. C. Kumar,
Deputy Commandant,
83 Battalion,
BORDER SECURITY FORCE.

Shri Ammatanda Uthappa Kushalappa,
Deputy Commandant,
BSF Academy, Tekanpur,
BORDER SECURITY FORCE.

Shri Shanker Krishna Deshpande,
Deputy Commandant/Jt. Assistant Director (Pers),
HQ BSF, New Delhi,
BORDER SECURITY FORCE.

Shri Takhat Singh,
Assistant Commandant,
17 Battalion BSF, Jaisalmer,
BORDER SECURITY FORCE.

Shri Niranjan Singh,
Subedar,
52 Battalion,
BORDER SECURITY FORCE.

Shri Shiv Ram Singh,
Inspector No. 66243002,
104 Battalion BSF, Rai Nagar,
BORDER SECURITY FORCE.

Shri Balbir Singh,
Subedar Major No. 662766559,
30 Battalion BSF, Kadamtala,
BORDER SECURITY FORCE.

Shri Madho Ram Sharma,
Inspector,
103 Battalion BSF,
Amritsar,
BORDER SECURITY FORCE.

Shri Anney Singh,
Inspector No. 66104029,
74 Battalion BSF, Tura (Meghalaya),
BORDER SECURITY FORCE.

Shri Vidya Sagar,
Inspector No. 66477036,
72 Battalion BSF,
Teliamura (Tripura),
BORDER SECURITY FORCE.

Shri Balak Ram,
Sub-Inspector No. 67555016,
54 Battalion,
BORDER SECURITY FORCE.

Shri Kolappan Pillai Janardhanan Pillai,
Assistant Sub-Inspector (RO) No. 680006752,
19th Battalion,
BORDER SECURITY FORCE.

Shri Umrao Singh,
Head Constable No. 661320891,
13 Battalion,
BORDER SECURITY FORCE.

Shri Akhil Chandra Roy,
Head Constable No. 66711078,
HQ IG BSF, Shillong,
BORDER SECURITY FORCE.

Shri Babu Ram,
Constable No. 704660641,
18 Post Group Artillary,
Jaisalmer,
BORDER SECURITY FORCE.

Shri Ram Rakshpal Singh,
Deputy Director (Training),
Directorate-General, CRPF, New Delhi,
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE.

Shri Devender Kumar Suri,
Commandant,
34th Battalion,
Aizawal (Mizoram),
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE.

Shri Rajinder Prasad Tewari,
Commandant,
18 Battalion, Aligarh,
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE.

Shri Mehtab Singh,
Commandant,
60th Battalion,
Nowgong (Assam),
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE.

Shri Sheo Chand,
Assistant Commandant,
49th Battalion, Amritsar,
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE.

Shri G. Prema Sagaran,
Deputy Supdt. of Police,
'E' Coy 58th Battalion,
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE.

Shri Ramkripal Singh,
Subedar Major,
Group Centre, Pallipuram,
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE.

Shri Sukhdev Singh,
Inspector No. 571550246,
B/22 Battalion, Amritsar,
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE.

Shri Dharam Singh,
Sub-Inspector No. 560020106,
34th Battalion,
Aizawl (Mizoram),
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE.

Shri Kahan Chand,
Sub-Inspector (Armourer), No. 560010861,
AWS-3, Gauhati,
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE.

Shri Manohar Lal,
Head Constable No. 531010011,
1st Signal Battalion,
Jharodakalan,
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE.

Shri Mahavir Singh,
Head Constable No. 510120076,
Group Centre, Hyderabad,
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE.

Shri Charan Singh,
Head Constable No. 500080019.
20th Battalion, Nowgong (Assam),
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE.

Shri Laxman Dass,
Constable No. 660130813,
67th Battalion Ludhiana,
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE.

Shri Kishan Lal,
Safai Karamchari No. 560021382,
Group Centre, Bantalab (Jammu),
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE.

Shri N. Subramanya,
Follower (Cook) No. 680297394,
Group Centre, Pallipuram,
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE.

Shri M. P. Vasudeva,
Commandant,
Basic Training Centre, Kulu,
INDO-TIBETAN BORDER POLICE.

Shri Matbar Singh,
Subedar No. 758010065,
10th Battalion, Mirthi,
Pithoragarh (U. P.),
INDO-TIBETAN BORDER POLICE.

Shri Lakhmi Chand,
Sub-Inspector No. 658030056,
Basic Training Centre, Kulu,
INDO-TIBETAN BORDER POLICE.

Shri Sukh Lal,
Constable No. 620021036,
IV Battalion,
INDO-TIBETAN BORDER POLICE.

Shri Hari Prem Kumar,
Deputy Inspector General,
C. I. S. F. Unit,
Heavy Engineering Corporation Ltd., Ranchi,
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE.

Shri Ramachandra Janakiraman,
Assistant Commandant,
Group Headquarters, Madras,
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE.

Shri Atam Prakash Singh,
Inspector,
CISF Unit, BCCL, Jharia,
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE.

Shri Som Dutt Tyagi,
Head Constable No. 6908193,
Headquarters, New Delhi,
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE.

Shri Shantonu Sen,
Deputy Inspector General of Police,
SIC (Punjab Cell), New Delhi,
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION.

Shri Biswa Nath Sinha,
Supdt. of Police,
General Offences Wing, Calcutta,
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION.

Shri Sugan Singh Gogawat,
Deputy Supdt. of Police,
Jaipur,
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION.

Shri Sukhdev Singh Samyal,
Deputy Supdt. of Police,
Srinagar (J&K),
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION.

Shri Marimuthu Thiagarajan,
Deputy Supdt. of Police,
General Offences Wing, Madras,
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION.

Shri Baldev Singh Katoch,
Inspector of Police,
Zone-V, New Delhi,
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION.

Shri Lalit Kumar Sethi,
Inspector of Police,
Special Unit New Delhi,
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION.

Shri Tarant Kanta Roy,
Inspector of Police,
General Offences Wing, Calcutta,
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION.

Shri Hari Ram,
Sub-Inspector of Police,
Special Investigation Cell, New Delhi,
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION.

Shri Govindaraju Ramamurthy,
Assistant Sub-Inspector of Police,
General Offences Wing, Madras,
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION.

Shri Kanak Kanti Bhadra,
Head Constable,
General Offences Wingh, Calcutta,
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION.

Shri Manohar Rajaram Rane,
Constable,
Economic Offences Wing, Bombay,
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION.

Shri Sujit Kumar Banerjee,
Deputy Director,
Subsidiary Intelligence Bureau, Tezpur,
INTELLIGENCE BUREAU.

Shri Niladri Charan Padhi,
Deputy Director,
Subsidiary Intelligence Bureau, Kohima,
INTELLIGENCE BUREAU.

Shri Krishna Kant Nagar,
Assistant Director,
Headquarters, New Delhi,
INTELLIGENCE BUREAU.

Shri Sharad Nilkanth Karkhanis,
Assistant Director,
Subsidiary Intelligence Bureau, Bombay,
INTELLIGENCE BUREAU.

Shri Perianayagam Banjamin,
Assistant Director,
Headquarters, New Delhi,
INTELLIGENCE BUREAU.

Shri Pinchu Tsering Bhutia,
Senior Intelligence Officer,
Headquarters, New Delhi,
INTELLIGENCE BUREAU.

Shri Devi Prasad Barthwal,
Senior Intelligence Officer,
Subsidiary Intelligence Bureau, Lucknow,
INTELLIGENCE BUREAU.

Shri Sachchida Nand Singh,
Senior Intelligence Officer,
Subsidiary Intelligence Bureau, Patna,
INTELLIGENCE BUREAU.

Shri Lakhan Pal Kodwani,
Deputy Central Intelligence Officer,
Headquarters, New Delhi,
INTELLIGENCE BUREAU.

Shri Samuel Santhanam,
Deputy Central Intelligence Officer,
Headquarters, New Delhi,
INTELLIGENCE BUREAU.

Shri George Cherian,
Deputy Central Intelligence Officer,
Subsidiary Intelligence Bureau, Trivandrum,
INTELLIGENCE BUREAU.

Shri Sakti Prasanna Chatterjee,
Deputy Central Intelligence Officer,
Subsidiary Intelligence Bureau, Calcutta,
INTELLIGENCE BUREAU.

Shri Hari Bansh Singh,
Deputy Central Intelligence Officer,
Subsidiary Intelligence Bureau, Lucknow,
INTELLIGENCE BUREAU.

Shri Bedi Ram Sharma,
Deputy Central Intelligence Officer,
Headquarters, New Delhi,
INTELLIGENCE BUREAU.

Shri Gurdev Singh Saini,
Deputy Central Intelligence Officer,
Subsidiary Intelligence Bureau, Chandigarh,
INTELLIGENCE BUREAU.

Shri Balsamy Kannan,
Assistant Central Intelligence Officer,
Subsidiary Intelligence Bureau, Madras,
INTELLIGENCE BUREAU.

Shri Sunil Baran Chakraborty,
Assistant Central Intelligence Officer,
Subsidiary Intelligence Bureau, Calcutta,
INTELLIGENCE BUREAU.

Shri Annadevra Venkata Subba Rao,
Deputy Director,
S. V. P. National Police Academy,
HYDERABAD.

Shri A. Chellappal Pillai,
Assistant Drill Instructor,
S. V. P. National Police Academy,
HYDERABAD.

Shri Janardan Singh,
Deputy Inspector General of Police,
Kudal Commission of Inquiry,
NEW DELHI.

Shri Kewal K. Sharma,
Deputy Inspector General,
Railway Protection Force,
Northern Railway, Headquarters, New Delhi,
DEPARTMENT OF RAILWAYS.

Shri Sam D. Thomas,
Commandant, RPF,
Integral Coach Factory, Madras,
DEPARTMENT OF RAILWAYS.

Shri Sujit Chandra Guha,
Assistant Commandant (Intelligence),
Railway Protection Force,
DEPARTMENT OF RAILWAYS.

Shri Raj Mani Sharma,
Assistant Sub-Inspector,
6th Battalion, RPSF, Dayabasti, Delhi,
DEPARTMENT OF RAILWAYS.

Shri Mehtab Singh,
Head Constable,
RPF, Dahod Station, Ratlam Division,
DEPARTMENT OF RAILWAYS.

These awards are made under rule 4 (ii) of the rules governing the grant of the Police Medal.

S. NILAKANTAN
Deputy Secy. to the President

MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS & TOURISM

(DEPARTMENT OF TOURISM)

New Delhi, the 2nd December 1985

RESOLUTION

No. 8.TL.(32)/81.—A Scheme to provide financial assistance to tourist car operators for the purchase of vehicles for the use of tourists, as sanctioned in Govt. of India Resolution bearing No. 6-AHC(6)/64 dated 16th January, 1970. Certain relaxations in the terms and conditions of the schemes were made subsequently vide Government of India Resolution No. VII-TL(1)/70 dated 13th July, 1970, 14th January 1971, 25th July, 1972, 10th July, 1974, 31st July 1976 and 21st April, 1982.

It has been decided to liberalise further certain provisions of the scheme. The amendment to the scheme is given in the annexure to this resolution.

ORDER

ORDERED that a copy of this resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

N. K. SENGUPTA
Director General of Tourism and
Ex-Officio Addl. Secy.

AMENDMENTS TO THE INSTRUCTIONS FOR THE HIRE PURCHASE SCHEME OF TOURIST TRANSPORT VEHICLES

Para (6) *Eligibility of Applicants*

Sub-para a (i) may be amended to read as under :—

(i) The applicant shall personally own, and run either personally or through qualified drivers a fleet of at least three vehicles. This condition will not, however, be insisted upon in the case of travel agents, wildlife outfitters, ex-Defence Personnel and persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes and may also at the discretion of the Committee, be waived in favour of a small operator who does not own himself or jointly with others, three or more vehicles.

Para (12) *Payment of Hire Instalments*

The following may be added as sub-para (c) under this para.

(c) In the case of applicants belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the loan will be interest free. In case, any hire instalments become overdue, interest will be charged on the amount of such instalments at 4½% per annum above the bank rate prevailing at the time of purchase of the vehicle from the date of default to the date of payment.

The above two amendments will come into force w.e.f. 1st January, 1986 for a period of three years.

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 24th December 1985

ORDER

No. O-12012/3/78/Prod.—In exercise of the powers conferred by Clause (i) of Sub-rule (1) of rule 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules 1959, the Central Government hereby grants to the Oil and Natural Gas Commission, Tel Bhavan, Dehradun (hereinafter referred to as Commission) a Mining lease to mine Petroleum for 20 years with effect from the 20th day of November 1984 for Heera filed area measuring 170 sq. kms. (B-38 area) Bombay offshore, more particularly described in Schedule 'A' attached to this order.

2. The grant of this Mining Lease is subject to the following terms and conditions :—

(1) The Mining lease would be only in respect of Petroleum;

(2) If any minerals other than petroleum are found during the exploration work, the Commission should bring that to the notice of the Central Government with full particulars thereof.

(3) (i) Royalty at the rate of Rs. 61/- per metric tonne or such other rate as may be fixed by the Central Government from time to time on all crude oil and casing head condensate shall be paid by the Commissioned.

(ii) In the case of natural gas, the rates of royalty shall be as fixed by Central Government from time to time.

(iii) The royalty shall be paid to the Pay & Accounts Officer, Ministry of Petroleum and Natural Gas, New Delhi.

(4) The Commission shall, within the first seven days of every month, furnish to the Central Government a full and proper return showing the quantity and gross value of all crude oil casing headcondensate and natural gas obtained during the preceding month in pursuance of the lease, in the Form given in Schedule 'B' annexed hereto.

(5) The Commission shall deposit a sum of Rs. 20,000/- as security as required by rule 13 of the Peroleum and Natural Gas Rules, 1959.

(6) The Commision shall also deposit with the Central Government (i) for meeting the preliminary expenses such sum, not exceeding Rs. 2,000/-; and (ii) Rs. 5,000/- as Mining Lease fee prior to the grant of lease.

(7) The Commission shall pay to the Central Government for every year a fixed yearly dead rent at the following rates :—

Rs. 12.50 per hectare or part thereof for the first 100 square kilometres and Rs. 25/- per hectare or part thereof for area exceeding the first 100 square kilometres provided that the lease shall be liable to play only the dead rent or the royalty, whichever is higher in amount but not both.

(8) The Commission shall pay to the Central Government for the surface area of the land actually used by it for the purpose of the operations conducted under this lease, surface rent at such rate not exceeding the land revenue and cesses assessed or assessable on land as may be specified by the Central Government from time to time.

(9) The Commission shall pay to the Central Government royalty, halfyearly as on 1st July and 1st January each year.

(10) The Commission shall immediately on demand submit to the Central Government, a full confidential report of the geological data of all the minerals found during the exploration/production of oil and natural gas and shall submit every six months, the results of all operations, boring and production without fail.

(11) The Commission shall take preventive measures against the hazards of fire under water and/or on the surface and shall keep such equipment, supplies, and means ready at all time, to extinguish the fire and shall pay such compensation to the third party and/or Government as may be determined in case of damages due to fire.

(12) This Mining Lease shall be subject to the provisions of the Oil Fields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) and the Petroleum and Natural Gas Rules 1959.

(13) The Commission shall process the data in India;

(14) The Commission shall ensure security of oceanographic data;

(15) The Commission shall supply a complete set of processed data to Chief Hydrographer, Dehradun free of cost.

(16) The Commission shall ensure that the foreign vessels/rigs are deployed to undergo naval security inspection at a major naval base, as specified by the Central Government for that purpose by a tem of specialist officers, prior to actual deployment. The Commission shall forward eight copies of details regarding the type, weight, size etc. of each vessel/rig to the Naval Head Quarters at least six weeks before their arrival at the base to facilitate deputation of team of specialists in time.

(17) The Commission shall execute a Deed of the Petroleum Mining lease in the form approved by the Central Government.

(18) Any rent, royalty, tax, fee or other sum due to the Government under this Lease shall be recoverable from the Commission as arrears of land revenue.

P. K. RAJAGOPALAN
Desk Officer

SCHEDULE 'A'

Coordinates of Mining Lease
Heera field are measuring
170 Sq. Kms. (B-38 area) Bombay Offshore

Point	Latitude	Longitude
'A'	18° 40.5″	72° 12·5′
'B'	18° 30′	72° 12·5′
'C'	18° 30′	72° 17·5′
'D'	18° 40·5″	72° 17·5′

Total area for Mining lease—170 Sq. Kms

SCHEDULE 'B'

MONTHLY RETURN OF CRUDE OIL, CASING—HEAD CONDENSATE AND NATURAL GAS PRODUCED AND VALUE THEREOF

PETROLEUM EXPLORATION LICENCE FOR

Area

Month and Year

A—Crude Oil

Total No. of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purposes of petroleum exploration operation approved by the Central Government	No. of Metric Tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

B—Casing head condensate

Total No. of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purposes of petroleum exploration approved by the Central Government	No. of Metric Tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

C—Natural Gas

Total number of cubic metres obtained	Number of cubic metres unavoidably lost or returned to natural reservoir	Number of cubic metres used for purposes of petroleum exploration approved by the Central Government	Number of cubic metres obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

I, Shri—————————do hereby solemnly and sincerely declare and affirm that the information in this return is true and correct in every particular and make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true.

————————————
(Signature)

MINISTRY OF AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 3rd January 1986

RESOLUTION

No.48(8)/81-Sheep.—In continuation of this Ministry's resolution No. 48(8)/81-Sheep dated 8th November, 1985 reconstituting the Central Sheep Development Advisory Council, Government of India have decided to nominate the following as Members of the said Council for the remaining term of the Council :—

(i) *Representatives from Parliament*

(a) Shri Shanti Dhariwal, Member Lok Sabha

(b) Shri Ram Pujan Patel, Member Lok Sabha

(c) Shri M. Basavaraju, Member Rajya Sabha

(ii) *Non-official representing farmer's interest*

(d) Shri N. Basavaraju, Advocate, Kurubasang Bldg., Gandhi Nagar, Bangalore-9.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administrations of Union Territories, Ministries/Departments of the Govt. of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Lok Sabha Sectt. and Rajya Sabha Sectt.

2. ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

B. S. SARAO
Addl. Secy.

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 23rd January 1986

RESOLUTION

No. V-24030/1/85-WB—In continuation of this Ministry's Resolution of even number dated the 17th July, 1985, the Government of India have accepted the resignation of Shri Veerashwar Tiagi (HMS) representing workers from the membership of the 3rd Wage Board for Sugar Industry with immediate effect.

The Government of India makes the following changes in the composition of the Wage Board notified vide Resolution dated 17th July, 1985.

Members representing employers (2)

2. Shri Shivajirao G. Patil, Vice-Chairman, Maharashtra Rajya Sahakari Sakhar Karkhana Sangh Ltd., 16, Summit House, D.M. Road, Bombay-400036	In place of Late Shri D.B. Kadam

Members representing workers (2)

5. Shri Bhau Pathak, Treasurer, All India Sugar Workers Federation, (H.M.S.) Tarangan, Sadhana Society, Pune-Sholapur Road, Hadapsar, Pune,-411028.	In place of Shri Veereshwar Tiagi.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India.

BISHAMBHAR NATH, Under Secretary

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WILD LIFE) RULES

New Delhi, the 1st February 1986

No 17011/4/85-FS(II).—The rules for a competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in 1986 for the purpose of filling vacancies in the Indian Forest Service are published for general information.

1. The number of vacancies to be filled on the result of the examination will be specified in the Notice issued by the Commission. Reservation will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

2. Every candidate appearing at the Examination, who is otherwise, eligible, shall be permitted three attempts at the examination. The restriction is effective from the examination held in 1984.

Provided that this restriction on the number of attempts will not apply in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates who are otherwise eligible.

NOTE 1.—A candidate shall be deemed to have made an attempt at the examination if he actually appears in any one or more subjects.

NOTE 2.—Notwithstanding the disqualification/cancellation of candidature the fact of appearance of the candidate at the examination will count as an attempt.

3. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix I to these rules

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. A candidate must be either—

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Nepal, or

(c) a subject of Bhutan, or

(d) A Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962, with the intention of permanently setting in India, or

(e) a person of India origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently setting in India.

Provided that a candidate, belonging to categories (b) (c), (d) and (e) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India.

5. (a) A candidate must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 26 years on 1st July, 1986 i.e. he must have been born not earlier than 2nd July, 1960 and not later than 1st July, 1965

(b) The upper age limit prescribed above will be relaxable—

(i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangladesh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangladesh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;

(iv) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate or a prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October 1964;

(v) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also *bona fide* repatriate or a prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November 1964, or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vi) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(vii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(viii) up to a maximum of three years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence there of;

(ix) up to a miximum of eight years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof who belong to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes;

(x) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin (Indian passport holder) from Vietnam as also a candidate holding emergency certificate issued to him by the Indian Embassy in Vietnam and who arrived in India from Vietnam not earlier than July, 1975;

(xi) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin (Indian passport holder) from Vietnam as also a candidate holding emergency certificate issued to him by the Indian Embassy in Vietnam and who arrived in India from Vietnam not earlier than July, 1975;

(xii) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) or who is a repatriate of Indian origin from Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia;

(xiii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian Origin and has migrated from Kenya, Uganda, and the United Republic of Tanzania, (formerly Tanganyika and Zanzibar) or who is a repatriate of Indian origin from Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia;

(xiv) up to a maximum of five years in case of ex-servicemen and Commissioned Officers including ECOs/SSCos who have rendered at least five years Military Service as on 1st July, 1986 and have been released (i) on completion of assignment (including those whose assignment is due to be completed within six months from 1st July, 1986) otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency, or (ii) on account of physical disability attributable to Military Service or

(iii) on invalidment;

(xv) up to a maximum of ten years in case of ex-servicemen and Commissioned Officers including ECOs/SSCOs who have rendered at least five years Military Service as on 1st July, 1986 and have been released (i) on completion of assignment (including those whose assignment is due to be completed within six months from 1st July, 1986) otherwise than by way of dismissal of discharge on account of misconduct or inefficiency or (ii) on account of physical disability attributable to Military Service of (iii) on invalidment who belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xvi) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from erstwhile west Pakistan and had migrated to India during the period between 1st January, 1971 and 31st March, 1973;

(xvii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from erstwhile West Pakistan and had migrated to India during the period between 1st January, 1971 and 31st March, 1973.

(xviii) up to a maximam of six years, if a Candidate has ordinarily resided in the State of Assam during the period from the first day of Jonuary, 1980 to the fifteenth day of August, 1985.

(xix) up to a maximum of eleven years, if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and has ordinarily resided in the State of Assam during the period from the first day of January, 1980 to the fifteenth day of August, 1985.

NOTE :—Ex-Servicemen who have already joined Government job on civil side after availing of the benefits given to them as ex-servicemen for their re-employment, are not eligible to the age concession under Rule 5 (b) (xiv) & 5 (b) (xv) above.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

6 A candidate must hold a Bachelor's degree with at least one of the subjects, namely Botany, Chemistry, Geology, Mathematics, Physics and Zoology or a Bachelor's degree in Agriculture or in Engineering of any University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other

educational institutes established by an Act of Parliament or declared to be deemed as a University under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 or possess an equivalent qualification.

NOTE I.—Candidates who have appeared at an examination the passing of which would render them educationally qualified for the Commission's examination but have been informed of the result as also candidates who intend to appear at such a qualifying examination will *NOT* be eligible to apply for admission to the Commission's examination.

NOTE II.—In exceptional cases the Union Public Service Commission may treat a candidate who has not any of the foregoing qualifications, as a qualified candidate provided that he has passed examinations conducted by other institutions the standard of which in the opinion of the Commission justifies his admission to the examination.

7. Candidates must pay the fee prescribed in para 6 of the Commission's Notice.

8. All candidates in Government service, whether in a permanent or in temporary capacity or as workcharged employees, other than casual or daily-rated employees or those serving under Public Enterprises, will be required to submit an undertaking that they have informed in writing their Head of Office/Department that they have applied for the Examination.

Candidates should note that in case a communication is received from their employers by the Commission withholding permission to the candidates applying for/appearing at the examination, their application shall be rejected/candidature shall be cancelled.

9. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

10. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

11. A Candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :—

(i) obtaining support for his candidature by any means; or

(ii) impersonating; or

(iii) procuring impersonation by any person; or

(iv) submitting fabricated documents or ducuments which have been tampered with; or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information : or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination; or

(vii) using unfair means during the examination; or

(viii) writing irrelevant matter, including obscence language or pornographic matter, in the script(s); or

(ix) misbehaving in any other manner in the examination hall; or

(x) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examinations; or

(xi) Violating any of the instructions issued to candidates alongwith their admission certificates permitting them to take the examination; or

(xii) attempting to commit or as the case may be, abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses

may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period—

(i) by the Commission, from any examination or selection held by them :

(ii) by the Central Government, from any employment under them; and

(c) if he is already in service under Government, to disciplinary action under the appropriate rules.

Provided that no penalty under this rule shall be imposed except after—

(i) giving the candidate an opportunity of making such representation in writing as he may wish to make in that behalf; and

(ii) taking the representation, if any, submitted by the candidate, within the period allowed to him, into consideration.

12. (Candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written examination as may be fixed by the Commission in their discretion shall be summoned by them for an interview for a personality test :

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may be summoned for an interview for a personality test by the Commission by applying relaxed standards if the Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities are not likely to be summoned for interview for a personality test on the basis of the general standard in order to fill up the vacancies reserved for them.

13. After the examination the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for appointment up to the number of unreserved vacancies, decided to be filled on the results of the examination.

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota subject to the fitness of these candidates for appointment to the Service, irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

14. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their descretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

15. Success in the examination confers no right to appointment unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary that the candidate, having regard to his character and antecedents, is suitable in all respects for appointment to the Service.

16. A CANDIDATE SHALL BE REQUIRED TO INDICATE IN COLUMN 24 OF THE APPLICATION FORM HIS OR HER ORDER OF PREFERENCE FOR STATE/JOINT CADRES OF THE SERVICE TO WHICH HE/SHE WOULD LIKE TO BE CONSIDERED FOR ALLOTMENT.

NO REQUEST FOR ALTERATION IN THE PREFERENCES INDICATED BY A CANDIDATE WOULD BE CONSIDERED UNLESS THE REQUEST FOR SUCH ALTERATION IS RECEIVED IN THE OFFICE OF THE UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION WITHIN 30 DAYS OF THE DATE OF PUBLICATION OF THE RESULTS OF THE WRITTEN PART OF THE EXAMINATION IN THE 'EMPLOYMENT NEWS' NO COMMUNICATION EITHER FROM THE COMMISSION OR FROM THE GOVERNMENT OF INDIA WOULD BE SENT TO THE CANDIDATES ASKING THEM TO INDICATE THEIR REVISED PREFERENCES, IF ANY, FOR VARIOUS STATE/JOINT CADRES AFTER THEY HAVE SUBMITTED THEIR APPLICATIONS.

17. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate who after such medical examination as Government or the appointing authority, as the case may be, may prescribe is found not to satisfy these requirements, will not be appointed. Any candidate called for the Personality Test by the Commission may be required to undergo medical examination. No fee shall be payable to the Medical Board by the candidate for medical examination.

Note.—In order to prevent disappointment candidates are advised to have themselves examined by a Government Medical Officer of the standing of a Civil Surgeon before applying for admission to the examination. Particulars of the nature of the medical test to which candidates will be subjected before appointment and of the standards required are given in Appendix III to these Rules. For the disabled ex-Defence Services personnel the standards will be relaxed consistent with requirements of the Service.

Attention is particularly invited to the condition of medical fitness involving a walking test of 25 kilometres in 4 hours in the case of male candidates and 14 Kilometres in 4 hours for female candidates.

18. No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to service.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing; exempt any person from the operation of this rule.

19. Candidates are informed that some knowledge of Hindi prior to entry into Service would be of advantage in passing departmental examinations which candidates has to take after entry into Service.

20. Brief particulars relating to the Service to which recruitment is being made through this examination are given in Appendix-II.

M. V. KESAVAN
Deputy Secretary

APPENDIX I

SECTION I

Plan of Examination

The competitive examination for the Indian Forest Service comprises :—

(A) Written examination in—

(i) two compulsory subjects viz., General English and General Knowledge [See Sub-Section (a) of Section II below]—Maximum marks : 300.

(ii) a selection from the optional subjects set up in Sub-section (b) of Section II below. Subject to the provisions of that Sub-Section candidates must take any two of those subjects—Maximum marks : 400.

(B) Interview for Personality Test (vide Part B of the Schedule to this Appendix) of such candidates as may be called by the Commission—Maximum marks : 200.

SECTION II

Examination Subjects

(a) Compulsory subjects *vide* Sub-section A(i) of Section I above :—

	Code No.	Maximum marks
(1) General English	21	150
(2) General Knowledge	22	150

(b) Optional subjects *vide* Sub-section A(ii) of Section I above:—

Subject	Code No.	Maximum Marks
Agriculture	01	200
Botany	02	200
Chemistry	03	200
Civil Engineering	04	200
Geology	05	200
Agricultural Engineering	06	200
Chemical Engineering	07	200
Mathematics	09	200
Mechanical Engineering	10	200
Physics	11	200
Zoology	13	200

Provided that the following restrictions shall apply to the above subjects :

(i) No candidate shall be allowed to take both the subjects with codes 01 and 06;

(ii) No candidate shall be allowed to take both the subjects with codes 03 and 07.

Note.—The standard and syllabi of the subjects mentioned above are given in Part A of the Schedule to this Appendix.

SECTION III

General

1. ALL QUESTION PAPERS MUST BE ANSWERED IN ENGLISH QUESTION PAPERS WILL BE SET IN ENGLISH ONLY.

2. The duration of each of the papers referred to in Sub-sections (a) and (b) of Section II above will be 3 hours.

3. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances, will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

4. The Commission have discretion to fix qualifying mark in any or all the subjects of the examination.

5. If a candidate's handwriting is not easily legible deduction will be made on this account from the total mark otherwise accruing to him.

6. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

7. Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words in all subjects of the examination.

8. In the question papers wherever necessary questions involving the Metric System of Weights and Measures only will be set.

9. Candidates should use only International form of Indian numerals (e.g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc.) while answering question papers.

10. Candidates are permitted to bring and use battery operated pocket calculators for conventional (essay) type papers only. Loaning or inter-changing of calculators in the Examination Hall is not permitted.

It is also important to note that candidates are not permitted to use calculators for answering objective type papers (Text Booklets). They *should not*, therefore, bring the same inside the Examination Hall.

SCHEDULE

PART A

The standard of papers in General English and General Knowledge will be such as may be expected of a Science or Engineering graduate of an Indian University.

The standard of papers in the other subjects will approximately be that of the Bachelor's degree (Pass) of an Indian University.

There will be no practical examination in any of the subjects.

GENERAL ENGLISH (Code 21)

Candidates will be required to write an essay in English. Other questions will be designed to test their understanding of English and workmanlike use of words. Passages will usually be set for summary or precis.

GENERAL KNOWLEDGE (Code 22)

General Knowledge including knowledge of current events and of such matters of every day observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subject. The paper will also include questions on History of India and Geography of a nature which candidate should be able to answer without special study.

NOTE.—The paper in General Knowledge will consist of objective type questions only. For details including sample questions, please see candidate's information manual at Annexure II to the Commission's Notice.

AGRICULTURE—(Code—01)

Candidates will be required to answer questions from Sections (A) and (B) or Sections (A) and (C) below:

(A) *Agricultural Economics*

Meaning and scope of agricultural economics, significance of study and its relationship with other sciences, importance of agriculture in Indian economy, contribution to national income comparison with other countries, study of significant economic problems in India agricultural production, marketing, labour credit etc.

Nature of study of farm management its meaning and scope, relation to other physical and social sciences, concepts and basic principles in farm management. Types and systems of farming-determining factors. Planning for profitable use of land, water, labour and equipment, methods of measuring farm efficiency, nature and purpose of farm bookkeeping, farm records and accounts, financial accounting, enterprise accounting and complete cost accounting.

(B) *Agronomy*

Crop Production—Detailed study of KHARIF Crops; Paddy, Maize, Jowar, Bajra, Groundnut, Til, Cotton, Sunhemp, Moong, Urd with reference to their introduction, distribution, seedbed preparation, improved varieties, sowing and seed-rate inter-culture, harvesting and physical inputs of production of crops.

Detailed study of improtant RABI crops; Wheat, Barley, Gram, Mustard, Sugarcane, Tobacco, Berseem, with reference to their origin, history, distribution, soil and climate requirements, seedbed preparation, improved varieties, sowing and seed-rate interculture, harvesting, storing, physical inputs of crops.

Weeds and Weed Control—Classification of weeds; habitat and characteristics of important weeds of India. Injurious effects and losses caused by weeds chief agencies of weed dissemination, cultural, biological and chemical control of weeds.

Priniciples of Irrigation and Drainage—Necessity and sources of irrigation water, water requirements of crops, common water lifts, duty of water, prevention of wastage of irrigation water, system and methods of irrigation, advantage and limitations of each method. Measurement of irrigation water. Soil moisture, different forms of soil moisture and their importance. Drainage and its necessity, harm caused by excessive water, methods of drainge.

(C) *Soil Science & Soil Conservation*

Definition of soil, its main components, soil, profile, soil mineral colloids, cation exchange capacity, base saturation percentage ion exchange, essential nutrients for plant growth, their forms in the soil and their role in plant nutrition. Soil organic matter, its decomposition and its effect on soil fertility. Acid and alkali soils, their formation and reclamation. Effect of organic manures, green manures and fertilizers on soil properties, properties of common nitrogenous, phosphatic and potassic ferilizers.

Mechanical composition and soil texture, soil pore space, soil structure, soil water, types of soil water, its retention, movement, availability and measurement of soil water. Soil temperature, soil air and its importance. Soil structure, its forms and thier effect on the physio-chemical properties of soil.

Soil Morphology and oil Surveying—Earth's crust; soil forming roks and minerals; their composition and importance in soil formation. Weathering of rocks and minerals, factors, and processes of soil formation, great soil groups of the world and their agricultural importance. Study of Indian soils. Soil survey and classification

Principles of Soil Conservation—Soil erosion, factors effecting erosion, soil conservation, soil properties in relation to agronomic and engineering practices, land drainage, needs and practices for agricultural lands, use classification soil conservation, planning and programme.

BOTANY—(Code—02)

1. Survey of the Plant, Kingdom.—Difference between animals and plants: Characteristics of living organisim: Unicellular and multicellular organism : Virises, basis of the division of the plant kingdom.

2. Morphology—(i) Unicellular plants—Cell, its structure and contents: division and multiplication of cells.

(ii) Multicellular plants—Differentiation of the body of non-vascular plants and vascular plants; external and internal morphology of vascular plants.

3. *Life history.*—Of at least one member of the following Categories of plants; Bacteria, Cyanophyceae, Chlorophyceae, Phaeophyceae, Rhodophyceae, Phycomycetes, Ascomycetes. Basidiomycetes, liver worts, Mosses, Pteridophtes, Gymnosperms and Angiosperms.

4. *Taxonomy.*—Principles of classification : Principal systems of classification of angiosperms; distinctive features and economic importance of the following families Graminea, Scitaminae, Palmaceae. Liliaceae, Orchidaceae. Moraceae. Loranthaceae, Magnoliaceae. Lauraceae. Cruciferae. Rosaceae. Leguminosae, Rutaceae, Malvaceae, Euphorbiaceae. Anacardiaceae. Malvaceae, Apocynaceae, Ascleidaceae. Dipterocarpaceae. Myrtaceae. Umbelliferalibiatae, Solanaceae, Rubiceae, Cucumbitaceae. Verbanaceae and Compositae.

5. *Plant Physiology.*—Autotrophy, heterotrophy, intake of water and nutrients, transpirations, photosynthesis, mineral nutrition, respiration, growth reproduction : Plant/animal relation; symbiosis, parasitism, enzymes, auxins, hormones. photoperiodism.

6. *Plant Pathology.*— Cause and Cure of plant diseases; disease organisms, Viruses, deficiency disease; disease resistance.

7. *Plant Ecology.*—The basic facts relating to ecology and plant geography, with special relation to Indian flora and the botanical regions of India.

8. *General Biology.*—Cytology, Genetics plant, breeding Mendelism, hydrid vigour, Mutation Evolution.

9. *Economic Botany.*—Economic use of plants esp. flowering plants, in relation to human welfare, particularly with reference to such vegetable products like foodgrains, pluses, fruit, sugar and starches, oilseeds, spices, beverages, fibres, woods, rubber drugs and essential oils.

10. *History of Botany.*—A general familiarity with the development of knowledge relating to the botanical science.

CHEMISTRY—(Code—03)

1. *Inorganic Chemistry*

Electronic configuration of elements, Aufbau principle, Periodic classification of elements. Atomic number. Transition elements and their characteristics.

Atomic and ionic radii, ionization potential, electron affinity and electronegativity.

Natural and artificial radioactivity. Nuclear fsion and fusion.

Electronic Theory of valency. Elementary Ideas about sigma and pie-bonds, hybridization and directional nature of covalent bonds.

Werner's theory of coordination compounds, Electronic configurations of complexes involved in the common metallurgical and analytical operations.

Oxidation states and Oxidation number, Common oxidising and reducing agents, Ionic equations.

Lewis and Bronsted theories of acids and bases.

Chemistry of the common elements and their compounds treated especially from the point of view of periodic classification. Principles of extraction isolation (and metallurgy) of important elements.

Structures of hydrogen peroxide diborane, aluminium chloride and the important oxyacids of nitrogen, phosphorus-chlorine and sulphur.

Inert gases : Isolation and chemistry.

Priniciples of inorganic chemical analysis.

Outlines of the manufacture of : Sodium carbonate, sodium hydroxide, ammonia. nitric acid, sulphuric acid, cement, glass and artificial ferulizers.

2. *Organic Chemistry*

Modern concepts of covalent bonding. Electron displacements—Inductive mesomeric and hyperconjugative effects Resonance and its application to organic Chemistry, Effect of structure on dissociation constants.

Alkanes, alkenes and alkynes, petroleum as a source of organic compounds. Simple derivatives of aliphatic compounds Alcohols, Aldehydes, ketones, acids halides Esters and acetoacetic esters. Tartaric citiric, maleic and ethers, acid anhydrides chlorides and amides. Monobasic hydroxy, ketonic and amino acids. Organometallic compounds and acetoacetic esters. Tartaric citric, maleic and fumaric acids. Corbohydrates, classification and general reactions. Glucose fructose and sucrose.

Stereochemistry : Optical and geometrical isomerism concept of conformation.

Benzene and its simple derivatives : Toluene, xylenes, phenols, halides, nitro and amino compounds, Benzoic, salicyclic cinnamic, mandelic and sulphonic acids. Aromatic aldehydes and ketones. Diazo, azo and hydrazo compounds. Aromatic substitution. Naphthalene, pyridine and quinoline.

3. *Physical Chemistry*

Kinetic theory of gases and gas laws, Maxwell's law of distribution of velocities. Vender Waal's equation. Law of corresponding states, Liquefaction of gases. Specific heats of gases. Ratio of cp/Cv.

Thermodynamics : The first law of thermodynamics. Isothermal and adiabatic expansion. Enthalpy. Heat capacities Thermochemistry—heats of reaction formation solution and combustion. Calculation of bond energies. Kirchoff equation.

Criteria for spontaneous change. Second Law of Thermodynamics. Entropy. Free energy. Criteria of Chemical equilibrium.

Solution, Osmotic pressure, lowering of vapour pressure, depression of freezing point, elevation of boiling point Determination of molecular weights in solution. Association, dissociation of solutes.

Chemical equilibria, Law of mass action and its application to homogenous and heterogeneous equilibria. Le Chatelier priniciple. Influence of temperature on chemical equilibrium.

Electrochemistry : Faraday's laws of electrolysis, conductivity of an electrolyte : equivalent conductivity and its variation with dilution; solubility of sparingly soluble salts electrolytic dissociation. Ostward's dilution law; anomaly of strong electrolytes; Solubility product strength of acids and bases; hydrolysis of salts; hydrogen ion concentration buffer action; theory of indicators.

Reversible cells. Standard, hydrogen and calomel electrodes. Electrode and red-ox-potentials. Concentration cells. Determination of pH, Transport number, Ionic product of water. Potentiometric titrations.

Chemical Kinetics, Molecularity and order of a reaction First order and second order reactions. Determination of order of a reaction, temperature coefficients and energy of activation. Collision theory of reaction rates Activated complex theory.

Phase rule; Explanation of the terms involved. Application to one and two component system. Distribution law.

Colloids. General nature of Colloidal solutions and their classification; general methods of preparation and properties of colloids Coagulation. Protective action gold number. Absorption

Catalysis : Homogenous and heterogenous catalysis. Promotors. Poisoning.

Photochemistry : Law of Photochemistry. Simple numerical problems.

CIVIL ENGINEERING—(Code—04)

1. *Building material and Properties and strength of materials*

Building materials—Timber, stone, brick, lime, tile, sand, surkhi, mortar and concrete, metal and glass—Structural properties of metals and alloys used in engineering practice.

Stresses and strains—Hook's law—Bending Torsion and direct stresses. Elastic theory of bending of beams maximum and minimum stresses due to eccentric loading. Bending moment and Shear force diagrams and deflection of beams under static and live loads.

2. *Building construction and water supply and sanitary Engineering—*

Construction—Brick and stone masonry walls, floors and roofs, staircases, carpentry in wooden floors roofs ceiling, doors and windows, finishes (plastering, pointing, painting and varnishing etc.).

Soil mechanics—Soils and their investigations. Bearing capacities and foundations of buildings and structures—principles of design.

Building estimates—Principle units of measurement : Taking out quantities for building and preparation of abstract of costs—specifications and data sheets for important items.

Water supply—Sources of Water, Standards of purity, methods of purification, layout of distribution system, pumps and boosters.

Sanitation—Sewers, storm water overflows, house drainage requirements and appurtenance, septic tanks, Imhoff tanks, sewage treatment and dispersion trenches—Activated sludge process.

3. *Roads and bridges* :

Survey and alignment—Highway materials and their placements, Principles of design—width of foundation and pavement, camber gradient curves and super-elevation-Retaining walls.

Construction—Earth roads, stablized and water bound macadam roads, bituminous surfaces and concrete roads, draining of roads : Bridges—Types, economical spans, I.R.C. loading desining superstructure of small span bridges—Principles of designing, foundation of abutments and piers of bridges, pile and well foundations.

Estimating Earthwork for roads and canals.

4. *Structural Engineering* :

Steel structures—Permissible stresses, Design of beams simple and built-up columns and simple roof trusses and girders column bases and grillages for axially and eccentrically loaded columns—Bolted; rivetted and welded connections.

R.C.C. structures—Specification of materials used-proportioning workability and strength requirement—I.S.I. standards for designs loads permissible stresses in R.C.C. members subject to direct and bending stresses—Design of simply supported overhanging and cantilever beams, rectangular and Tee beams in floors, roofs and lintels—axially loaded columns; their base.

GEOLOGY—(Code—05)

1. *General Geology* :

Origin, age and interior of the Earth, different geological agencies and their effects on topography, weathering and erosion : Soil types, their classification and soil groups of India; Physiographic sub-divisions of India. Vegetation and topography; Volcanoes earthquakes, mountains diatrophism.

2. *Structural Geology* :

Common structure of igneous, sedimentary and metamorphic rocks, Dip, strike and slopes; folds, faults and unconformities including their effects on outcrops. Elementary ideas of methods of Geological Surveying and Mapping.

3. *Crystallography and Mineralogy* :

Elementary knowledge of crystal symmetry. Laws of crytallography. Crystal habits and twinning.

Study of important rock-forming including clay minerals with regard to their chemical composition, physical properties, optical properties, alteration, occurrence and commercial uses.

4. *Economic Geology* :

Study of important economic minerals of India including mode of occurrence. Origin and classification of ore deposits.

5. *Petrology* :

Elementary study of igneous, sedimentary and metamorphic rocks including origin and classification. Study of common rock types.

6. *Stratigraphy* :

Principles of stratigraphy; lithological and chronological sub-divisions of geological records. Outstanding features of Indian Stratigraphy.

7. *Palaentology* :

The bearing of palaentological data upon evolution. Fossils, their nature and mode of preservation. An elementary idea of the morphology and distribution of representative forms of animal and plant fossils.

AGRICULTURE ENGINEERING—(Code—06)

1. *Soil and Water Conservation*—Definition and scope of soil conservation; Mechanics and types of erosion, their causes Hydrologic cycle rainfall and runoff—factors affecting them and their measurements, stream gauging—Evaluation of runoff from rainfall. Erosion control measures—Biological and Engineering.

Basic open channel hydraulic. Design of soil conservation structures—terraces, bunds, outlets and grassed waterways. Principles of flood control. Flood routing. Design of farm ponds and earth dams. Stream bank erosion and its control. Wind erosion and its control, Principles of watershed management.

Investigation and planning in River Valley projects.

2. Irrigation and drainage—Soil-water-plant relationships. Sources and types of irrigation. Planning and design of minor irrigation projects. Techniques of measuring soil moisture.

Duty of water-consumptive use. Water requirements of crops. Measurement and cost of irrigation water. Measuring devices—flow through orifices, wires and flumes. Levelling and layout of irrigation systems. Design and construction of channels, field channels, pipe lines, head-gates, diversion boxes structures and road crossing. Occurrence of ground water, Hydraulics of wells. Types of wells, their construction, drilling methods. Well development, Testing of wells.

Drainage—Definition—causes of water loging. Methods of drainage. Drainage of irrigated lands. Design of surface and sub-surface systems.

3. Building materials—kinds of building materials—their properties. Timber, brickwork and R.C. construction, design of columns, beams, roof trusses, joints. Layout of a farmstread Design of farm houses, animals, shelters and storage structures. Rural water supply and sanitation.

Farm power and machinery—Construction of different types of internal combustion engines. Ignition, fuel lubricating, cooling and governing systems of IC engines. Different types of tractors. Chassis transmission and steering. Farm machinery for primary and secondary tillage, seeding machinery, interculture tools and machinery. Plant production equipment. Harvesting and threshing equipment Machinery for land development. Pumps and pumping machinery.

5. Electricity and rural electrification. Power generation and transmission : Distribution of electricity for rural electrification : A.C. and D.C. circuits.

Uses of electric energy on the farm. Electric motors used in agriculture—types, selection, installation and maintenance.

CHEMICAL ENGINEERING—(Code—07)

1. Transport phenomena : (Under steady state conditions);

(a) Momentum transfer :

(i) Different patterns of flow and their criteria

(ii) Velocity profile.

(iii) Filtration; sedimentation : centrifuge.

(iv) Flow of Solids through fluids.

(b) *Heat transfer* : Different modes of heat transfer: Conduction—calculation for single and composite walls of flat, cylindrical and spherical shapes.

Convection—different dimensionless groups used in force and free convection. Equivalent diameter Determination of individual and overall heat transfer coeff.

Evaporation—Radiation—Stafan Boltzman law.

Emmissivity and absorptivity. Geometrical shape factor, Heat load of furnaces—calculation.

(c) *Mass transfer* : Diffusion in gases and liquids. Absorption, desorption, humidification, dehumidification, drying and distillation Analogy between momentum heat and mass and transfer.

2. *Thermodynamic* :

(a) Ist, 2nd and 3rd Laws of thermodynamics.

(b) Determination of internal energy, entropy, enthalpy and free energy—Determination of chemical equilibrium constants for homogeneous and heterogeneous systems. Use of thermodynamics in combustion, distillation and heat transfer. Mechanism and theory of mixing various mixers for liquid liquid, solid-liquid and solid-solid.

3. *Reaction engineering* :

(i) Kinetics : Homogeneous and heterogemous reactions 1st and 2nd order reactions.

Batch and flows—Reactors and their design.

(ii) Catalysis—Choice of catalysic;
Preparation;

Mechanics of catalysis based upon mechanism.

4. Transportation—Storage and transport of materials and in particular, powders, resins, volatile and non-volatile liquids, emulsions and dispersions, pumps, compressors and blowers Mixers—Mechanisms and theory of mixing various mixers for liquid-liquid; solid-liquid; solid-solid.

5. Material—Factors that determine choice on materials of construction in chemical industries.—Metals, and alloys, ceramics, plastics and rubbers. Timber and timber products, plywood laminates.

Fabrication of equipment with particular reference to production of vats, barrels, filter presses etc.

6. Instrumentation and process control—Mechanical, hydraulic, pneumatic, thermal, optical, magnetic, electrical and electronic instruments. Controls and control systems. Automation.

MATHEMATICS—(Code—09)

PART A

Algebra:

Algebra of sets, relations and functions, inverse of a function, composite function, equivalence relation.

Numbers : integers rational numbers, real numbers (statement of properties), complex numbers, algebra of complex numbers.

Groups, sub-groups, normal sub-groups, cyclic and permutation groups, Lagrange's theorem, isomorphism.

De-Moivre theorem for rational index and its simple applications.

Therory of Equations : Polynomial equations, transformation of equations, relations between roots and coefficients of a polynomial equation, symmetric function of roots of cubic and biquadratic equations, location of roots and Newton's method for finding roots.

Matrices : algebra of matrices, determinants—simple properties of determinants, product of determinants adjoint of a matrix, inversion of matrices rank of a matrix, application of matrices to the solution of linear equations (in three unknowns).

Inequalities : arithmetic and geometric means. Cauchy Schewarz inequality (only for finite sums).

Analytic Geometry of two dimensions.—Straight lines, pair of straight lines, circles, systems of circles. Ellipse, parabola, hyperbola (referred to principal axis). Reduction of a second degree equation to standard form. Tangents and normals.

Analytic Geometry of three dimensions.—Planes, straight lines and spheres (Cartesian Co-ordinates only).

Calculus and Differential Equation

Differential calculus : Concept of limit; continuity and differentiability of a function of one real variable, derivative of standard functions, successive differentiation. Rell's theorem, Mean value theorem, Maclaurin and Taylor series (proof not needed) and their applications; Binomial expansion for rational index, expansion of exponential, logarithmic trigonometrical and hyperbolic functions. Indeterminate forms, Maxima and Minima of a function of a single variable, geometrical applications such as tangent, normal, subtangent, subnormal, asymptotic curvature (Cartesian coordinates only). Envelopes, partial differentiation. Euler's theorem for homogenous functions.

Integral calculus : Standard methods of integration. Riemann definition of definite integral of continuous functions. Fundamental theorem of Integral calculus. Rectification, quadrature, volumes and surface area of solids of revolution. Simpson's role for numerical integral.

Convergence of sequence and series, test of convergence of series with positive terms. Ratio, root and Gauss tests. Alternating series.

Differential Equations : Solution of standard first order differential equation. Solution and second and higher order linear differential equations with constant coefficients. Simple applications of problems on growth and decay, simple harmonic motion, Simple pendulum and the like.

PART B

Machanics : (Vector Methods may be used)

Statics—Representation of a force, parallelogram of forces, composition and resolution of forces and conditions of equilibrium of coplanar and constituent forces. Triangle of forces. Like and unlike parallel forces Moments. Couples. General conditions for equilibrium of coplanar forces, centre of gravity of simple bodies. Friction—static and limiting friction angle of friction equilibrium of a particle on a rough inclined plane, simple problems, simple machines (lever, system of Pulleys, gear). Virtual work (two dimensions).

Dynamics.—Kinematics—displacement, speed, velocity and acceleration of a particle, relative velocity. Motion in a straight line under constant acceleration. Newton's laws of motion. Central Arbits. Simple harmonic motion, motion under gravity (in vacuum). Impulse, work and energy. Conservation of energy and linear momentum. Uniform circular motion.

Astronomy

Spherical Trigonometry.—Sine and cosine formulae, properties of right-angled spherical triangles.

Spherical Astronomy—Celestial sphere, Coordinate systems and their conversion. Diurnal motion. Sidereal and solar times, mean solar time, local and standard times equation of time. Rising and setting of the sun and starts, dip of the horizon. Astronomical refraction. Twilight. Parallax, abberration, procession and nutation. Keplers-laws, Planetary orbits and stationary points. Apparent motion of the moon phases of the moon. Astronomical Instruments—Sextant, transmit instrument.

Statistics

Probability—Classical and statistical definition of probability, calculation of probability of combinatorial methods, addition and multiplication theorems, conditional probability Random variables (discrete and continuous), density function. Mathematical expectation.

Standard distribution—Binomial—definition, mean an variance, skewness, limiting form, simple applications; Poisson—definition, mean and variance, additive property, fitting of Poisson distribution to given data; Normal—simple properties and simple applications, fitting a normal distribution to given data

Bivariate distribution—Correlation, linear regression involving two variables fitting of straight line, parabolic and exponential curves, properties of correlation coefficient.

Simple sampling distributions and simple tests of hypothesis : Random sample, Statistic, Sampling distribution and standard error. Simple application of the normal t, chi² and F distributions for test of significance.

NOTE :—Candidates will be required to answer compulsorily from Part A of the syllabus one question on each of the three topics viz (1) Algebra (2) Analytic Geometry of two and three dimensions, and (3) calculus and Differential Equation From Part B of the syllabus it will be compulsory to answer at least one question on any one of the three topics viz. (1) Mechanics, (2) Astronomy and (3) Statistics.

MECHANICAL ENGINEERING—(Code—10)

1. *Strength of Materials*

—Stresses and strains—Hookes Law and relations between elastic constants—Compound bars in tension and compression and stresses due to temperature changes.

Bending Moment, shear force and diflection in simply supported overhanging and cantilever beam for simple loading.

Torsion in round bars—Transmission of power by shafts springs.

Simple cases of combined bending and direct stresses, and combined bending and torsion.

Elastic theory of failure—Stress concentration and fatique.

2. *Theory of Machines and Machine Desions*

Relative velocities of parts in machines graphically and by calculation.

Crank effort diagram of engines—Sneed variation of flywheels. Governors Power transmitted, by belt drives—Friction and lubrication of journals and thrust bearings, ball and roller bearings. Designs of fastenings, and locking devices —Proportions for rivetted, bolted and welded joints and fastening.

3. *Applied Thermodynamics*

Fuels Combustion—Air supply—Analysis of fuels and exhaust gases.

Boilers, Superheaters and Economisers—Boilers mountings and accessories—Boiler trial.

Physical properties of steam—Steam tables and their use.

Laws of Thermodynamics—Gas Laws Expansion and compression of gases—Air compressors.

Ideal and actual engine cycle—Use of temperature—entropy heat-entropy and pressure-volume charts and diagrams.

Simple steam engines and Internal combustion engines.

Indicators and indicator Diagrams—Mechanical Thermal air standard and actual efficiencies—General construction—Engine trial and heat balance.

4. *Production Engineering*

Common machine tools—Working principle and designs features of Lathes. shapers, planers, drilling machines—Milling machines—Grinding machines—Jigs and fixtures Metal cutting tools—Tools materials—Tool geometry.

Cutting forces—Abrasive Wheels.

Welding—Weldability and different welding processes—Testing of welds.

Forming process—moulding, casting, forging, rolling and drawing of metals.

Metrology—Linear and angular measurements—Limits and fits. Measurements of screws and gears—Surface finish—Optical instruments.

Industrial engineering—Methods study and work measurement—Motion-time data—Work sampling—Job evaluation—Wages and incentives—Planning, control, Plant layout.

5. Fluid Mechanics and Water Power

Bernoullis equation—Moving plates and vanes—Pumps and turbines. Designs principles, application and characteristics curves; Principles of similarity; Governing—Hydraulic accumulators and intensifiers—Cranes and lifts—Surge tanks and Storage reservoirs.

PHYSICS—(Code—11)

1. *General properties of matters and mechanics*

Units and dimentions; Scalar and vector quantities; Moment of Inertia, work energy and momentum. Fundamental laws of mechanics; Rotational motion; Gravitation; Simple harmonic motion; Simple and compound pendulum; Kater's pendulum; Elasticity; Surface tension. Viscosity of liquids, Rotary pumps Mcleod gauge.

2. *Sound*

Damped, forced and free vibrations; Wave motion. Doppler effect; Velocity of sound waves; effect of pressure, temperature humidity on velocity of sound in a gas; Vibration of strings, bars plates and gas columns; Resonance; Beats; Stationary waves; Measurement of frequency, velocity and intensity of sound; Musical scales; Acoustics in architecture; Elements of ultrasonics. Elementary principles of gramophones, talkies and loudspeakers.

3. *Heat Thermodynamics*

Temperature and its measurement; thermal expansion; Isothermal and adiabatic changes in gases; Specific heat and thermal conductivity; Elements of the kinetic theory of matter; Physical ideas of Boltzman's distribution law; Van der Waal's equation of States; Joule Thomson effect liquefaction of gases, Heat Engines; Carupt's theorem, Laws of thermodynamics and simple applications, Black body radiation.

4. *Light*

Geometrical optics. Velocity of light; Reflection and refraction of light at plane and spherical surfaces; Defects in optical images and their corrections; Eye and other optical instruments; Wave theory of light; Interference; simple interferometer; Diffraction; Diffraction; Grating; Polarisation of light; Elements of spectroscopy.

5. *Electricity and magnetism*

Calculation of electric field intensity and potential in simple cases, Gauses theorem and simple applications; Electrometers, Energy due to a field; Electrical and magnetic properties of matter; Hystersis permeability and susceptiblity; magnetic field due to electrical current; Moving magnet and moving coil galvanometers; Measurement of current and resistance; Properties of reactive circuit elements and their determination; thermoelectric effects. Electromagnetic induction; Production of alternating currents. Transformers and motors; Electronic valves and their simple applications.

Elements of Bohr's theory of atom; Electrons, Cathode rays and X-rays; Measurement of electronic charge and mass.

ZOOLOGY—(Code—13)

Classification of the animal kingdom into principal groups distinguishing features of the various classes.

The structure, habits, and life-history of the following non-chordate types;

Amoeba, malarial parasite, a sponge, hydra, liverflue, tapeworm, roundworm, earth worm, leech, cockroach housefly mosquito, scorpion, freshwater mussel, pond snail and starfish (External characters only).

Economic importance of insects, Bionomics and life-history of the following insects : termitelocust, honey bee and silk moth.

Classification of Chordate up to orders.

The structure and comparative anatomy of the following chordate types :

Branchiostoma; Scolidon; frog; Uromastix or any other lizard (Skeleton of *varanus*); *pigeon* (Skeleton of fowl); and rabbit, rat or squirrel.

Elementary knowledge of the histology and physiology of the various organs of the animal body with reference to frog and rabbit, Endocrine glands and their functions.

Outlines of the development of frog and chick structure and functions of the mammallana placenta.

General principles of evaluation. variations heredity; adaptation; recapitualation hypothesis. Mendelian inheritance asexual and sexual modes of reproduction; pathenogenesis, metamorphosis, alteration of generations.

Ecological and geological distribution of animals with special reference to the Indian fauna.

Wild life of India including poisonous and non-poisonous snakes; game Birds.

PART B

Personality Test.—The candidate will be interviewed by a Board of competent and unbiased observers who will have before them a record of his career. The object of the interview is to assess the personal suitability of the candidate for the Service. The candidate will be expected to have taken an

intelligent interest not only in his subject of academic study but also in events which are happening around him both within and outside his own State or country, as well as in modern currents of thoughts and in new discoveries which should rouse the curiosity of well-educated youth.

2. The technique of the interview is not that of a strict cross examinttion, but of a natural, though directed and purposive conversation, intended to reveal mental qualities of the candidate. The Board will pay special attention to assessing the intellectual curiosity critical powers of observation and assimilation, balance of judgement and alertness of mind initiative, tact, capacity for leadership; the ability for social cohesion, mental and physical energy and powers of practical application; integrity of character; and other qualities such topographical sense, love for out-door life and the desire to explore unknown and out of way places.

APPENDIX II

(*Vide Rule* 20)

Brief particulars relating to the Indian Forest Service (*vide* Rule 20).

(a) Appointment will be made on probation for a period of three years which may be extended. Successful candidate will be required to undergo probation at such place and in such manner and pass such examinations during the period of probation as the Government of India may determine.

(b) If in the opinion of Government, the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith, or, as the case may be, revert him to the permanent post on which he holds a lien, or would hold a lien had he not been suspended, under the rules applicable to him prior to his appointment to the Service.

(c) On the conclusion of his period of probation, Government may confirm the officer in his appointment or, if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him from the Service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit.

(d) If the power to make appointment in the Service is delegated by Government to any officer that officer may exercise any of the powers of Government under clauses (b) and (c) above.

(e) An officer belonging to the Indian Forest Service will be liable to serve anywhere in India or abroad either under the Central Government or under State Government.

(f) Scale of pay :

Junior Scale.—Rs. 700—40—900—EB—40—1100—50—1300 (15 years).

Senior Scale :

(a) Time Scale.—Rs. 1100—(6th year or under)—50—1600 (16 years).

(b) Selection Grade.—Rs. 1650—75—1800.

Conservator of Forests.—Rs. 1800—100—2000.

Deputy Chief Conservator of Forests (in States where such a post exists).—Rs. 2000—125/2—2250.

Additional Chief Conservator of Forests (in States where such a post exists).—Rs. 2250—125/2—2500.

Chief Conservator of Forests.—Rs. 2500—125/2—2750.

Deputy Inspector General of Forests.—Rs. 2000—125/2—2250 plus a special pay of Rs. 300 p.m.

Additional Inspector General of Forests.—Rs. 2500—100—3000.

Inspector General of Forests.—Rs. 3000—100—3500.

Dearness allowance will be admissible in accordance with the orders issued from time to time.

A probationer will be started on the junior time scale and permitted to count the period spent on probation towards leave, pension or increment in the time scale.

(g) Provident Fund.—Officers of the Indian Forest Service are governed by the All India Service (Provident Fund) Rules, 1955.

(h) Leave.—Officers of the Indian Forest Service are governed by the All India Service (Leave) Rules, 1955.

(i) Medical Attendance.—Officers of the Indian Forest Service are entitled to medical attendance benefits admissible under the All India Service (Medical Attendance) Rules, 1954.

(j) Retirement Benefits.—Officers of the Indian Forest Service appointed on the basis of Competitive Examination are governed by the All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958.

APPENDIX III

REGULATIONS RELATING TO THE PHYSICAL EXAMINATION OF CANDIDATES

(*Vide Rule* 17)

[These regulations are published for the convenience of candidates and to enable them to ascertain the probability of their being of the required physical standard. The regulations are also intended to provide guidelines to the medical examiners.

2. The Government of India, reserve to themselves, absolute discretion to reject or accept any candidate after considering the report of the Medical Board.]

1. To be passed as fit for appointment a candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties of his appointment.

2. Walking Test : The male candidates will be required to qualify in walking test of 25 kilometres to be completed in 4 hours and female candidates 14 kilometres to be completed in 4 hours. The arrangement for conducting this test will be made by the Inspector General of Forests, Govt. of India so as to Synchronise with the settings of the Medical Board.

3. (a) In the matter of the correlation of age, height and chest girth of candidates of Indian (including Anglo Indian) race it is left to the Medical Board to use whatever correlation figures are considered most suitable as a guide in the examination of the candidates. If there be any disproportion with regard to height, weight and chest girth, the candidate should be hospitalised for investigation and X-ray of the chest taken before the candidate is declared fit or not fit by the Board.

(b) The Minimum standard for height and chest girth without which candidates cannot be accepted, are as follows :

Height	Chest (fully expanded)	Expansion
163 cms.	84 cms.	5 cms. (farmen)
150 cms.	79 cms.	5 cms. (for women.)

The following minimum height standards may be allowed in the case of candidates belonging to Scheduled Tribes and to races such as Gorkhas, Nepalese, Assamese, Meghalaya, Tribal, Ladakhese, Sikkimese, Bhutanese, Garhwalis, Kumaonis, Nagas and Arunachal Pradesh candidates, whose average height is distinctly lower :—

Men	152.5 Cms.
Women	145.0 Cms.

4. The candidate's height will be measured as follows :—

He will remove his shoes and be placed against the standard with his feet together and the weight thrown on the heels and not on the toes or other sides of the feet. He will stand erect without rigidity and with the heels, calves, buttocks and shoulders touching the standard the chin will be depressed to bring the vertex of the head level under the horizontal bar and the height will be recorded in centimetres and parts of a centimetre to halves.

5. The candidate's chest will be measured as follows :—

He will be made to stand erect with his feet together and to raise his arms over his head. The tape will be so adjusted round the chest that its upper edge touches the inferior angles of the shoulder blades behind and lies in the same horizontal plane when the tape is taken round the chest. The arms will then be lowered to hang loosely by the side and care will be taken that the shoulders are not thrown upwards or backwards so as to displace the tape. The candidate will then be directed to take a deep inspiration several times and the maximum expansion of the chest will be carefully noted and the minimum and maximum will then be recorded in centimetres 84—89, 86—93.5 etc. In recording the surements fractions of less than half centimetre should not be noted.

N.B.—The height and chest of the candidates should be measured twice before coming to a final decision.

6. The candidate will also be weighed and his weight recorded in kilograms; fractions of half a kilogram should not be noted.

7. The candidate's eye-sight will be tested in accordance with the following rules. The result of each test will be recorded—

(i) General.—The candidate's eyes will be submitted to a general examination directed to the detection of any disease or abnormality. The candidate will be rejected if he suffers from any squint or morbid conditions of eyes, eye-lids or contiguous structures of such a sort as render, likely at a future date to render him unfit for service.

(ii) Visual Acquity.—The examination for determining the acuteness of vision includes two tests, one for distant, the other for near vision. Each eye will be examined separately.

There shall be no limit for minimum naked eye vision but naked eye vision of the candidates shall however, be recorded by the Medical Board or other medical authority in every case, as it will furnish the basic information in regard to the condition of the eye.

The Indian Forest Service is a technical service.

The standards for distant and near vision with or without glasses shall be as follows :—

distant Vision		Near Vision	
Better eye (Corrected Vision)	Worse eye (Corrected Vision)	Better eye (Corrected Vision)	Worse eye (Corrected Vision)
6/6	6/12 or 6/9	J. I.	J. II
6/9			

NOTE :—

(1) *Fundus Examination.*—In every case of Myopia Fundus Examination should be carried out and the results recorded. In the event of pathological condition being present which likely to be progressive and affect the efficiency of the candidate, he/she should be declared unfit.

The total amount of Myopia (including the cylinder) shall not exceed—4,00D. Total amount of Hypermetropia (including the cylinder) shall not exceed+4.00D.

Provided that in case a candidate is found unfit on ground of high myopia, the matter shall be referred to a special board of three opthalmologists to declare whether this myopia is pathological or not. In case it is not pathological, the candidate shall be declared fit, provided he fulfils the visual requirements otherwise.

(2) *Colour Vision.*—(i) The testing of colour vision shall be essential.

(ii) Colour perception should be graded into a higher and a lower Grade depending upon the size of the aperture in the lantern as described in the table below :—

Grade	Grade of Colour Perception
1. Distant between the lamp and candidate .	16 feet
2. Size of aperture	1·3 mm
3. Time of exposure	5 sec.

(iii) Satisfactory colour vision constitutes recognition with ease and without hesitation of signal red, signal green and white colours. The use of Ishihara's plates shown in good light and suitable lantern like Edrige Green's shall be considered quite dependable for testing colour vision. While either

of the two tests may ordinarily be considered sufficient in respect of the services concerned with road, rail and air traffic, it is essential to carry out the lantern test. In doubtful cases where a candidate fails to qualify when tested by only one of the two tests, both the tests should be employed.

(3) *Field of vision.*—The field of vision shall be tested in respect of all services by the confrontation method. Where such test gives unsatisfactory or doubtful results, the field of vision should be determined on the perimeter.

(4) *Night Blindness.*—Night Blindness need not be tested as a routine, but only in special cases, No standard test for the testing of night blindness or dark adaption is prescribed. The Medical Board should be given the discretion to improvise such rough test, e.g. recording of visual acuity with reduced illumination or by making the candidate recognise various objects in a darkened room after he/she has been there for 20 to 30 minutes. Candidates own statements should not always be relied upon but they should be given due consideration.

(5) *Ocular conditions other than visual acuity.*—(a) Any organic disease or a progressive refractive error which is likely to result in lowering the visual acuity should be considered as a disqualification.

(b) *Trachoma.*—Trachoma unless complicated shall not ordinarily be a cause for disqualification.

(c) *Squint.*—As the presence of binocular vision is essential squint even if the visual acuity is of the prescribed standard, should be considered as a disqualification.

(d) *One-eyed persons.*—The employment of one-eyed individuals is not recommended.

8. *Blood Pressure*

The Board will use its discretion regarding Blood Pressure.

A rough method of calculating normal maximum systolic pressure is as follows—

(i) With young subjects 15—25 years of age of average is about 100 plus the age.

(ii) With subjects over 25 years of age the general rule of 110 plus half the age seems quite satisfactory.

N.B—.As a general rule any systolic pressure over 144 mm and diastolic over 90 mm should be regarded as suspicious and the candidate should be hospitalised by the Board before giving their final opinion regarding the candidate's fitness or otherwise. The hospitalisation report should indicate whether the rise in blood pressure is of a transient nature due to excitement etc. or whether it is due to any organic disease. In all such cases X-ray and electrocardiographic-examination of heart and blood urea clearance test should also be done as a routine. The final decision as to the fitness or otherwise of a candidate will, however, rest with the medical board only.

Method of taking Blood Pressure

The mercury manometer type of instrument should be used as a rule. The measurement should not be taken within fifteen minutes of any exercise or excitement. Provided the patient, and particularly his arm is relaxed, he may be either lying or sitting. The arm is supported comfortably at the patient's side in a more or less horizontal position. The arm should be freed from the clothes to the shoulder. The cuff completely deflated should be applied with the middle of the rubber over the inner side of the arm, and its lower edge an inch or two above the bend of the elbow. The following turns of cloth bandage should spread evenly over the bag to avoid bulging during inflation.

The brachial artery is located by palpitation at the bend of the elbow and the stethascope is then applied lightly and centrally over it below, but not in contact with the cuff. The cuff is inflated to about 200 mm. Hg. and then slowly deflated. The level at which the column stands when soft successive sounds are heard represents the Systolic Pressure. When more air is allowed to escape the sound will be heard to increase in intensity. The level at which the well-heard clear sounds change to soft muffled fading sounds represents the diastolic pressure. The measurement should be taken in a fairly brief period of time as prolonged pressure of the cuff is irritating to the patient and will vitiate the readings. Rechecking, if necessary, should be done only a few minutes after complete deflatio nof the cuff. (Sometimes, as the cuff is deflated sounds are heard at a certain level they may disappear as pressure falls and reappear at a still lower level. This 'Silent gap' may cause error in reading).

9. The urine (Passed in the presence of the examiner) should be examined and the results recorded. Where a Medical Board finds sugar present in a candidate's urine by the usual chemical test the board will proceed with the examination with all its other aspects and will also specially note any signs or symptoms suggestive of diabetes. If except for the glycosuria the Board finds the candidate conforms to the standards or medical fitness required they may pass the candidate "fit" subject to the glycosuria being non-diabetic and the Board will refer the case to a specified specialist in Medicine who has hospital and laboratory facilities at his disposal. The Medical Specialist will carry out whatever examination clinical and laboratory be considers necessary including a standard blood sugar tolerance test, and will submit his opinion to the Medical Board upon which the Medical Board will base its final opinion "fit" or "unfit". The candidate will not be required to appear in person before the Board on the second occasion. To exclude the effects of medication it may be necessary to retain a candidate for several days in hospital under strict supervision.

10. A woman candidate who as a result of tests is found to be pregnant of 12 weeks standng or over, should be declared temporarily unfit until the confinement is over. She should be re-examined for fitness certificate six weeks after the date of confinement subject to the production of a medical certificate fitness from a registered medical practitioner.

11. The following additional points should be observed :—

(a) that the candidate's hearing in each ear is good and that there is no sign of disease of the ear. In case it is defective the candidate shoul be got examined

by the ear specialist : provided that if the defect in hearing is remediable by operation or by use of a hearing aid a candidate cannot be declared unfit on that account provided he/she has no progressive disease in the ear. The following are the guidelines for the medical examining authority in this regard :—

(1) Marked or Total deafness in one ear, other ear being normal	Fit for non-technical jobs if the deafness is upto 30 decibel in higher frequency,
(2) Perceptive deafness in both ears in which some improvement is possible by a hearing aid.	Fit in respect of both technical and non-technical jobs if the deafness is upto 30 Decibel in speech frequencies of 1000 to 4000.
(3) Perforation of tympan membrane of central or marginal type.	(i) one ear normal other ear perforation of tympanic membrane present Temporarily unfit. Under improved conditions of Ear Surgery a candidate with marginal or other perforation in both ears should be given a chance by declaring him temporarily unfit and then he may be considered under 4 (ii) below. (ii) Marginal or attic perforation in both ears - Unfit. (iii) Central perforation both ears—Temporarily unfit.
(4) Ears with Mastoid cavity sabnormal hearing on one side/on both sides.	(i) Either ear normal hearing other ear Mastoid cavity. Fit for both technical and non-technical jobs. (ii) Mastoid cavity of both sides, Unfit for technical job. Fit for non-technical jobs if hearing improves to 30 Decibels in either ear with or without hearing aid.
(5) Persistently discharging ear operated/unoperated.	Temporarily unfit for both technical and non-technical jobs.
(6) Chronic inflammatory/allergic conditions of nose with or without body deformities of nasal septum.	(i) A decision will be taken as per circumstances of individual cases. (ii) If deviated nasal Septum is present with symptoms—Temporarily unfit.
(7) Chronic inflammatory conditions of tonsils and/or Larynx.	(i) Chronic inflammatory conditions of tonsils and/or Larynx—Fit. (ii) Hoarseness of voice of severe degree if present then—Temporarily unfit.
(8) Benign or locally malignant tumours of the ENT.	(i) Benign tumours—Temporarily unfit. (ii) Malignant Tumours Unfit.
(9) Otosclerosis	If the hearing is within 30 Decibels after operation or with the help of hearing aid—Fit.
(10) Congenital defects of ear, nose or throat.	(i) If not interfering with functions—Fit. (ii) Stuttering of severe degree—Unfit.
(11) Nasal Poly	Temporarily Unfit.

(b) that his/her speech is without impediment;

(c) that his/her teeth are in good order and that he/she is provided with dentures where necessary for effective mastication (well filled teeth will be considered as sound);

(d) that the chest is well formed and his chest expansion sufficient; and that his heart and lungs are sound;

(e) that there is no evidence of any abdominal disease;

(f) that he is not ruptured;

(g) that he does not suffer from hydrocele, a severe degree of vericose veins or piles;

(h) that his limbs, hand and feet are well formed and developed and that there is free and perfect motion of all his joints;

(i) that he does not suffer from any inveterate skin disease;

(j) that there is no congenital malformation or detect;

(k) that he does not bear traces of acute or chronic disease pointing to an impaired constitution;

(l) that he bears marks of efficient vaccination; and

(m) that he is free from communicable disease.

12. Radiographic examination of the chest should be done as a routine in all cases for detecting any abnormality of the heart and lungs, which may not be apparent by ordinary physical examination.

When any defect is found it must be noted in the certificate and the medical examiner should state his opinion whether or not it is likely to interfere in the efficient performance of the duties which will be required of the candidate.

In case of doubt regarding health of a candidate the Chairman of the Medical Board may consult a suitable Hospital Specialist to decide the issue of fitness or unfitness of the candidate for Government Service e.g. if a candidate is suspected to be suffering from any mental defect or aberration, the Chairman of the Board may consult a Hospital Psychiatrist/Psychologist, etc.

NOTE.—Candidates are warned that there is no right of appeal from a Medical Board special or standing appointed to determine their fitness for the above services. If, however, Government are satisfied on the evidence, produced before them of the possibility of an error of judgement in the decision of the first Board, it is open to Government to allow an appeal to a Second Board. Such evidence should be submitted within one month of the date of the communication in which the decision of the first Medical Board is communicated to the candidate, otherwise no request for an appeal to a second Medical Board will be considered.

If any medical certificate is produced by a candidate as a piece of evidence about the possibility of an error of judgement in the decision of the first Board, the certificate will not be taken into consideration unless it contains a note by the medical practitioner concerned to the effect that it has been given in full knowledge of the fact that the candidate has already been rejected as unfit for service by the Medical Board.

Medical Board's Report

The following intimation is made for the guidance of the Medical Examiner :—

1. The standard of physical fitness to be adopted should make due allowance for the age and length of service, if any, of the candidate concerned.

No person will be deemed qualified for admission to the Public Service who shall not satisfy Government or the appointing authority, as the case may be, that he has no disease, constitutional affection, or bodily infirmity unfitting him, or likely to unfit him for that service.

It should be understood that the question of fitness involves the future as well as the present and that one of the main objects of medical examination is to secure continuous effective service, and in the case of candidates for permanent appointment to prevent early pension or payments in case of premature death. It is at the same time to be noted that the question is one of the likelihood of continuous effective service and that rejection of a candidate need not be advised on account of the presence of a defect which in only a small proportion of cases is found to interfere with continuous effective service.

A lady doctor will be co-opted as a member of the Medical Board whenever a woman candidate is to be examined.

The report of the Medical Board should be treated as confidential.

In case where a candidate is declared unfit for appointment in the Government Service the grounds for rejection may be communicated to the candidate in broad terms without giving minute details regarding the defects pointed out by the Medical Board.

In case where a Medical Board considers that a minor disability disqualifying a candidate for Government service can be cured by a treatment (medical or surgical) a statement to that effect should be recorded by the Medical Board. There is no objection to a candidate being informed of the Board's opinion to this effect by the appointing authority and when a cure has been effected it will be open to the authority concerned to ask for another Medical Board.

In the case of candidate who are to be declared Temporarily Unfit, the period specified for re-examination *should not ordinarily exceed six months at the Maximum.* On re-examination after the specified period these candidates should not be declared temporarily unfit for a further period but a final decision in regard to their fitness for appointment or otherwise should be given.

(a) *Candidates statement and declaration*

The candidate must make the statement required below prior to his Medical examination and must sign the Declaration appended thereto. This attention is specially directed to the warning contained in the Note below :—

1. State your name in full (in block letters).....

2. State your age and birth place.....

(*a*) Do you belong to Scheduled Tribes or to races such as Gorkhas, Nepalese, Assamese, Meghalaya Tribals, Ladakhees, Sikkimese, Bhutanese, Garwalies, Kumaonis, Nagas and Arunachal Pradesh, whose average height is distinctly, lower ? Answer 'Yes' or 'No' and if the answer is 'Yes' state the name of the tribe/race.

3. (*a*) Have you ever had smallpox intermittent or any other fever, enlargement or suppuration of glands spitting of blood, asthma, heart disease, lung disease, fainting attacks, rheumatism appendicites.

or

(*b*) Any other disease or accident requiring confinement to bed and medical or surgical treatment ? .....

4. When were you last vaccinated ? .....

5. Have you suffered from any form of nervousness due to over work or any other cause ? .....

6. Furnish the following particulars concerning your family :—

Father's age if living and state of health	Father's age at death and cause of death	No. of brothers living their ages and state of health	No. of brothers dead, their ages at and cause of death

Mother's age if living and state of health	Mother's age at death and cause of death	No. of sisters living their ages and state of health	No. of sisters dead, their ages at and cause of death

7. Have you been examined by a Medical Board before ? . . ..

8. If answer to the above, is Yes please state what Service/Services you were examined for ? .....

9. Who was the examining authority ? .....

10. When and where was the Medical Board held ? .....

11. Result of the Medical Board's examination, if communicated to you or if known .....

I declare all the above answers to be, to the best of my belief, true and correct.

Signed in my presence

Candidate's Signature

Signature of the Chairman of the Board.

NOTE :—The candidate will be held responsible for the accuracy of the above statement. By wilfully suppressing any information he will incur the risk of losing the appointment and if appointed of forfeiting all claims to Superannuation Allowance or gratuity.

(b) Report of Medical Board on (name of candidate) physical examination.

1. General development : Good.....Fair.....
Poor.....
Nutrition.....Thin.....Average.....Obese .....
Height (Without shoes).....Weight.....
Best Weight.....When ? .....Any recent change in weight ? .....Temperature .....

2. Girth of Chest.

(1) (After full inspiration)

(2) (After full expiration)

Skin : Any obvious disease .....

3. Eyes :

(1) Any disease .....

(2) Night blindness.....

(3) Defect in colour vision.....

(4) Field of vision .....

(5) Visual acuity .....

(6) Fundus Examination .....

Acuity of vision	Naked eye	With glasses	Strength of glasses Sph.	Cyl.	Axis
Distant vision					
R.E.					
L.E.					
Near vision					
R.E.					
L.E.					
Hypermetropia (Manifest)					
R.E.					
L.E.					

4. Ears : Inspection.....Hearing : Right Ear .....
Left Ear.....

5. Glands.....Thyroid .....

6. Condition of teeth .....

7. Respiratory System : Does physical examination reveal any thing abnormal in the respiratory organs ?

If yes, explain fully .....

8. Circulatory System :

(a) Heart : Any organic lesions ?.....Rate Standing.....

After hopping 25 times.....
2 minutes after hopping.....

(b) Blood Pressure : Systolic.....Diastolic.....

9. Abdomen : Girth.....Tenderness.....
Hernia.....

(a) Palpable.....Liver.....Spleen.....
Kidneys.....Tumours.....

(b) Haemorrhoids..... Fistula.....

10. Nervous System : Indication of nervous or mental disability.....

11. Loco-Motor System : Any Abnormality .....

12. Genito Urinary System : Any evidence of Hydrocele Varicocele etc.

Urine Analysis :

(a) Physical appearance .....

(b) Sp. Gr. .....

(c) Albumen .....

(d) Sugar .....

(e) Casts .....

(f) Cells .....

13. Report of X-Ray Examination of Chest.

14. Is there anything in the health of the candidate likely to render him unfit for the efficient discharge of his duties in the Indian Forest Service ?

NOTE.—In case of a female candidate; if it is found that she is pregnant of 12 weeks standing or over, she should be declared temporarily unfit, *vide* Regulation 10.

15. Has he been found qualified in all respects for the efficient and continuous discharge of duties in the Indian Forest Service.

NOTE.—The Board should record their findings under one of the following three categories ?

(i) Fit

(ii) Unfit on account of .. ..

(iii) Temporarily unfit on account of .. ..

Place .....

Date .....

Chairman .....

Member .....

Member .....

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1986